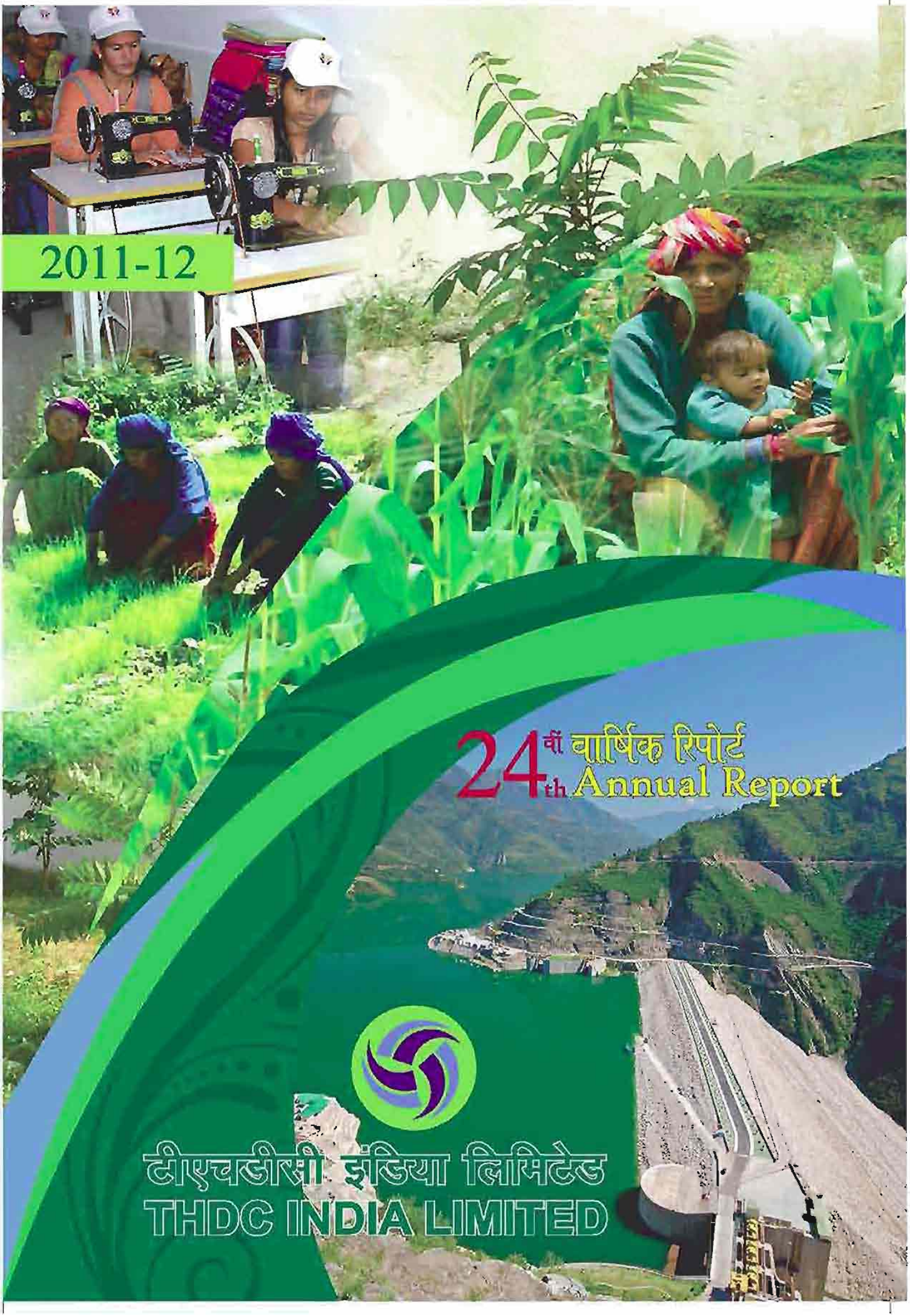

2011-12

24वीं वार्षिक रिपोर्ट
24th Annual Report

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

THDC INDIA LIMITED

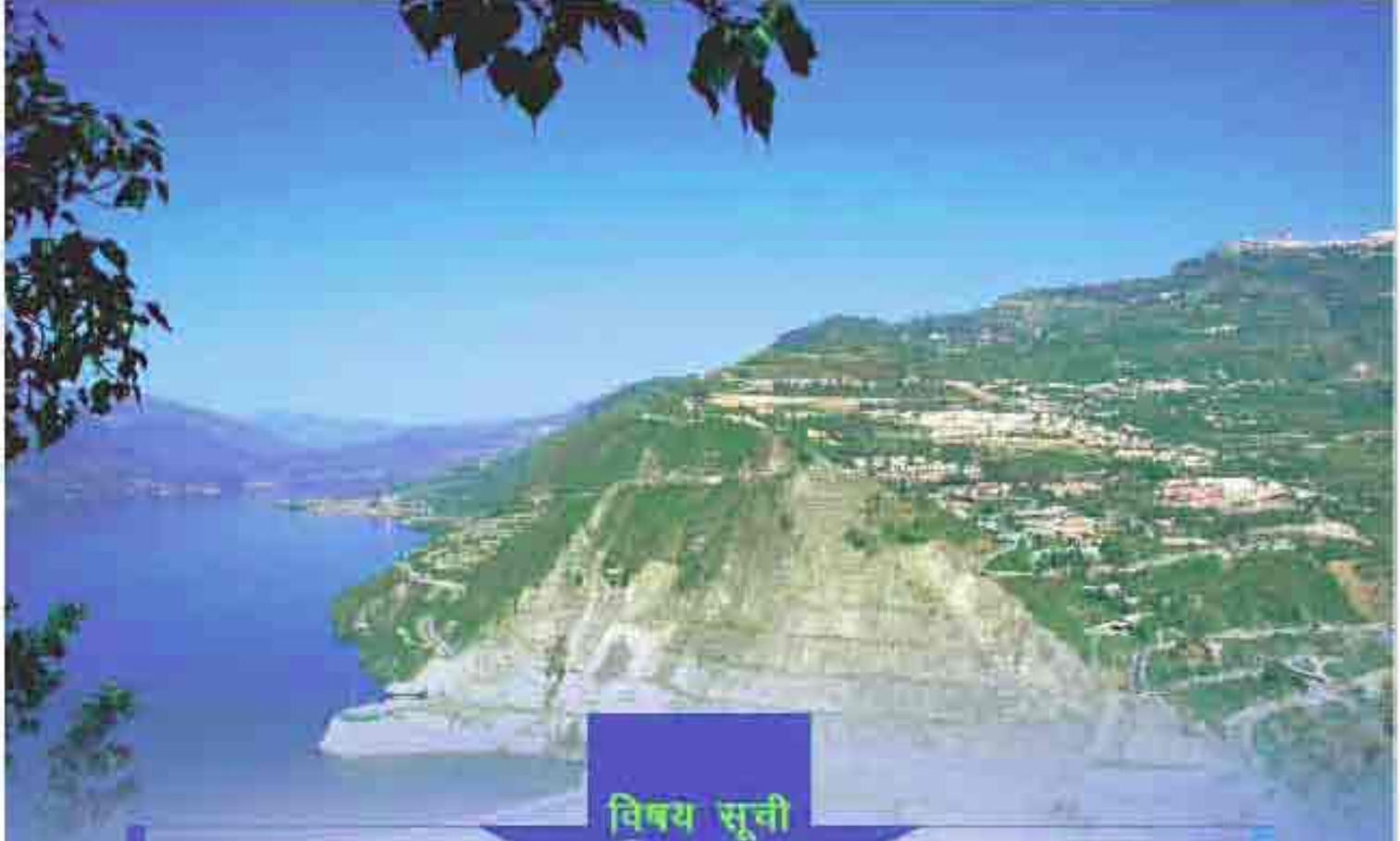

विषय सूची
Contents

- निदेशक मंडल / Board of Directors — 3
- अध्यक्षीय संबोधन / Chairman's Address — 5
- निदेशकों की रिपोर्ट / Directors' Report — 9
- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट / Report on Corporate Social Responsibility — 28
- कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट / Report on Corporate Governance — 39
- महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण / Statements of Significant Accounting Policies — 52
- तुलन – पत्र / Balance Sheet — 56
- लेखा परीक्षक की रिपोर्ट / Auditor's Report — 94
- भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां / Comments of C & AG — 100

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की **24वीं वार्षिक आम सभा** दिनांक 27.09.2012 को सायं **6:00 बजे, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एनसीआर कार्यालय, प्लाट नं. 20, सैक्टर-14, कौशाम्बी, गाजियाबाद, (उ.प्र.) (दूरभाष सं. 0120-2776491)** में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा :

साधारण कार्य

1. 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखापरीक्षक रिपोर्ट एवं निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे को प्राप्त करना, विचार करना तथा पारित करना।
2. 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करना।
3. वर्ष 2011-12 के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के निदेशक-मण्डल के आदेशानुसार

(एस. क्यू. अहमद)
कम्पनी सचिव,
मो. 9412998458

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 20.09.2012

सेवा में,

- **टीएचडीसीआईएल के सभी सदस्यगण।**
- **टीएचडीसीआईएल के सभी निदेशक।**
- **सांविधिक लेखा परीक्षक-** मैसर्स भाटिया एण्ड भाटिया, सनदी लेखाकार, 12, सेन्ट्रल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली-110 001

पंजीकृत कार्यालय

भागीरथ भवन (टॉप टेरिस), भागीरथीपुरम,
टिहरी (गढ़वाल) – 249001 (उत्तराखण्ड)

अन्य कार्यालय

ऋषिकेश
प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201 (उत्तराखण्ड)

एनसीआर
प्लाट नं. 20, सेक्टर – 14, कौशाम्बी, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)

देहरादून
28, ईसी रोड, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)

लखनऊ
101, राम अपार्टमेंट, 7 चौपालिंग रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)

पुणे
अरुण प्लाजा, द्वितीय तल, गली नं. 19/3, हिंजेवाडी रोड,
डांगे चौक, थेरगांव, पुणे – 411033 (महाराष्ट्र)

वीपीएचईपी
अलकनंदापुरम, सियासैण, पीपलकोटी, जिला – चमोली (उत्तराखण्ड)

भूटान
प्रथम तल, पेल्की सेंटर, पेक्खिल लाम, फुंटशोलिंग, भूटान

कम्पनी सचिव

श्री एस. क्यू. अहमद

सांविधिक लेखा-परीक्षक

मैसर्स भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
12, सैंट्रल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली–110001

बैंकर

पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

यह रिपोर्ट 27.09.2012 को निगम की 24वीं वार्षिक आम सभा में पारित की गई।

निदेशक मंडल
27.09.2012 के अनुसार

श्री आर.एस.टी. साई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री ए.एस. बिष्ट
निदेशक (कार्मिक)

श्री डी.वी. सिंह
निदेशक (वित्त)

श्री श्री.पी. सिंह
निदेशक (तकनीकी)

श्री वी. साई प्रसाद
संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

प्रोफेसर (डॉ.) एस. सी. सक्सेना
पूर्व निदेशक, आई.आई.टी., रुड़की
स्वतंत्र निदेशक

श्री राजीव शेखर साहू, एफसीए
प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट
स्वतंत्र निदेशक

श्री ओ. पी. गहरोत्रा
पूर्व अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार
स्वतंत्र निदेशक

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC India Limited

हमारी अभिदृष्टि

विद्युत क्षेत्र में एक बड़ी विश्वस्तरीय भूमिका, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय तथा सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण, समर्थपूर्ण तथा धारणीय विद्युत उपलब्ध कराना।

व्यवसायिक विविधीकरण तथा उत्कृष्टता की उपलब्धि के द्वारा विकास की कार्य संस्कृति सृजित करना।

हमारा मिशन

कमीशनिंग की अवधारणा से जल विद्युत तथा अन्य ऊर्जा संसाधनों की योजना बनाना, उन्नतीकरण करना, विकास करना तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को प्राप्त करने के लिए विद्युत स्टेशनों का परिचालन करना, जिससे राष्ट्रीय समृद्धता में वृद्धि हो सके।

मानवीय दृष्टि से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सहित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को स्वीकार करना।

गत्यात्मक परिवर्तित व्यापारिक परिवेश चुनौतियों का सामना करना तथा वैश्विक बेंचमार्क निर्धारित करना।

पारस्परिक लाभ एवं उन्नति के लिए अंशधारकों से धारणीय और मूल्य आधारित संबंध बनाना।

संवर्धनात्मक भाव एवं आपसी विश्वास के परिवेश में समर्पित कार्यबल को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्ट निष्पादन प्राप्त करना।

अध्यक्षीय संबोधन

देवियो एवं सज्जनो,

मैं आपकी कम्पनी की 24वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के साथ पहले ही आपके पास है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ लिया गया मान लेता हूं।

भारतीय आर्थिक परिदृश्य - चुनौतियां एवं अवसर

भारतीय अर्थव्यवस्था में निरन्तर कमी आई है। वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद पूर्ववर्ती वर्ष में 8.4% की तुलना में घटकर लगभग 6.5% हो गया था। भारतीय रुपए में आई गिरावट और वित्तीय घाटे में हुई वृद्धि ने निवेश माहौल को प्रभावित किया है। सकल पूंजी विरचना वृद्धि में पूर्ववर्ती वर्ष की 7.5% की तुलना में 5.5% की कमी आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार एवं विविधता वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ावों को आत्मसात करने में पर्याप्त आधार प्रदान करता है। जनसांख्यिकी विवरणिका, खपत हेतु इसके आकांक्षाकारी लोगों की उपार्जित प्रवृत्ति और बचत हेतु इसके उभरते मध्य वर्ग की मजबूत परम्परा मूलभूत ताकत है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी का कथन है कि "ईमानदारी के साथ किया गया कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है।" भारतीय मजदूर वर्ग को अपने कौशल, अनुशासन एवं कठिन परिश्रम के लिए जाना जाता है और सराहा जाता है। यदि भारत की संस्थाओं में केवल सुदृढ़ता का पालन किया जाएगा तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री का सपना सच हो जाएगा और भारतीय लोगों के कठिन परिश्रम को उनके अपने लाभ के लिए माध्यमीकृत किया जा सकता है। निवेश योजना को कार्यान्वयन में बदलने में गति लाई जा सकेगी, यदि निर्णयनकारी संस्कृति में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। यह स्वाभाविक है कि वर्गीय परिप्रेक्ष्य के बीच विरोधाभास होगा। किसी स्तर के किसी को तो प्राथमिकताओं पर निर्णय लेना है और ईष्टतम स्तर तक विरोधाभासी उद्देश्यों को हल तो करना ही है।

वहनीय एवं भरोसेमंद विद्युत को प्राप्त करना राष्ट्र के विकास एवं समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। सभ्य समाज को बनाए रखने के लिए विद्युत आधारभूत आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था का विकास और इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर भरोसेमंद एवं गुणवत्ता पूर्ण विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर होती है। पर्यावरणीय चिन्ताओं को दूर करते समय विद्युत क्षेत्र में क्षमता संवर्धन में सहयोग करना आपकी कम्पनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

विगत वर्ष की समीक्षा

विगत वर्ष आपकी कम्पनी के लिए घटनापूर्ण रहा है। कई विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाते हुए आपकी कम्पनी ने 400 मेगावाट कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया, जिससे टीएचडीसीआईएल की संस्थापित उत्पादन क्षमता बढ़कर 1,400 मेगावाट हो गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि आपकी कम्पनी की सकल बिक्रियां विगत वर्ष के 1889.27 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 2017.53 करोड़ रुपए हो गई है। निवल लाभ में भी उत्साहजनक वृद्धि हुई है, जो विगत वर्ष के दौरान रु. 600.46 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 703.83 करोड़ रु. हो गया है। टीएचडीसीआईएल द्वारा

माननीय गृहमंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे एवं माननीय गृह राज्यमंत्री श्री जितेन्द्र सिंह ... की उपस्थिति में माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए श्री आर. एस. टी. साई, अ. एवं प्र. नि., टीएचडीसीआईएल

प्रस्तुत किए गए मूल्यांकन के अनुसार कम्पनी की एमओयू निष्पादन रेटिंग विगत वर्ष के "बहुत अच्छा" निर्धारण में सुधार लाते हुए वर्ष 2011-12 के लिए "उत्कृष्ट" होने की आशा है।

मुझे आपको यह बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि आपकी कम्पनी को हाल ही में 'बेस्ट परफार्मिंग जनरेशन कम्पनी (हाइड्रो क्षेत्र में)' की श्रेणी में प्रतिष्ठित पॉवर लाइन अवार्ड प्रदान किया गया है।

मैं यह बताने में भी अपना सौभाग्य समझता हूं कि 1,000 मेगावाट के टिहरी पम्प स्टोरेज प्लांट पर कार्य जुलाई, 2011 से अल्सटॉम हाइड्रो (?) एनर्जी (ईपीसी) संविदा के साथ वर्ष के दौरान शुरू किए गए हैं। टिहरी पीएसपी के तैयार होने से, निगम के अन्तर्गत टिहरी हाइड्रो पॉवर कॉम्पलेक्स से 2,400 मेगावाट के लाभ प्राप्त होंगे, जैसा कि मूलतः परिकल्पना की गई थी।

आपकी कम्पनी के लिए दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य 444 मेगावाट की विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के लिए 648 मिलियन अमेरिकी डालर आईबीआरडी ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर करना था। बहुपक्षीय एजेंसियों से वित्त व्यवस्थापन के अलावा, टीएचडीसीआईएल, क्रेडिट रेटिंग एवं घरेलू नियादी ऋणों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों, अपतटीय भाग हेतु निर्यात क्रेडिट आदि जैसे उपायों को अपनाते हुए अपनी उधारी लागत को कम से कम करने का प्रयास कर रहा है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि यद्यपि 444 मेगावाट विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय संवरण प्राप्त कर लिया गया है और आवश्यक आधारभूत संरचना स्थापित कर ली गई है, फिर भी आपका निगम आवश्यक वन भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना के मुख्य कार्यों को शुरू करने में समर्थ नहीं हुआ है। आपके निगम के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय वन भूमि के शीघ्र अन्तरण के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी वर्ष 2007 में प्रदान की गई थी और इसके बाद वर्ष 2008 में निवेश मंजूरी स्वीकृत की गई थी। वन अन्तरण का मामला पर्यावरणीय मंजूरियों की उत्तरवर्ती समीक्षा के कारण रुका हुआ है। जैसा कि सर्वविदित है जल विद्युत परियोजनाओं के विकसित होने की अवधि स्वाभाविक तौर पर लम्बी होती है। निर्णयों में मध्यवर्ती परिवर्तन विकासकों द्वारा शुरू किए गए निवेशों के लिए घातक हो सकते हैं। कुछ समकालिक घटनाएं चिन्ता का विषय हो सकती हैं और गम्भीर आत्मविश्लेषण हेतु आवश्यक हो सकती हैं।

विभिन्न जोखिम, जैसे कि विलम्बित होने की लंबी अवधि,

जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में अंतर्ग्रस्त पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों के उद्भासन को कम करने की दिशा में आपकी कम्पनी ने ताप विद्युत परियोजनाओं में विविधीकरण के लिए कदम बढ़ाया है। 1,320 मेगावाट खुर्जा एसटीपीपी के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली है और भारत सरकार से भूमि अधिग्रहण के संबंध में अग्रिम व्यय हेतु निवेश मंजूरी मांगी गई है।

जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में अन्तर्निहित जोखिमों के होते हुए भी, इसमें महत्वपूर्ण लाभ भी हैं। जल विद्युत पर्यावरण अनुकूल है। जल विद्युत की दीर्घावधि उत्पादित लागत भी जीवाश्म ईंधन पर आधारित विकल्पों की तुलना में काफी कम है। विद्युत के अन्य स्रोतों की तुलना में इसके विशिष्ट फायदे हैं और अवरोधता की स्थिति में यह ग्रिड के शीघ्र पुनर्स्थापन में मदद करती है। हाइड्रो उत्पादनकारी यूनिटें कम समय में जल्दी शुरू हो जाती हैं, इनमें त्वरित एवं सहज नम्य पॉवर आउटपुट होता है; अंशलोडिंग क्षमता होती हैं; वोल्टेज उतार-चढ़ाव की बेहतर संचालन क्षमता और उच्च लाइन आवेशन क्षमता होती है। इनमें प्रतिक्रियात्मक विद्युत के प्रबंधन में परिवर्तनीय क्षमता होती है।

मैं हाल ही के ग्रिड की खराबी, जो इस वर्ष 30 जुलाई और 31 जुलाई को हुई, के प्रभाव को कम करने में टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के सहयोग के बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। 30 जुलाई, 2012 को उत्तरी क्षेत्र (एनआर) के ग्रिड में एक बड़ी ग्रिड खराबी आ गई थी, जिसके कारण उत्तर भारत में व्यापक विद्युत अवरोध हो गया। विफलता से पहले एनआर ग्रिड लगभग 36,000 मेगावाट लोड प्रदान कर रहा था। टिहरी एचईपी (4X250 मेगावाट), जो ब्लैक स्टार्ट क्षमता से सुसज्जित है, शीघ्र वापस प्रचालन में लाए जाने वाली एकमात्र परियोजना थी और ग्रिड पुनर्स्थापन में इसने मदद की।

उपर्युक्त घटना के बाद 31 जुलाई, 2012 को और भयंकर ग्रिड अवरोध हो गया था, जिसमें उत्तरी, उत्तर-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में ग्रिडों की विफलता शामिल है, जो आन्तरिक विद्युत उतार-चढ़ाव, कम आवृत्ति और विभिन्न केंद्रों में अधिक वोल्टेज के कारण घटित हुई। इस ब्लैक-आउट में लगभग 48,000 मेगावाट का कुल लोड प्रभावित हुआ था। इस बड़ी घटना के दौरान टिहरी एचईपी ने उत्तरी क्षेत्र के ग्रिड को शीघ्र पुनरुत्थान में सहयोग किया। टिहरी यूनिटों से उत्पादित विद्युत को आधे घंटे से भी कम समय में टिहरी एचईपी हेतु एनआरएलडीसी द्वारा सृजित "आइसलैण्ड सिस्टम" में सफलतापूर्वक अन्तःस्थापित किया गया था। विद्युत अन्तःक्षेपण की इस बारीकी प्रक्रिया को

श्री आर.एस.टी.साई, अ. एवं प्र. नि., टीएचडीसीआईएल (बाएं) एमओयू दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री डी. उमाशंकर, सचिव (विद्युत), राज्य सरकार से हाथ मिलाते हुए

एनआरएलडीसी के गहन समन्वय से क्रमबद्ध तरीके में पूरा किया गया था। टिहरी एचईपी द्वारा "आइसलैण्ड सिस्टम" के सफल लोडिंग ने अन्य उत्पादनकारी स्टेशनों की तुल्यकालिकता और इसके बाद एनआरएलडीसी द्वारा एनआर ग्रिड में पुनरुत्थान हेतु एक मार्ग प्रशस्त किया।

आपका निगम धारणीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि कम्पनी के विजन एवं मिशन में अन्तर्निहित है। टीएचडीसीआईएल को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही के लिए स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड प्रदान किया गया था। धारणीय विकास, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व,

27 सितम्बर, 2012 को कंपनी 24वीं वार्षिक आम सभा का दृश्य

कारपोरेट सुशासन और आर एवं डी में की गई पहलें विस्तार में निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

भावी दृष्टिकोण एवं योजनाएं

आज आपके निगम के पास परियोजनाओं के विविध पोर्टफोलियों हैं। जलविद्युत क्षेत्र में, उत्पादन स्तर पर, कार्यान्वयन स्तर पर, इसके साथ ही अन्वेषण/डीपीआर स्तर पर परियोजनाएं हैं। इन्द्रावती नदी घाटी के एकीकृत विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम पर निर्णय लिया जाना अग्रिम चरण पर है। ताप विद्युत परियोजना भी वर्तमान योजना अवधि के दौरान शुरू किए जाने की आशा है। हाथ में परियोजनाओं और वित्तीय संसाधन उपलब्धता पर विचार करते हुए आपकी कम्पनी ने 2022 तक XII वीं और XIIIवीं योजनाओं को शामिल करते हुए अपने कारपोरेट एवं वित्तीय योजना को अंतिम रूप दिया है। दस वर्ष की अवधि के दौरान परिकल्पित कुल निवेश लगभग 24,000 करोड़ रुपए है, जिसे ऋण एवं इक्विटी के जरिए आन्तरिक संसाधनों एवं संयुक्त उद्यम साझेदारों से बड़ी मात्रा में मिल रही इक्विटी के साथ वित्त पोषित किया जाना है। मौजूदा परियोजनाओं के अलावा, आपका निगम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों अर्थात् सौर एवं पवन ऊर्जा में विविधीकरण के लिए अभिप्रेत है। जल विद्युत के अपने मूल व्यवसाय में, आपकी कम्पनी ने संयुक्त उद्यमों के जरिए परियोजनाओं के विकास और भावी वृद्धि हेतु कुछ विकल्पों के रूप में रणनीतिबद्ध निवेशों को परिकल्पित किया है।

आभार

देवियो एवं सज्जनो, आपकी कम्पनी के अत्यधिक समर्पित 2,200 कर्मचारियों का कठिन परिश्रम एवं प्रतिबद्धता आपकी कम्पनी के कार्य-निष्पादन की रीढ़ है। मैं उनके अथक प्रयासों के लिए अपने सभी कर्मचारियों का अत्यधिक आभारी हूं। मैं, ग्राहक यूटिलिटियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं एवं सभी अन्य पणधारियों को आपकी कम्पनी के विकास में उनके सहयोग एवं समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं, निदेशक-मण्डल के सभी सदस्यों, सीईए, सीडब्ल्यूसी, विद्युत मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखण्ड सरकार, महाराष्ट्र सरकार, शाही भूटान सरकार और अन्य सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों, जिन्होंने अत्यधिक व्यावसायिक एवं विकासोन्मुखी कम्पनी की रूपरेखा तैयार करने में मदद की है, से प्राप्त हुई सहायता एवं सहयोग के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

(आर.एस.टी. साई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कौशाम्बी, गाजियाबाद (उ.प्र.)

दिनांक : 27.08.2012

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ कम्पनी की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

(रु. मिलियन में)

विवरण	2011-12	2010-11
आय		
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	20456	16831
अन्य आय	95	62
सकल आय (क)	**20551**	**16893**
व्यय		
कर्मचारी लाभ व्यय	1500	1552
वित्त लागत	5317	3780
मूल्य ह्रास	4508	3496
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	1177	1285
प्रावधान	16	8
पूर्वावधि-समायोजन	10	(20)
कुल व्यय (ख)	**12528**	**10101**
कर पूर्व लाभ (क-ख)	8023	6792
कर	985	787
कर पश्चात लाभ	7038	6005
जोड़ें : पिछले वर्ष के आधिक्य शेष को अग्रेनीत किया गया	12373	8478
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष	**19411**	**14483**
विनियोजन :		
लाभांश		
अंतरिम	0	1250
अंतिम प्रस्तावित	2120	560
लाभांश पर कर		
अंतरिम	0	207
अंतिम प्रस्तावित	344	20793
तुलपन-पत्र में ले जाया गया शेष	**16947**	**12373**

वित्तीय कार्य-निष्पादन

राजस्व

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कुल आय 20551.00 मिलियन रुपए है। (विगत वर्ष 16893.00 मिलियन रुपए) आय में 21.65% की वृद्धि हुई है।

लाभ

यह सूचित करने में बड़ी खुशी हो रही है कि आपकी कम्पनी ने वर्ष 2011-12 के दौरान 7038.00 मिलियन रुपए (गत वर्ष 6005 मिलियन रुपए) का निवल लाभ अर्जित किया है।

1000 मेगावाट टिहरी - एचपीसी के भूमिगत विद्युत गृह का दृश्य

कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 17.20% की वृद्धि हुई है। वालू वर्ष 2011-12 का प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (ईपीएस) 213.44 रुपए (गत वर्ष 182.10 रुपए) है।

निगम की संस्थापित क्षमता बढ़कर 1400 मेगावाट हो गई है।

कोटेश्वर विद्युत संयंत्र पूरी तरह से चालू हो गया है और

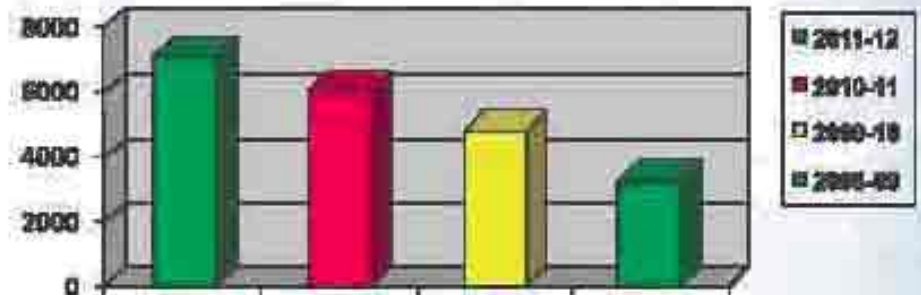

	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
निवल लाभ (मिलियन में)	7038	6005	4799	3252

लाभांश

आपके निदेशकों ने वर्ष 2011-12 के लिए 64.29 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। वर्ष हेतु भुगतान किया गया लाभांश 2120.00 मिलियन रुपए है, जो प्रदत्त पूंजी के 6.42% और कर पश्चात लाभ (पीएटी) के 30.12% को दर्शाता है। लाभांश को वार्षिक आम सभा(एजीएम) में मंजूरी के बाद अदा किया जाएगा।

पूंजी संरचना

कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 4000.00 करोड़ रुपए है। कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 3287.58 करोड़ रुपए है। कम्पनी ने पीएसपी परियोजना की इक्विटी के लिए भारत सरकार से 46.00 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं, जिसे तुलन-पत्र की तारीख को आवंटन लंबित होने तक शेयर पूंजी आवेदन राशि के रूप में दर्शाया गया है।

प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट)- पूर्ण रूप से चालू कर दी गई।

आपके निदेशकों को सूचित करते हुए अपार खुशी हो रही है कि कोटेश्वर एचईपी की 100 मेगावाट प्रत्येक की दो यूनिटों (यूनिट 3 और यूनिट 4) को क्रमशः 12 जनवरी और 12 मार्च को चालू कर दिया गया है। इसके साथ ही 200 मेगावाट की नई क्षमता वर्ष के दौरान उत्तरी ग्रिड में संयोजित कर दी गई है और परियोजना की यूनिट 1,2,3 और 4 को क्रमशः 1 अप्रैल, 11, 28 अक्तूबर-11, 13 फरवरी-12 और 1 अप्रैल-12 से वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपकी कम्पनी ने 5334 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 4691.28 मि.यू. (टिहरी एचपीपी से 3983.68 मि.यू. तथा कोटेश्वर एचईपी से 607.6 मि.यू. का उत्पादन किया गया) (गत वर्ष 2797.00 मि.यू. की तुलना में वास्तविक उत्पादन 3116.03 मि.यू. था) विद्युत का उत्पादन किया। टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी दोनों ने क्रमशः 3983.68 मि.यू. और 607.6 मिलियन यूनिट का उत्पादन करके "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है। टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी ने क्रमशः 85.64% और 77.00% के "संयंत्र उपलब्धता फैक्टर (पीएएफ) को प्राप्त किया।

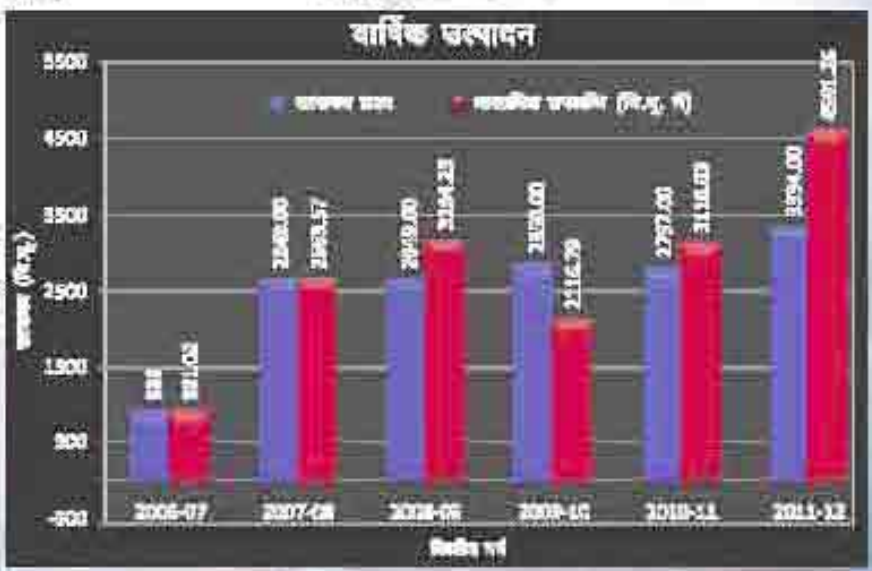

ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के अलावा, कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली और सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को वर्ष के दौरान प्रचालन में लाया गया है। ओएमएस के अनुरक्षण प्रबंधन मॉड्यूल को भी विद्युत संयंत्र की वार्षिक अनुरक्षण योजना एवं मॉनीटरिंग हेतु टिहरी विद्युत गृह में प्रचालन में लाया गया है।

टिहरी बांध एवं जलाशय का विहंगम दृश्य

वाणिज्यिक निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अनंतिम टैरिफ के आधार पर 11475.63 मिलियन रुपए (गत वर्ष 11139.19 मिलियन रुपए) के राजस्व की लाभार्थियों से वसूली की गई है, जो ऊर्जा की बिक्री (68.45% वसूली) के प्रति 16766.09 मिलियन रुपए की बिलिंग के लिए है।

माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 2008-09 की अवधि के लिए टिहरी एचईपी के टैरिफ के निर्धारण हेतु 15.03.2012 को सुनवाई की थी और माननीय सीईआरसी द्वारा शीघ्र ही टैरिफ को अनुमोदित किए जाने की आशा है। टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए 2009-2014 की अवधि के लिए टैरिफ याचिकाओं को भी वर्ष के दौरान स्वीकार किया गया है।

आपकी कम्पनी के सभी ग्राहकों ने निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए उत्कृष्ट रेटिंग के साथ अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए अपने फीडबैक दिए हैं।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति :

टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट)

परियोजना के प्रमुख कार्य एकल ईपीसी संविदा के जरिए निष्पादित किए जा रहे हैं। ईपीसी/टर्नकी के संबंध में परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुज्ञा पत्र मैसर्स अल्स्टॉम हाइड्रो फ्रांस और हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी के संयुक्त संघ को 23 जून, 2011 को जारी किया गया है। परियोजना पर कार्य 27 जुलाई, 2011 से शुरू किया गया है। चार अप्रोच एडिट की खुदाई पूरी हो गई है। छह पहुंच एडिट की खुदाई प्रगति पर है। विद्युत गृह कैवर्न की शीर्ष कटाई शुरू हो गई है। विद्युत गृह कैवर्न के डिजाइन एवं ड्राइंगों को अंतिम रूप दिया जाना है। पम्प टर्बाइनों की मॉडल टेस्टिंग जुलाई, 12 में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। परियोजना के आरंभिक कार्यकलापों की प्रगति धीमी है और ठेकेदार को कार्यों की प्रगति में सुधार लाने के लिए नियमित रूप से कहा जा रहा है। परियोजना फरवरी, 18 तक चालू होनी निर्धारित है।

विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (444 मेगावाट)

परियोजना कार्यों हेतु 80.507 हेक्टेयर वन भूमि के अन्तरण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चरण-I की मंजूरी कुछेक शर्तों को पूरा करने के साथ 3 जून, 11 को प्रदान की गई थी। सभी 27 शर्तों के अनुपालन के बाद, उत्तराखण्ड सरकार ने मार्च, 2012 में चरण-II की वन मंजूरी प्रदान करने के लिए अपनी सिफारिशें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी हैं। वन-रोपण क्षतिपूर्ति के लिए 48 करोड़ रुपए की राशि और सीएटी योजना भी जमा कर दी गई है। राज्य वन्य जीव बोर्ड ने फरवरी, 2012 में वीपीएचईपी के मामले में पहले ही सिफारिश कर दी है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल), नई दिल्ली की संस्तुतियों की प्रतीक्षा है। इसके बाद वन भूमि के परिवर्तन/चरण-II की मंजूरी पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

टिहरी बांध का स्पिलवे

648 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण राशि के लिए अगस्त, 2011 में विश्व बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सिविल एवं एचएम

पैकेज की ईपीसी संविदा के लिए बोलियों के मूल्यांकन को शुरू कर लिया गया है और विश्व बैंक ने मार्च, 2012 में अपना अनापत्ति प्रमाणपत्र अग्रसारित कर दिया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चरण-II की मंजूरी प्रदान करने के बाद संविदा अवार्ड करना संभव होगा। इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पैकेज हेतु पूर्व अर्हता बोलियां विश्व बैंक की सिफारिशों का पालन करते हुए पुनः आमंत्रित की गई हैं। विशेष प्रापण सूचना (एसपीएन) 6 मार्च, 12 को प्रकाशित की गई है। बोलीदाताओं के अनुरोध पर पूर्व अर्हता आवेदनों को जमा करने की अंतिम तारीख 28 अक्तूबर, 2012 तक बढ़ा दी गई है। परियोजना कार्यों के अवार्ड होने के बाद 54 महीने के भीतर चालू किए जाने की योजना है। परियोजना हेतु आधारभूत कार्यों का निर्माण प्रगति पर है।

कोटेश्वर बाँध का [illegible] दृश्य

अक्तूबर, 11 के मूल्य स्तर पर 3748.08 करोड़ रुपए राशि के पुनरीक्षित लागत अनुमान (आरसीई) (जिसमें 309.53 करोड़ रुपए का आईडीसी एवं एफसी शामिल है) राशि को 28 मार्च, 12 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है और यह सीईए/सीडब्ल्यूसी के जांचाधीन है।

ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट)

आपके बोर्ड द्वारा परियोजना का निवेश अनुमोदन मार्च, 2011 में 195.42 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर प्रदान किया गया है, जिसमें अप्रैल, 2010 के मूल्य स्तर पर 12.89 करोड़ रुपए की आईडीसी शामिल है। इक्विटी भाग अर्थात् परियोजना लागत का 30% निगम द्वारा अपने आन्तरिक संसाधनों से वित्तपोषित किया जाएगा।

39 हेक्टेयर वन भूमि के लिए चरण-1 की मंजूरी हेतु प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है। परियोजना मुख्य निर्माण कार्यों के लिए संविदाएं अवार्ड करने के 30 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

कोटेश्वर बाँध का [illegible] दृश्य

अन्वेषणाधीन परियोजनाएं

उत्तराखण्ड राज्य में

• झेलम तमक एचईपी

झेलम तमक एचईपी की डीपीआर तैयार की गई थी और दिसम्बर, 2010 में सीईए को प्रस्तुत की गई। मसौदा ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट भी तैयार की गई थी तथा टिप्पणियों को समाविष्ट किया गया था। संस्थापित क्षमता के 60 मेगावाट (पीएफआर स्तर) से 128 मेगावाट (डीपीआर स्तर) में संवर्धन और संरचनाओं की ऊंचाई में परिवर्तन को देखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरण मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने 27 अप्रैल, 12 को आयोजित अपनी बैठक में ईआईए अध्ययन के संशोधित टीओआर को अनुमोदित किया है। यह निर्धारित किया गया था कि झेलम तमक एचईपी और तमक लता एचईपी के बीच 200 मी. के स्वतंत्र प्रवाह विस्तार को बनाए रखा जाए और 1 किमी. के स्वतंत्र प्रवाह विस्तार को झेलम तमक एचईपी और मलारी झेलम एचईपी के बीच बनाए रखा जाए। मानसून के दौरान पर्यावरण प्रवाह को 5 क्यूमेक्स तक संशोधित किया गया है। तदनुसार, परियोजना की संस्थापित क्षमता को 108 मेगावाट तक पुनरीक्षित किया गया है और परियोजना की डीपीआर को अद्यतन किया जा रहा है।

• मलारी झेलम एचईपी

ईएसी के पुनरीक्षित टीओआर की संस्तुतियों को देखते हुए मलारी झेलम एचईपी के टीआरटी आउटलेट और झेलम तमक एचईपी के एफआरएल के बीच 1 किमी स्वतंत्र प्रवाह विस्तार रखने के लिए परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है। तदनुसार डीपीआर की तैयारी की जाएगी।

• बोकांग बेलिंग, करमोली और जदगंगा एचईपीज

बोकांग बेलिंग (330 मेगावाट), करमोली (140

मेगावाट) और जलगंगा (80 मेगावाट) एचईपी संरक्षित वन्य जीव क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। वन भूमि के अनारक्षण हेतु भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अंतवर्ती आवेदन दर्ज किया गया है।

एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति की बैठक के बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ड्रिलिंग एवं ड्रिफ्टिंग के बगैर बोकांग बेलिंग जल विद्युत परियोजना में कार्यों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान की। चूंकि डीपीआर अन्वेषण कार्य को ड्रिलिंग एवं ड्रिफ्टिंग के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए मामले को ड्रिलिंग एवं ड्रिफ्टिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु मुख्य वन्य जीव वार्डन/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

श्री आर.एन.पी.शर्मा, अ. एवं प्र. नि. (बाएं), श्री सुशीलकुमार शिंदे माननीय विद्युत मंत्री, भारत सरकार से "... ... ..." पुरस्कार प्राप्त करते हुए, साथ में ... निदेशक, ... (दाएं)।

मुख्य वन्य जीव वार्डन के आग्रह पर करमोली एवं जदगंगा परियोजनाओं के लिए एक मौसम के ईआईए/ईएमपी अध्ययन पूरे किए गए थे तथा अध्ययन की रिपोर्ट को मामले की सिफारिश हेतु मुख्य वन्य जीव वार्डन, उत्तराखण्ड सरकार को भेज दिया गया था। निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क ने सर्वेक्षण एवं जांच कार्यों के लिए अनुमति की मंजूरी नहीं देने के पक्ष में विचार भेजे हैं। मामले को पुन: सर्वेक्षण एवं जांच शुरू करने की अनुमति प्रदान करने के लिए नये सिरे से वन प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

महाराष्ट्र राज्य में

• मलशेज घाट पीएसएस (700 मेगावाट)

मलशेज घाट पीएसएस की डीपीआर को 700 मेगावाट की संवर्धित संस्थापित क्षमता के साथ पहले ही पूरा कर लिया गया है और महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) को भेजा गया है। 29 अप्रैल, 2011 को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में, महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि राज्य मंत्रिमण्डल की मंजूरी के अध्यधीन टीएचडीसीआईएल और एनपीसीआईएल एक संयुक्त उद्यम के जरिए मलशेज घाट पीएसएस के कार्यान्वयन हेतु सहमत हुए हैं। औपचारिक मंजूरी की प्रतीक्षा है।

• हुम्बर्ली पीएसएस (400 मेगावाट)

हुम्बर्ली पीएसएस, कोयना वन्य जीव अभयारण्य (डब्ल्यूएलएस) के सीमांत क्षेत्र में स्थित है। परियोजना के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य को शुरू करने के लिए प्रस्ताव को अगस्त, 2011 में एनबीडब्ल्यूएल के विचारार्थ महाराष्ट्र सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को भेज दिया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति की प्रतीक्षा है।

भूटान में परियोजनाओं का विकास

जल विद्युत क्षेत्र के विकास में भारत-भूटान सहयोग के अंतर्गत भारत सरकार ने डीपीआर के अद्यतनीकरण हेतु भूटान में आपकी कम्पनी को दो परियोजनाएं, नामत: संकोश बहुद्देशीय परियोजना (4060 मेगावाट) और बुनाखा जल विद्युत परियोजना (180 मेगावाट) आवंटित की थी।

• संकोश जल विद्युत परियोजना

आपकी कम्पनी ने अप्रैल, 2009 में रॉकफिल बांध की मूल योजना पर आधारित संकोश जल विद्युत परियोजना (4060 मेगावाट) की डीपीआर के अद्यतनीकरण को आरम्भ में पूरा कर लिया था। सीडब्ल्यूसी ने सुझाव दिया कि तलछट के बेहतर व्यवस्थापन हेतु और बांध की दीर्घायु को भी ध्यान में रखते हुए कंक्रीट बांध की संभाव्यता का पता लगाया जाए। तदनुसार कंक्रीट बांध विकल्प के साथ संकोश जल विद्युत परियोजना (4060 मेगावाट) के डीपीआर को तैयार किया गया था और मई, 2011 में सीईए और सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया था। संकोश जल विद्युत परियोजना पर 7.28 रुपए (स्तरीकृत) के उच्च टैरिफ को देखते हुए भारत सरकार और शाही भूटान सरकार ने निर्णय लिया कि बांध की ऊंचाई को ईष्टतम करते हुए संकोश की जीवनक्षमता में और सुधार किया जाए। बांध ऊंचाई के वैकल्पिक विकल्पों के साथ

उच्चीय स्थायी समिति के साथ श्री आर.एन.पी.शर्मा, अ. एवं प्र. नि.

अभीष्टीकरण अध्ययन आपकी कम्पनी द्वारा पूरे किए गए थे और संशोधित योजना को अंतिम रूप दिया गया है तथा 3 फरवरी, 2012 को आयोजित बैठक में अधिकार प्राप्त संयुक्त समूह (ईजेपी) को प्रस्तुत किया गया। ईजेपी द्वारा ईष्टतमीकृत संकोश एचईपी (2580 मेगावाट) के डीपीआर की तैयारी के लिए "आगे बढ़ो" प्रदान किया गया था। तदनुसार, संकोश परियोजना (2580 मेगावाट) की ईष्टतमकृत डीपीआर को तैयार किया गया था और 27 अगस्त, 12 को सीईए और सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया था।

● बुनाखा एचईपी

मार्च, 2010 में बुनाखा एचईपी की व्यवहार्यता पर मंजूरी प्राप्त करने के बाद, आपकी कम्पनी ने डीपीआर तैयार करने का काम ग्रहण किया। बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) की डीपीआर को पूरा कर लिया गया है और अगस्त, 2011 में सीईए और सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया। बुनाखा एचईपी की डीपीआर की जांच सीईए/ सीडब्ल्यूसी में प्रगति पर है। इसी बीच ड्रूक ग्रीन पॉवर कार्पोरेशन, भूटान और एसजेवीएनएल के साथ बुनाखा एचईपी की डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं के साथ स्थापनकर्ताओं की लागत शेयरिंग हेतु चर्चाएं चल रही हैं।

ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण

● खुर्जा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन-1320 मेगावाट :

परियोजना की पीएफआर और ईआईए अध्ययन हेतु टीओआर तैयार किए गए थे और अगस्त, 2011 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए थे। ईआईए अध्ययनों के लिए टीओआर को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। तदनुसार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कार्य ग्रहण किया गया है और इसके लिए परामर्शी सेवा के कार्य को दिसम्बर, 2011 में एनटीपीसी को सौंपा गया है। विभिन्न अन्वेषण, अर्थात् : टोपोग्रॉफिकल सर्वेक्षण, स्थल भूकम्पीय अध्ययन, जल निकासी अध्ययन, हाइड्रोलॉजिकल क्षेत्र जल निकासी अध्ययन, कोयला परिवहन एवं रेलवे साइडिंग अध्ययन और राख अनुप्रयोग पर मार्किट अध्ययन, भू-तकनीकी अन्वेषण और ईआईए अध्ययन प्रगति पर है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर 400 करोड़ रुपए तक अग्रिम व्यय करने के लिए प्रस्ताव कोयला लिंकेज एवं पर्यावरण मंजूरी मिलने तक भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

● नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम

➤ पवन ऊर्जा उत्पादन

आपकी कम्पनी पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विविधीकरण की संभावनाओं का पता लगा रही है। सेन्टर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी (सी-वैट) को 50 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए परामर्श उपलब्ध कराने हेतु परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। 50 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। किसी पवन संभावित राज्य, अर्थात् राजस्थान/मध्यप्रदेश/गुजरात/महाराष्ट्र में उपयुक्त स्थल पर 50 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए ईपीसी संविदा अवार्ड करने हेतु प्रक्रिया शुरू की गई है। आपकी कम्पनी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में भी पवन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन किए हैं।

➤ सौर ऊर्जा उत्पादन

आपकी कम्पनी ने उत्तर प्रदेश में ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए पहल की है। राज्य की नोडल एजेंसियों से सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। आपकी कम्पनी उत्तर प्रदेश में 200 मेगावाट क्षमता का सौर फॉर्म स्थापित करके सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी उद्यम करने की योजना बना रही है।

ऊर्जा संरक्षण

श्री डी.के. सिंह, निदेशक (वित्त), टीएचडीसीआईएल (बाएं) श्री गोपाल सक्सेना, सीईओ, ... (दाएं) से विद्युत क्रय करारों का आदान-प्रदान करते हुए

आपकी कम्पनी मांग पक्ष प्रबंधन के रूप में बिजली के प्रभावी प्रयोग में विश्वास करती है। कम्पनी ने संयंत्र क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण अध्ययन कराने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली को नियुक्त किया है।

एनपीसी ने कुछ उपायों की सिफारिश की है जो अन्ततः कार्यान्वित होने पर ऊर्जा की बचत करेंगे। इसी तरह का प्रयोग ऋषिकेश परिसर में ऊर्जा दक्षता के लिए किया जा रहा है। आवासीय एवं कार्यालय परिसर की ऊर्जा संबंधी लेखा परीक्षा भी, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान के जरिए कराई गई थी।

ऊर्जा दक्षता उपकरणों के रूप में विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करने से वर्ष 2011-12 (गत वर्ष

कोटेश्वर एचईपी के लिए पुरस्कृत "पीएमआई इंडिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अवार्ड - 2012" के साथ श्री डी.वी. सिंह, निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीइंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में

2149506 यूनिट) में यूनिटों की खपत घटकर 2070850 यूनिट हुई है। इस प्रकार, बिजली की खपत वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में 3.66% कम हुई है।

ऋषिकेश परिसर में सौर ऊर्जा का प्रयोग

ऊर्जा लेखा परीक्षक की सिफारिश के अनुसार, सभी होस्टलों एवं अतिथि गृहों में सौर जल हीटर लगाए गए हैं। सौर प्रणाली को पार्क क्षेत्र में प्रकाश हेतु और ऋषिकेश परिसर के चारों ओर बिजली की बाड़ के लिए स्थापित किया गया है। सभी नए भवन दिन में प्रकाश के उचित प्रयोग के लिए दिन के प्रकाश की व्यवस्था से सुसज्जित हैं। स्वचालित पॉवर फैक्टर कंट्रोलर पॉवर आपूर्ति प्रणाली में सुधार लाने और क्षतियों को कम करने के लिए संस्थापित किया गया है। 100 किलोवाट का स्टैंडएलोन पॉवर प्लांट ऋषिकेश परिसर में स्ट्रीट लाइट की जरूरत को पूरा करने के लिए संस्थापित किए जाने की योजना है।

प्रौद्योगिकी समावेशन, अपनाना और नवीनीकरण

आपकी कम्पनी ने प्रौद्योगिकी समावेशन एवं नवीनताओं को अपनाने में कई कदम उठाए हैं।

➢ रोलर कम्पेक्टेड कंक्रीट प्रौद्योगिकी का प्रयोग

आपकी कम्पनी ने भूटान में दो ऊंचे बांधों, अर्थात् संकोश (220 मी.) और बुनाखा (188 मी.) के लिए पर्यावरण अनुकूल "रोलर कम्पेक्टेड कंक्रीट" का प्रयोग प्रस्तावित किया है। पूर्वोक्त दो बांधों की डीपीआर में सुपरिष्कृत प्रौद्योगिकी केवल परियोजना की लागत को ही पर्याप्त रूप में कम नहीं करेगी बल्कि काफी बड़ी मात्रा में उड़ती हुई राख का अनुप्रयोग करके पर्यावरण को भी संरक्षित करेगी।

➢ ढलान स्थिरीकरण के लिए गतिक रॉकफाल अवरोधकों की आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग

कम्पनी ने एक परामर्शी परियोजना माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर प्रायोगिक रॉकफाल बचाव अवरोधकों के प्रयोग के लिए योजना बनाई है तथा लिखित विनिर्देशन तैयार किए हैं। रॉकफाल अवरोधक लचीली प्रणाली होती है, जो अपनी ऊर्जा अवशोषण विशिष्टता के कारण गिरती चट्टान से ऊर्जा के प्रभाव को सोख लेती है और इस तरह चट्टानों को और खिसकने से सफलतापूर्वक रोकती है। इस प्रणाली में मुख्य रूप से अन्तःअवरोधन संरचना, सपोर्ट संरचना और उच्च तनन शक्ति (>1770 एन/मिमी²) के धात्विक केबलों, वायरों एवं/अथवा छड़ों के बने कनेक्शन संघटक निहित हैं। कनेक्शन संघटकों में कनेक्टिंग रस्सियां, स्टील के केबल, वायर और/अथवा विभिन्न प्रकार की छड़ें और सामग्री, बंधन, क्लैम्प, ऊर्जा फैलाव यंत्र शामिल हैं, जो भार को संचार के दौरान आधार संरचना को संप्रेषित करते हैं और/अथवा स्थिरतः अन्दर अवरोधन संरचना को बनाए रखता है।

➢ परियोजना क्षेत्र के सभी स्थलीय सर्वेक्षणों में इन-हाउस क्षमता निर्माण

आपकी कम्पनी ने अपने स्वयं के केन्द्रीकृत "सर्वेक्षण" ग्रुप स्थापित करने की पहल की है। ग्रुप को मौजूदा संरचनाओं के कार्यकरण को मॉनीटर करने से भिन्न बड़ी स्थलाकृति डाटा को प्राप्त करने और संसाधित करने में नवीनतम प्रौद्योगिकी (जैसे कि एलआईडीएआर स्कीम आदि) के प्रयोग में प्रशिक्षित किया गया है। ग्रुप ने निगम के लिए पर्याप्त खर्च की बचत करते हुए लगभग 10 ऐसी परियोजनाओं को संतोषजनक ढंग से पहले ही पूरा कर लिया है; जिसे अन्यथा इन कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग पर खर्च किया जाता।

➢ कंक्रीट लिफ्ट जोड़ के जरिए रिसाव से बचाव के द्वारा बांध की सुरक्षा को बढ़ाना

कंक्रीट लिफ्ट जोड़ों के जरिए रिसाव की समस्या को दूर करने के लिए जल बहनीय संरचनाओं के ऊर्ध्वमुखी फलक के कंक्रीट जोड़ों में विशेष वी-ग्रूव के नवीनतम प्रयोग एवं एपॉक्सी उपचार को कोटेश्वर एचईपी में अपनाया गया है। हाइड्रोफोबिक इपॉक्सी वी-ग्रूव उपचार को तकनीकी सलाहकारी समिति की सिफारिशों के अनुपालन में स्थल पर कार्यान्वित किया गया था, जो प्रभावी साबित हुआ है।

अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए ऋषिकेश में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास नीति तैयार कर ली गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

वर्ष के दौरान दो अध्ययन रिपोर्टें तैयार की गई हैं, ये इस प्रकार हैं :

- निम्न ऊष्मा सीमेंट का प्रयोग करते हुए उच्च शक्ति की कंक्रीट का विकास।
- बड़े जलाशय हेतु समीप मण्डल में हलचल भाग का मूल्यांकन।

अभियांत्रिकी परामर्श

आपकी कंपनी ने जल विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में परामर्शी एवं सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक अभियांत्रिकी परामर्शदायी विभाग स्थापित किया है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने आपकी कम्पनी को दमन गंगा-पिंजल लिंक परियोजना के तहत दो लघु जल परियोजनाओं के विद्युत संभाव्यता अध्ययनों एवं ई एवं एम अध्ययन सौंपे हैं। बुगाड़ और खलीहित बांध परियोजना के लिए विद्युत संभाव्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

उड़ीसा जल विद्युत निगम लि. (ओएचपीसी लि.) ने लगभग 81.00 लाख रुपए कुल मूल्य पर ऊपरी इंद्रावती जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट), ऊपरी कोलाब जल विद्युत परियोजना (320 मेगावाट) और बालीमेला जल विद्युत परियोजना (510 मेगावाट) पर पम्प स्टोरेज पॉवर प्लान्टों के लिए साध्यता पूर्व रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदायी कार्य सौंपा है। ऊपरी कोलाब जल विद्युत परियोजना (320 मेगावाट) की साध्यता पूर्व रिपोर्ट के मसौदे को उड़ीसा जल विद्युत निगम लिमिटेड को प्रस्तुत किया गया है।

भूमिगत टिहरी विद्युत गृह के भ्रमण के दौरान [illegible] निदेशक (तकनीकी)

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने पार-तापी एवं नर्मदा लिंक परियोजना के तहत 6 लघु जल परियोजनाओं का विद्युत संभाव्यता अध्ययन और ई एवं एम अध्ययन करने के लिए आपकी कम्पनी का चयन किया है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) शीघ्र ही आशय पत्र (एलओआई) जारी करने जा रही है।

उत्तराखण्ड में वरुणावत पर्वत भू-स्खलन के स्थिरीकरण कार्यों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आपकी कम्पनी ने 8 जून, 2011 को श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंदिर बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) के साथ "कटरा और श्री माता वैष्णो देवी जी तीर्थ मंदिर के बीच कमजोर जोनों के स्थिरीकरण के लिए परिकल्प एवं अभियांत्रिकी उपाय" के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

गुणवत्ता आश्वासन

आपकी कम्पनी को मार्च, 2012 में तीन वर्ष की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी और वीपीएचईपी, पीपलकोटी के लिए आईएसओ 9001 : 2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 14001 : 2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्रदान किया गया है। कार्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश के पुनर्प्रमाणन के लिए भी आईएसओ 9001 : 2008 प्राप्त किया गया था।

कम्पनी अब केएचईपी, कोटेश्वर में आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा कार्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएएस 18001 : 2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मूल्यांकन प्रणाली) का कार्यान्वयन कर रही है। उपर्युक्त के लिए प्रमाणन निकाय को फरवरी/मार्च, 2013 तक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

परियोजना वित्त - पोषण

क्रेडिट रेटिंग संस्था मै. सीएआरई ने 2000 करोड़ रुपए टिहरी पीएसपी (1500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर) के ऋण के लिए वित्तीय संस्था/बैंकों से वाणिज्यिक उधारी करने के लिए टीएचडीसीआईएल को दूसरी उच्चतम रेटिंग 'एए' की पुन: अभिपुष्टि की है।

मानव संसाधन प्रबंधन

01.08.2012 की स्थिति के अनुसार आपकी कम्पनी का 2167 कार्मिकों का एक मजबूत मानव संसाधन आधार है, जिसमें 803 कार्यपालक, 155 पर्यवेक्षक और 1209 कामगार हैं। जनशक्ति मेगावाट अनुपात 1.54 है। कम्पनी ने हमेशा अपनी मानव पूंजी को अपनी सबसे बड़ी सम्पत्ति के रूप में समझा है। इसके अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए भरपूर प्रयास किया है और दूसरे विद्युत क्षेत्र के संगठनों के समतुल्य मजदूरी नीतियों को अंगीकृत किया है। अनुपात दर नगण्य हो गयी है।

आपकी कम्पनी ने टीम भावना को जगाने के लिए तथा व्यक्तिगत स्तर पर और टीम स्तर पर भी कर्मचारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मकता की अनुभूति बढ़ाने के लिए "पुरस्कार एवं पारितोषिक योजना" शुरू की है। इसमें उत्पादकता, प्लांट की देखरेख, सुरक्षा, आवासीय कालोनी की देखभाल, कार्यालयों की देखभाल और अतिथि गृहों की देखभाल के लिए टीम स्तर पर छह पुरस्कार हैं। व्यक्तिगत स्तर पर इसमें छह पुरस्कार होंगे जो कार्यपालक, पर्यवेक्षक और कामगार की प्रत्येक श्रेणी में दो होंगे।

सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम के समापन पर श्री एच. के. सिन्हा, निदेशक (कार्मिक) के साथ प्रतिभागियों का ग्रुप फोटो

एक "सतत आजीविका एवं सामुदायिक विकास केन्द्र" ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। यह अब परियोजना प्रभावित परिवारों की अनवरत आजीविका को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। परिसरों को टीएचडीसीआईएल कर्मचारियों को समय-समय पर आन्तरिक प्रशिक्षण देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है।

संगठन में रणनीतिक अभिविन्यास एवं व्यापक नेतृत्व संव्यवहारों का विकास करने के लिए अभिवृष्टि को नया जीवन देने के लिए विद्युत क्षेत्र में मौजूदा एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, दोनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित एवं संचालित किए जाते हैं। वर्ष 2011-12 के लिए एचआरडी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लगभग 3.68 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। आपकी कम्पनी ने उत्साह प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग/एचआर क्षेत्रों में 39 युवा प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रवेश दिया है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, उत्कृष्ट रेटिंग हेतु रखे गए 5848 कार्य दिवसों के समझौता ज्ञापन के लक्ष्य के प्रति 6469 कार्य दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 2101 कर्मचारियों को शिक्षण के अवसर प्रदान किए गए हैं। कुल मिलाकर, वर्ष के दौरान 77 इन-हाउस समर्पित प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए थे। पूरे वर्ष में कई कम्प्यूटर कार्यक्रमों के माध्यम से आईटी साक्षरता पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विदेश प्रशिक्षण सहित प्रतिष्ठित एजेंसियों के बाह्य नामांकन हमारे कार्यपालकों को प्रदान किए गए हैं।

एएससीआई द्वारा वर्ष में टीएनए अध्ययन को पूरा कर लिया गया था। अध्ययन से प्राप्त इनपुटों पर प्रशिक्षण मॉड्यूलों को तैयार करने के लिए विचार किया जा रहा है।

निदेशक मण्डल के प्रकार्यों एवं कार्पोरेट सुशासन की नीति एवं सद्व्यवहार के लिए मुद्दों, संकल्पनाओं और ढांचे के संबंध में उन्हें प्रदर्शित करने के लिए बोर्ड के सदस्यों को अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण दिया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2011 के दौरान संवेदनशील बिन्दुओं के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और कार्य क्षेत्रों में क्या करें तथा क्या न करें तथा भ्रष्टाचार को रोकने में उनकी भूमिका की दिशा में "भारत में काली अर्थव्यवस्था की समझ" पर एक परिचर्चा आयोजित की गई थी।

कार्यपालक प्रशिक्षु-2011 बैच का ग्रुप फोटो

आपकी कम्पनी ने प्रतिभाशाली एवं श्रेष्ठ कर्मचारियों को पुरस्कृत करने हेतु एक ठोस एवं पारदर्शी तथा उचित कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को कार्यान्वित किया है। आपकी कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरस्कार एवं मान्यता देने की एक नई नीति को भी अंगीकृत किया है।

उत्तराधिकार योजना

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने मुख्य पदों के लिए उत्तराधिकारियों की पहचान और उभर कर आने को समर्थ बनाते हुए अपनी उत्तराधिकार योजना तैयार की है ताकि नेतृत्व निरन्तरता को बनाए रखा जा सके। इस तरह से आपकी

कम्पनी अपनी मानव पूंजी की उनकी व्यवसायिक प्रतिबद्धता के लिए विकास एवं पोषण करने हेतु भी समर्थ होगी।

कर्मचारी संबंध

वर्ष के दौरान, टीएचडीसीआईएल परियोजनाओं/स्टेशनों/यूनिटों पर औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण थे। अवधि के दौरान किसी हड़ताल अथवा तालाबन्दी की सूचना नहीं थी। प्रबंधन एवं यूनियन के बीच नियमित वार्तालाप रहा है। वर्ष के दौरान संयोजित बैठकें आयोजित की गई थीं, जिसमें कार्य-निष्पादन एवं उत्पादकता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। कामगारों के प्रतिनिधियों को संयुक्त प्रबंधन परिषद में भाग लेने की अनुमति दी गई थी जहां कर्मचारियों और प्रबंधन प्रतिनिधियों ने समान संख्या में रचनात्मक चर्चा में भाग लिया।

आपकी कम्पनी ने वर्ष के दौरान ग्रीष्मकालीन खेलकूद, शरदकालीन खेलकूदें आदि के आयोजन के साथ ही कई कल्याणकारी कार्यकलापों का आयोजन किया। सामुदायिक त्यौहार जैसे कि दुर्गा पूजा, दीपावली मेला टीएचडीसी परिवार के सदस्यों के बीच मेलजोल बनाने के लिए आयोजित किए गए थे। कई अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलाप कर्मचारियों को दबावमुक्त करने के साथ-साथ एक-दूसरे के बीच बेहतर संबंध सृजित करने के लिए आयोजित किए गए थे। आवासन अधिकारी क्लब बिल्डिंग के लिए एक नए भवन का निर्माण ऋषिकेश में किया गया है, जो जिम एवं अन्य मनोरंजक सुविधाओं से सुसज्जित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहलें

आपकी कम्पनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि पर आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने का प्रयास करती है। इस वर्ष एक उम्मीदवार को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के जरिए कार्यपालक संवर्ग में नियुक्ति प्रदान की गई थी। विशेष भर्ती अभियान के जरिए शेष रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी कम्पनी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग कार्मिकों के कल्याण के संबंध में सरकारी दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है और वास्तविक रूप में उनकी शिकायतों को दूर किया है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के कार्यान्वयन के अनुसरण में निगम ने अपने अधिकांश भवनों में रैम्प के निर्माण के रूप में सहज उपगम्यता उपलब्ध कराई है। आपकी कम्पनी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी से संबंधित कर्मचारियों को नामित कर रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कम्पनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के प्रति बहुत तत्पर रही है। निगम के अपीलीय प्राधिकारी, सीपीआईओ, तथा एपीआईओ के ब्यौरे एवं सूचना मांगने, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करने के लिए सभी संबंधित फॉर्मेट, कम्पनी की वेबसाइट में अपलोड किए गए हैं।

सूचना मांगने वालों से प्राप्त सभी आवेदनों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न स्वरूप की सूचना मांगने वाले भारत के नागरिकों से 153 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन्हें समय पर सूचना उपलब्ध करायी गई।

अपीलों के संबंध में, वर्ष के दौरान, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 21 अपीलें प्राप्त की गई हैं। जांच के बाद सभी अपीलों को, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटाया गया है। 3 अपीलों को केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा भी प्राप्त किया गया है और सभी तीन मामलों में सीपीआईओ/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय को आयोग द्वारा यथावत रखा गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कम्पनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार एवं उसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए भरसक प्रयास किए हैं। सरकारी काम-काज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान परियोजनाओं एवं निगम में कई हिन्दी कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। इसके

कवि सम्मेलन के दौरान कवियों के साथ श्री आर.एस.टी. साई, अ. एवं प्र. नि., निदेशक (वित्त)
निदेशक (कार्मिक) व निदेशक (तकनीकी)

साथ ही सभी कार्यालय आदेश, प्रपत्र और परिपत्र हिन्दी में भी जारी किए गए थे। महत्वपूर्ण विज्ञापन एवं गृह पत्रिकाएं हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी की गई थीं।

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2009-10 के लिए भारत सरकार की "इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना" के अंतर्गत तीसरा पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से दिनांक 14 सितम्बर, 2011 को सीएमडी द्वारा प्राप्त किया गया था। आपकी कम्पनी ने यही पुरस्कार वर्ष 2010-11 के लिए भी जीता था। पुरस्कार को महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी के करकमलों से दिनांक 14 सितम्बर, 2012 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्राप्त किया गया था।

आपकी कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए नराकास (टीओएलआईसी), हरिद्वार द्वारा भी पुरस्कार प्रदान किया गया था।

वर्ष के दौरान, राजभाषा अनुभाग द्वारा 18 कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं, जहां 540 कर्मचारियों को कार्यशाला में और विभिन्न हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। हिन्दी पाठकों में वृद्धि करने के लिए हिन्दी की पुस्तकें खरीदी गई थीं। कम्प्यूटरों/लैपटोपों में द्विभाषी कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए हिन्दी साफ्टवेयर/फान्ट्स संस्थापित किए गए हैं। एक हिन्दी टाइपिंग/ स्टेनोग्राफी प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है। सभी अधीनस्थ कार्यालयों/यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गई थीं। वर्ष के दौरान हिन्दी की गृह पत्रिका "पहल" की शुरूआत के साथ ही रवीन्द्रनाथ टैगोर की वर्षगांठ के मौके पर हिन्दी "काव्य सम्मेलन" आयोजित किया गया था।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन

आपकी कम्पनी ने टिहरी जल विद्युत परियोजना के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में एक बेंचमार्क स्थापित किया है। अतिरिक्त उपाय, जैसे कि सड़क संपर्कता, जन सुविधाओं का पुनर्स्थापन, केबल कार एवं फैरी बोट आदि की व्यवस्था को टिहरी जलाशय घेरे के चारों ओर के क्षेत्र को बेहतर संपर्कता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

440 मी. के विस्तार के साथ डोबरा गांव के पास भागीरथी नदी पर भारी मोटर वाहन पुल का निर्माण भी जिला मुख्यालय अर्थात् एनटीटी से कटे क्षेत्र की संपर्कता में सुधार लाने के लिए 154 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत पर राज्य सरकार एवं टीएचडीसीआईएल/भारत सरकार के 50:50 के वित्त पोषण से किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, एक हल्का मोटर वाहन चिन्यालीसौड़ में भागीरथी नदी पर और दूसरा घोंटी में भिलंगना पर भी राज्य सरकार और टीएचडीसीआईएल/भारत सरकार द्वारा क्रमशः 35.00 करोड़ रुपए और 22.40 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 50:50 के वित्तपोषण से जिला मुख्यालय, अर्थात् एनटीटी से कटे क्षेत्रों की संपर्कता में और सुधार लाने के लिए तैयार किया जा रहा है। टीएचडीसीआईएल का निधि शेयर राज्य सरकार को पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है।

टिहरी बांध परियोजना के परियोजना प्रभावित परिवारों के आवेदनों के निपटान हेतु एक शिकायत निवारण तंत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थापित किया गया है।

आपकी कम्पनी ने संबंधित पणधारियों के साथ विचार-विमर्श करके वीपीएचईपी सहित भावी परियोजनाओं के लिए एक आकर्षक पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति तैयार की है। नीति परियोजना प्रभावित परिवारों के भूमि, घर एवं अन्य संसाधनों एवं आजीविका के साधनों के नुकसान के मामलों को सुलझाएगी।

पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति तैयार करते समय, एनपीआरआर-2007 के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है और कुछ प्रावधानों में सुधार किया गया है। वीपीएचईपी के आरएपी कार्यान्वयन की तीसरे पक्षीय मॉनीटरिंग एवं मध्यवर्ती एवं अनुवर्ती मूल्यांकन हेतु बाह्य परामर्शदात्री एजेंसी की भी नियुक्ति की गई है।

भावी परियोजनाओं के आर एवं आर शीर्ष के तहत परियोजना प्रभावित परिवारों एवं आस-पास के समुदायों के सामुदायिक कल्याण के संबंध में व्यय को पूरा करने के लिए परियोजना लागत के 0.5% का प्रावधान परियोजना लागत अनुमान में किया जा रहा है।

[illegible]

पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरण, आपकी कम्पनी की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विभिन्न पर्यावरणीय चिंताओं के दूर करने के लिए उपायों को आपकी कम्पनी द्वारा कार्यान्वित किया गया है। परियोजना के नकारात्मक प्रभाव का निर्धारण करने के लिए प्रमुख संस्थानों, जैसे कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, नीरी आदि के माध्यम से अध्ययन कराए गए थे। इन अध्ययनों के आधार पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए विस्तृत न्यूनीकरण योजनाएं तैयार की गई थीं। गहन पारिस्थितिकरण अध्ययन भी प्रभाव को मॉनीटर करने के लिए कराए गए थे।

टीएचडीसीआईएल लेडिज क्लब की कार्यकारिणी के साथ श्रीमती आर. एस. ... एवं श्रीमती सुनीता सिंह

आपकी कम्पनी ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों की संभावना की पहचान करने के लिए अपनी सभी नई परियोजनाओं के लिए व्यापक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन शुरू किए हैं। नकारात्मक प्रभावों की क्षतिपूर्ति हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (ईएमपी) तैयार की गई हैं।

विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित अनिवार्य अपेक्षा को पूरा करने के अलावा आपकी कम्पनी ने विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) के लिए अत्याधुनिक अन्तरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार अतिरिक्त अध्ययन किए हैं। एक अलग संपूर्णतावादी पर्यावरणीय मूल्यांकन एवं प्रबंधन रिपोर्ट तैयार की गई है। जलागम क्षेत्र उपचार एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए तीसरे पक्ष की मॉनीटरिंग का प्रस्ताव किया गया है।

धारणीय विकास (एसडी)

आपकी कम्पनी के निदेशक मण्डल ने धारणीय विकास (एसडी) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु डीपीई दिशा-निर्देशों के संबंध में एसडी नीति को स्वीकार किया है। एसडी नीति के अनुसार, दीर्घ अवधि, मध्य अवधि एवं अल्प अवधि के रूप में वर्गीकृत विशेष योजनाओं को तैयार किया गया है। तदनुसार वार्षिक योजनाओं को तैयार किया गया है।

एसडी नीति के अनुसार, कम्पनी ने एसडी परियोजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष अव्यपगत निधि को उद्दिष्ट किया है। 50 लाख रुपए एवं 100 करोड़ रुपए से अधिक कर पश्चात लाभ का 0.1% का न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किया है। अप्रयुक्त निधियों को एसडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जा रहा है। शीर्षस्थ स्तर पर धारणीय विकास परियोजनाओं के संचालन हेतु एक शीर्षस्थ सलाहकारी समिति गठित की गई है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, पांच परियोजनाएं/कार्यकलाप कार्यान्वित किए गए थे जिनमें 50 लाख रुपए के वित्तीय लक्ष्य की तुलना में 53.56 लाख रुपए का कुल व्यय शामिल है। वर्ष 2011-12 के लिए "उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग" में धारणीय विकास के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था। वर्ष 2011-12 में कार्यान्वित एसडी परियोजनाओं/कार्यकलापों में निम्न शामिल हैं :

- एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के जरिए टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर ब्लॉक में 15,000 पौधों का रोपण।
- एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के जरिए जल के पुनर्स्थापन एवं गृह कल्याण के लिए प्रताप नगर ब्लॉक में 2 "नालों" का ढलान स्थिरीकरण।
- जन-जीवन पर्यावरण विकास समिति के जरिए ऊर्जा संरक्षण में मदद हेतु टिहरी गढ़वाल के उपली रमोली में "पनचक्की" का आधुनिकीकरण।
- एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के जरिए एकीकृत विकास एवं स्व सहायता ग्रुप के जरिए जलाशय रिम क्षेत्र के चारों ओर 30 गांवों का सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्धन का कार्यक्रम।

  परियोजना में वर्मी कम्पोस्ट गड्ढे का निर्माण, मौसमी सब्जियों के लिए उच्च उत्पादकता किस्म के बीजों का संवितरण और ग्रामवासियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना शामिल है।
- किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रताप नगर ब्लॉक के उपली रमोली में धारणीय आजीविका एवं संसाधन प्रबंधन हेतु ग्रामीण समुदाय के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनुसंधान केन्द्र की स्थापना।

वर्ष 2012-13 के लिए एसडी योजना में, 98.0 लाख रुपए

भारत की पूर्व राष्ट्रपति माननीया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से स्कोप पुरस्कार के लिए ट्रॉफी ग्रहण करते हुए श्री आर.एस.टी. साई, अ. एवं प्र. नि.

का वित्तीय परिव्यय शामिल है। योजना में टिहरी गढ़वाल जिले के प्रताप नगर क्षेत्र में पनचक्की (घराटों) के आधुनिकीकरण से संबंधित परियोजनाएं, उ.प्र./उत्तराखण्ड में प्रत्येक 10 किलोवाट क्षमता के 2 सामुदायिक सौर विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन, गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी जिले में नाला का उपचार, उत्तर प्रदेश राज्य में प्राकृतिक जल निकायों की मरम्मत, भारतीय विकास पर प्रशिक्षण एवं वृक्षारोपण आदि शामिल है।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

आपकी कम्पनी ने निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित डीपीई दिशा-निर्देशों की दिशा में सीएसआर-सीएस नीति - 2010 लागू की है। सीएसआर नीति की दिशा में सीएसआर योजनाओं के कार्यान्वयन में सम्यक ध्यान दिया गया है। अनुमोदित सीएसआर-सीडी नीति के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ की 2% की अव्ययगत निधि टीएचडीसी सीएसआर-सीडी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्दिष्ट की गई है। सीएसआर परियोजनाओं को कम्पनी प्रायोजित समितियों (सीओएनजीओ), नामतः सेवा टीएचडीसी और टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। सीएसआर बजट के 65% तक के बजट को परियोजनात्मक कार्यस्थल स्थानों के आस-पास के गांवों में उपयोग किया जा रहा है और शेष निधि को व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है, जहां व्यापार को बढ़ाया जा रहा है।

सीएसआर क्रियाकलापों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट अनुबंध-I के रूप में संलग्न है। आपकी कम्पनी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12.04.2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक समारोह में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के लिए अति प्रतिष्ठित स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार टिहरी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्णतावादी विकास एवं टिहरी जिला एवं उत्तर प्रदेश के चार जिलों में महिला सशक्तिकरण कार्यकलापों की मान्यता हेतु दिया गया था।

सतर्कता

वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग का जोर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर तथा वेबसाइट के प्रभावी प्रयोग के जरिए पारदर्शिता को बढ़ा कर सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने पर था। ई-निविदाकरण की प्रक्रिया को लागू कर निवारक सतर्कता को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ऋषिकेश, टिहरी एवं कोटेश्वर में ई-प्रापण आधार पर मदों की आपूर्ति का प्रापण शत-प्रतिशत किया जा रहा है। ई-निविदाकरण में भागीदारी के लिए विक्रेताओं की ऑन-लाइन पंजीकरण प्रणाली को टीएचडीसीआईएल द्वारा शुरू किया गया है। पहले विक्रेताओं को ई-निविदाकरण में भागीदारी के लिए अपने पंजीकरण की पुष्टि करने हेतु हफ्तों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अब नये सिस्टम से ऑन-लाइन भुगतान सुविधा तैयार की गई है और विक्रेता अपना ऑन-लाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अवार्ड की गई संविदाओं को हर महीने वेबसाइट में प्रकाशित किया जाता है। ई-भुगतान पद्धति शुरू की गई है और इसका पालन किया जा रहा है। ठेकेदारों को ई-भुगतान के लिए विकल्प दिए जा रहे हैं। मार्च, 2011 से अधिकांश शत-प्रतिशत संविदात्मक अदायगियां इलैक्ट्रॉनिक रूप में की जा रही हैं (कुछ अनसुलझे मामलों के कारण कुछ अपवादों को छोड़कर, जिन्हें खरीद एवं वित्त विभाग के बीच हल किया जा रहा है)। तदनुसार, निविदा दस्तावेजों में शर्तें दी जा रही हैं। आईटी रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया था जिसमें, प्रत्येक विभाग के लिए रोडमैप की कल्पना की गई थी। आईटी रोड मैप के कार्यान्वयन को अब निगम में शुरू किया गया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीवीओ के बीच तिमाही रूप में संरचनागत बैठक की प्रणाली तैयार की गई है। बैठक के कार्यवृत्तों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और प्रति सभी संबंधितों को परिचालित की जा रही है। पूछताछ एवं जांच शुरू करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय-सूची का कुल मिलाकर पालन किया गया था। सतर्कता कार्यों को और सुदृढ़ बनाने के क्रम में सतर्कता विभाग द्वारा नियमित एवं औचक निरीक्षण भी किए गए थे। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा विभिन्न कार्यों की गहन जांच संबंधी मैनुअल पर रिपोर्ट को इस तरीके के साथ प्राथमिकता आधार पर लिया गया था कि अधिकांश पैरा निपटा दिए गए थे।

ऑनलाइन शिकायत संचालन प्रणाली प्रचालन में है और शिकायतों को भारत सरकार के वेब पोर्टल - url http://pgportal.gov.in पर भेजा जाना होता है। टीएचडीसी आईएल इस साइट में पंजीकृत है और इसका खाता भी है। इसे निगम कार्यालय, ऋषिकेश में कार्मिक विभाग के जन शिकायत अधिकारी द्वारा निपटाया जाता है। सतर्कता विभाग के लिए एमआईएस के साथ अलग शिकायत संचालन सॉफ्टवेयर को आईटी विभाग की मदद से तैयार किया जा रहा है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2011, 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2011 तक मनाया गया था। इस अवसर पर सतर्कता विभाग ने एक पुस्तिका "चेतना" प्रकाशित की, जिसमें सतर्कता विभाग द्वारा जांच किए गए मामलों का अध्ययन, सतर्कता विभाग द्वारा जारी किए गए व्यवस्थित सुधार पर पत्र, कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेख/कविताएं और वर्ष 2011 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए गए परिपत्र शामिल हैं। सभी पत्रचारी "सहभागिता सतर्कता" सभ्य समाज की विषयवस्तु के अनुसार शामिल थे। टिहरी में परियोजना प्रभावित क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों से भी विभिन्न कार्यकलापों में भाग लेने का और जनसमूहों में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया गया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कार्यशाला का दृश्य

सतर्कता मंजूरी जारी करने की नई प्रणाली को लागू करने से पारदर्शिता लाने में और प्रबंधकीय निर्णयन में गति प्रदान करने में मदद मिली है। सतर्कता विभाग अपवाद रिपोर्ट के रूप में मंजूरी जारी करता है, जो वास्तविक समय आधार पर का. एवं प्र. विभाग में उपलब्ध होती है।

वर्ष के दौरान, सार्वजनिक प्रापण, सीएसआर, कार्मिक मामलों आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रणाली सुधार शुरू किया गया था।

सतर्कता विभाग के प्रयासों के कारण, निगम वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न कार्यों के संबंध में 10.45 करोड़ रुपए की वसूली करने में समर्थ रहा।

कारपोरेट संचार

आपकी कम्पनी ने पीएसपी के प्रतिवर्ती पम्पों के कार्यकरण के मॉडल को प्रदर्शनी-मंजूषा के मुख्य विषय-वस्तु वाले आईआईटीएफ-2011 में भाग लिया और इसे काफी लोगों ने देखा था तथा सराहा था। कम्पनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा संरक्षण-2011 संबंधी राष्ट्रीय अभियान के तहत उत्तराखण्ड राज्य के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में ऊर्जा संरक्षण पर राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की है। कारपोरेट संचार विभाग ने आपकी कम्पनी की विभिन्न उपलब्धियों को व्यापक ख्याति प्रदान करने के लिए निरन्तर प्रयास किए हैं।

गृह पत्रिका गंगावतरण को संगठन के भीतर संचार के एक साधन के रूप में नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें आपकी कम्पनी के कारोबार के विभिन्न स्थानों की गतिविधियां शामिल होती हैं। विभाग ने विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों, जैसे कि टीएचडीसी वार्षिक रिपोर्ट 2009-10 और 2010-11, विद्युत मंत्रालय और टीएचडीसीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन एवं टीएचडीसी हाइड्रो-टेक आन्तरिक तकनीकी पत्रिका आदि के समयोचित प्रकाशन को भी सुकर बनाया है।

कारपोरेट सुशासन

कम्पनी की सुशासन विचारधारा

कारपोरेट सुशासन के संबंध में आपकी कंपनी की विचारधारा के मूल में निष्ठा, नैतिकता आधारित और पारदर्शी सुशासन परंपराओं की समृद्ध परंपरा है। शक्तियों के प्रत्यायोजन पर पारदर्शी दस्तावेज जारी किया गया है और कार्यपालकों को विभिन्न स्तरों पर सशक्त बनाने और विकेन्द्रीकृत बहुपरियोजना संदर्भ में तुरन्त निर्णय लेने में समर्थ बनाने की दृष्टि से समय-समय पर संशोधित किया गया है। कार्यों और आपूर्तियों के लिए खरीद नीति भी फिर से बनाई गई है जिसमें सरकार के ताजा निर्देशों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, किफायत और जिम्मेदारी बढ़ाना है।

कम्पनी ने अभिलेखों के कारगर रखरखाव हेतु राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में अभिलेख प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की है। सचेतक नीति को कम्पनी में कुछ गलत होने पर कर्मचारियों को सचेत करने के लिए अवसर देने हेतु एक अच्छे कारपोरेट

सुशासन के रूप में प्रयोग किया गया है। जोखिम प्रबंधन नीति को संभावित जोखिमों और इसके न्यूनीकरण के उपयुक्त उपायों का पता लगाने के लिए जारी किया गया है। अच्छे आचरण के विकास हेतु मार्गदर्शन के रूप में आचार-नीति को तैयार किया गया है।

व्यवसाय की पारदर्शिता कारपोरेट सुशासन का मुख्य संघटक है। वैश्विक रिपोर्टिंग पहलों के अनुसार वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है।

हालांकि आपकी कम्पनी एक सूचीबद्ध कम्पनी नहीं है और इसलिए सूचीयन करार का खण्ड 49 इस पर लागू नहीं होता है। कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम/लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के तहत यथा-अपेक्षित अच्छे कारपोरेट सुशासन की पद्धतियों को अपनाने का प्रयास किया है। आपकी कम्पनी के कारपोरेट सुशासन विन्यास को तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से और सुदृढ़ बनाया गया है। कम्पनी ने निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं आचार नीति को अपनाया है।

कारपोरेट सुशासन पर विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों का कार्यकरण एवं कार्यक्षेत्र शामिल है, अनुबंध-II के रूप में इसके साथ संलग्न है।

विनिवेश प्रक्रिया

विनिवेश की प्रक्रिया को समर्थ बनाने के लिए आरंभिक उपाय शुरू किए गए हैं। विनिवेश विभाग के निर्देशों के अनुसार, विनिवेश के रोडमैप को आपके निदेशक-मण्डल द्वारा पहले ही मंजूर किया गया है। आपके निदेशक-मण्डल के पुनर्गठन की कार्यवाई कारपोरेट सुशासन मानकों, सूचीयन करार और आईपीओ अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रक्रियाधीन है। कम्पनी ने आईपीओ के लिए आवश्यक सभी पात्री खण्डों को शामिल करते हुए टीएचडीसीआईएल के बहिर्नियमों एवं अन्तर्नियमों में संशोधन हेतु कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अनुसार आपके निदेशक-मण्डल का कथन है कि :

i) वार्षिक लेखे तैयार करने में सभी लागू लेखाकरण मानक अपनाए गए हैं और जहां पर भी इनसे विचलन हुआ है वहां स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

ii) कम्पनी ने ऐसी लेखाकरण नीतियों को चुना है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा निर्णय एवं अनुमान किए हैं, जो उचित एवं प्रासंगिक हैं, ताकि 31 मार्च, 2012 की स्थिति अनुसार कम्पनी की कार्य स्थिति को और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ एवं हानि लेखा को सही एवं निष्पक्ष दर्शाया जा सके;

iii) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त लेखाकरण रिकॉर्डों के रखरखाव हेतु, कम्पनी की परिसम्पत्तियों के बचाव हेतु और धोखाधड़ी को रोकने एवं उसका पता लगाने के लिए तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv) इन लेखों को चालू कारोबार आधार पर तैयार किया गया है।

निदेशक-मण्डल

अवधि के दौरान, श्री नवनीत के. सहगल, पूर्व सीएमडी, यूपीपीसीएल, श्री किशन सिंह अटोरिया, पूर्व प्रधान सचिव (सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार तथा श्री सुधीर कुमार, पूर्व जे.एस.(एच.), विद्युत मंत्रालय कम्पनी के सरकारी नामिती अंशकालिक निदेशक के पद से हट गए हैं और श्री जी. साई प्रसाद, संयुक्त सचिव, (एच.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को उन भारत सरकार के नामिती के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त अवधि के दौरान तीन स्वतंत्र निदेशक प्रो. (डॉ.) एस.सी सक्सेना, उप-कुलपति (कार्यकारी), जेआईआईटी, नोएडा, श्री राजीव शेखर साहू, प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर और श्री ओ.पी. गहरोत्रा, पूर्व आईएएस अधिकारी, मुम्बई को कम्पनी में नियुक्त किया गया था।

निदेशकों ने सेवानिवृत्त हो रहे निदेशकों से उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त मूल्यवान सलाह एवं मार्गदर्शन की अति सराहना की।

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स आर.जे. गोयल एण्ड कम्पनी, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली और मैसर्स

श्री डी.वी. सिंह, निदेशक [illegible] व श्री [illegible] निदेशक (कार्मिक) के साथ विजेता [illegible] टीम टीएचडीसीआईएल का ग्रुप फोटो

रमनाथियर एंड कम्पनी, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली को भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233-बी के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए क्रमशः टिहरी यूनिट एवं कोटेश्वर यूनिट के लिए लागत लेखाकरण रिकॉर्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में मंजूरी दी गई है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कम्पनी, जो सरकारी कम्पनी है, में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत की जाती है। मैसर्स भाटिया एवं भाटिया, सनदी लेखाकार, 12, सेन्ट्रल लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001, को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अपने पत्र सं. सीए-V/सीओवाई/केन्द्र सरकार के तहत टिहरी एच.(1)/42, दिनांक 17/08/2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 224(8) (एए) के तहत अपेक्षित है, सांविधिक लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु प्रस्ताव को विचारार्थ आगामी वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कम्पनी के लेखों पर अनापत्तिपूर्ण रिपोर्ट दी है। अतः कम्पनी की टिप्पणी शून्य है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अनुपूरक रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां संलग्न हैं।

चूंकि, वार्षिक लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कोई टिप्पणी नहीं की है, अतः प्रबंधन का उत्तर शून्य है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के तहत कर्मचारियों के ब्यौरे

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के तहत कर्मचारियों के यथा संशोधित अपेक्षित ब्यौरे, जो विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक से अधिक परिलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, अनुबंध III के रूप में संलग्न हैं।

आभार

निदेशक मण्डल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कारपोरेट कार्य विभाग, विदेश मंत्रालय, शाही-भूटान सरकार से प्राप्त सहयोग का हृदय से आभार व्यक्त करता है। निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखण्ड सरकार तथा उनके विभिन्न विभागों, विशेष रूप से निदेशक, पुनर्वास टिहरी परियोजना से प्राप्त समर्थन एवं सहयोग के लिए भी आभारी है। निदेशक मण्डल महाराष्ट्र सरकार और न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त समर्थन के लिए भी अति आभारी है।

निदेशक मण्डल सांविधिक लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अध्यक्ष, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II को वर्ष के दौरान उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है।

निदेशक मण्डल कम्पनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर-राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/बैंकों का उनकी समयबद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करके हमारे प्रति अटूट विश्वास एवं आस्था को बनाए रखने के लिए उनका हृदय से शुक्रगुजार है।

निदेशक मण्डल कम्पनी द्वारा विकास एवं उत्कृष्टता प्राप्त करने में सभी स्तर पर कर्मचारियों द्वारा किए गए उनके अथक प्रयासों एवं सहयोग की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

कृते तथा निदेशक मण्डल की ओर से

(आर.एस.टी. साई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कौशाम्बी, गाजियाबाद (उ.प्र.)
दिनांक : 27.08.2012

क. ऊर्जा संरक्षण

किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय	• सिंचाई हेतु पंपिंग जल के लिए आवश्यक ऊर्जा के प्रयोग में अनवरत कमी। • डीजल एवं बिजली की खपत में कमी तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी। • कंपनी में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम पर ध्यान। • ऊर्जा संरक्षण अध्ययन कराने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली को नियुक्त करना। • मैसर्स पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन के द्वारा आवासीय एवं कार्यालय परिसर की ऊर्जा लेखा परीक्षा कराई जानी। • सभी नए भवन डे-लाइट प्रावधान के उपकरणों से सुसज्जित हैं।
यदि कोई अतिरिक्त निवेश एवं प्रस्ताव, ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए कार्यान्वित किए गए हैं।	• सभी हॉस्टलों एवं अतिथि गृहों में सोलर वॉटर हीटर संस्थापित किए गए हैं। • विद्युत आपूर्ति प्रणाली में सुधार करने एवं हानियों को कम करने के लिए स्वचालित विद्युत कारक नियंत्रक स्थापित किए गए हैं। • 100किलोवाट का एक स्टैंडएलोन सौर विद्युत संयंत्र संस्थापित करने की योजना है।
किए गए उपायों के प्रभाव	• 2010-11 में यूनिटों की खपत, जो 2149506 थी, की तुलना में 2011-12 में यूनिटों की खपत घटकर 2070850 हो गई है। • वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में ऊर्जा खपत 3.66% तक घटी है।
ऊर्जा दक्षता उपकरण	• 126 पुराने ए सी स्टार रेटेड ए सी से बदल दिए गए हैं। • शेष ए सी भी स्टार रेटेड ए सी के साथ बदलने की योजना है। • छत के पंखे स्टार रेटेड पंखों के साथ बदलने की योजना है। • स्ट्रीट लाइटें एलईडी/सीएफएल से बदलने की योजना है। • कंपनी के द्वारा सभी व्यापारिक संस्थापनों में काम्पैक्ट लैम्पों का प्रयोग किया जा रहा है।

ख. विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च

क्रम सं.	मांगी गई सूचना	उत्तर
1.	निर्यातों से संबंधित कार्यकलाप: निर्यात को बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पादों एवं सेवाओं के लिए नये निर्यात बाजारों का विकास, और निर्यात योजनाएं।	लागू नहीं
2.	कुल विदेशी मुद्रा अर्जन	शून्य
	कुल विदेशी मुद्रा व्यय	शून्य

वित्तीय विशेषताएं

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08

14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08

1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08

14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08

331000
330000
329000
328000
327000
326000
325000
324000
323000
322000
321000
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08

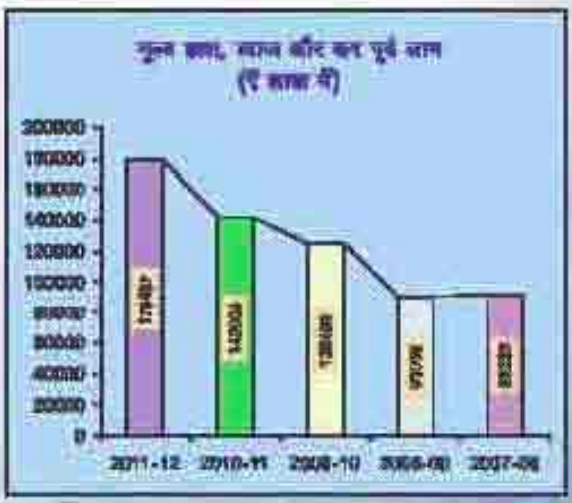
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08

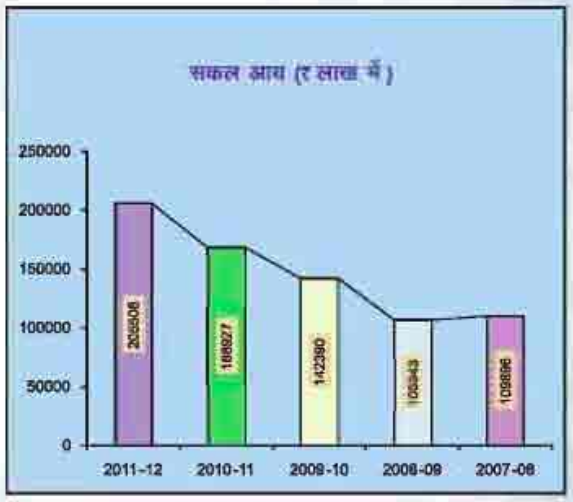

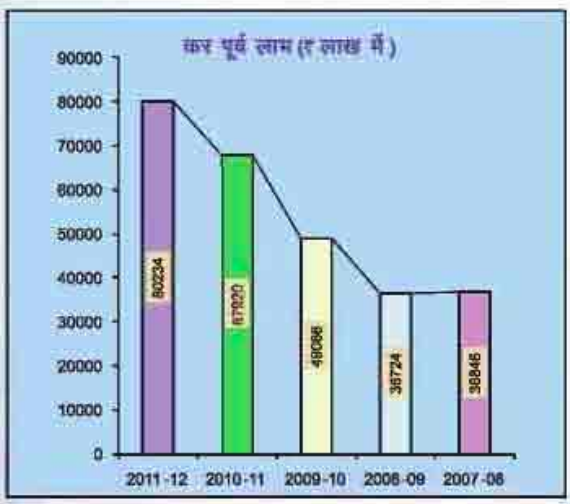

नेट वर्थ
(चुकता पूंजी + आरक्षित एवं अधिशेष-डीआरई)
(₹ लाख में)
620714
577265
545020
516520
489665
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08

सकल आय (₹ लाख में)
205806
168927
142390
105943
109896
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08

कर पूर्व लाभ (₹ लाख में)
80234
67820
49086
36724
36846
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08

मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी
(₹ लाख में)
34.96
20.44
20.31
4.58
4.36
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08

शुद्ध लाभ (₹ लाख में)
70383
60347
47985
32519
32358
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

टीएचडीसीआईएल के महिला कल्याण [illegible] स्कूल, ऋषिकेश में [illegible] कार्यक्रम का ग्रुप फोटो

आपकी कम्पनी को टिहरी बांध परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान सामाजिक मुद्दों से निपटना पड़ा। एक अति उदार आर एवं आर नीति विकसित और कार्यान्वित की गई थी। आपकी कम्पनी के विजन अभिकथन में "पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता, परिस्थिति विज्ञान एवं सामाजिक मान्यता" मानवीय दृष्टिकोण के साथ शामिल है। अपने पणधारियों के हितों को मान्यता देते समय धारणीय तरीके से सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक प्रभावों के संबंध में ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच (पीपुल, प्लैनेट एवं प्रॉफिट) पर बल दिया गया है। आपकी कम्पनी एक संधारणीय एवं दक्ष तरीके से बड़े पैमाने पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीज) एवं समुदाय के कल्याण एवं विकास के लिए सच्चे मन से प्रतिबद्ध है।

आपकी कम्पनी ने 2007 से सीएसआर-सीडी क्रियाकलापों का कार्यान्वयन शुरू किया है। यह योजना प्रचालनात्मक विद्युत उत्पादन केंद्रों, जहां पर निर्माण पूरा हो गया है तथा निगम के अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में "सामुदायिक विकास" के मुद्दों का समाधान करती है। लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सीएसआर-सीडी नीति तैयार की थी, जो अप्रैल, 2010 से अनिवार्य हो गई है। आपकी कम्पनी ने उक्त दिशा-निर्देशों को अपनाया है।

सीएसआर दृष्टिकोण की संकल्पना एवं विकास

धारणीय विकास हेतु विश्वव्यापार परिषद के अनुसार :

"कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यबल एवं उनके परिवारों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय एवं समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाते समय नीतिपरक रूप से आचरण करने तथा आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए व्यापार द्वारा निरन्तर प्रतिबद्धता रही है।"

सीएसआर उद्देश्यों की संकल्पना का लक्ष्य समाज में व्यवसाय की भूमिका की जांच करना और व्यावसायिक गतिविधि के सकारात्मक सामाजिक परिणामों को अधिक से अधिक बढ़ाना, दोनों है। सीएसआर ऐसा प्रभावी औजार है, जो बड़े पैमाने पर सामाजिक उद्देश्यों की धारणीय वृद्धि एवं विकास के संबंध में कारपोरेट एवं सामाजिक क्षेत्र की एजेंसियों के प्रयासों में सहयोग करता है।

सीएसआर दृष्टिकोण के कार्य क्षेत्र इस सीमा तक शामिल होते हैं, जिसके लिए कम्पनियों के वास्तविक लाभ अर्जन योग्य होते हैं। दूसरे, उस सीमा तक, जिसमें सरकारों एवं संगठनों की कार्यसूची तैयार करने में एक भूमिका का होना देखा जाता है- और कैसे? सीएसआर के लिए न्यूनतम मानक यह होना चाहिए कि व्यवसाय कानूनी बाध्यताओं को पूरा करे अथवा यदि कानून अथवा प्रवर्तन की कमी हो, तो वे 'नुकसान न पहुँचाएं।'

सीएसआर पहलों की योजना बनाना

योजना किसी भी परियोजना की सफलता में अहम भूमिका अदा करती है। सीएसआर पहल के लिए योजना उस क्षेत्र की परिधि के भीतर

सेवा-टीएचडीसी द्वारा [illegible] कोटद्वार, [illegible]

सर्वेक्षण एवं आवश्यकताओं के निर्धारण, प्राथमिकीकरण/पहचान के साथ शुरू होती है, जहां पर कम्पनी आधारित है और प्रचालन करती है तथा समस्त क्षेत्रों को शामिल करते हुए क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करती है। कम्पनी की विशिष्ट सीएसआर रणनीतियां विकसित हैं, जो सीएसआर कार्य योजना (दीर्घ अवधि, मध्यम-अवधि एवं अल्प अवधि) के डिजाइन को अनिवार्य बनाती है। इसे यादृच्छिक अप्रोच से सतत अप्रोच में शिफ्ट किया गया है।

सीएसआर-सीडी योजनाएं स्पष्ट रूप से उल्लेख करती हैं

- सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने से पहले आधार स्तरीय सर्वेक्षण/जरूरी मूल्यांकन;
- जरूरी मूल्यांकन के आधार पर कार्यान्वयन हेतु गतिविधियों का प्राथमिकीकरण;
- अव्यपगत बजट का आवंटन;
- कार्यान्वयन हेतु समय सीमा;
- निर्धारित स्पष्ट उत्तरदायित्व एवं प्राधिकार
- सीएसआर परियोजनाओं की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन;
- परिणाम एवं प्रभाव मूल्यांकन।

टीएचडीसीआईएल में सीएसआर पर बल दिए जाने वाले क्षेत्र

टीएचडीसीआईएल ने निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर पहलों पर बल दिया है :

- शैक्षणिक विकास;
- स्वास्थ्य एवं मधु चिकित्सा;
- पर्यावरण प्रबंधन;
- आय सम्वर्धन;
- महिला सशक्तिकरण;
- अवसंरचनात्मक विकास;
- कल्याण गतिविधियां आदि।

श्री एस. के. सिन्हा, निदेशक (कार्मिक) द्वारा टीएचडीसीआईएल कैम्पस, ऋषिकेश में पौधरोपण

संस्थागत एवं वित्तीय तंत्र

टीएचडीसीआईएल ने न्यूनतम 3.00 करोड़ रुपए के अध्यधीन कर पूर्व निवल लाभ (पीबीटी) का 2% निर्धारित किया है। प्रत्येक वर्ष सीएसआर-सीडी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अव्यपगत सीएसआर निधि में बजट आवंटित एवं अन्तरित किया जाएगा। टीएचडीसीआईएल सीएसआर योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्य रूप से कम्पनी प्रवर्तित गैर सरकारी संगठनों (सीओएनजीओ) के माध्यम से करती है, जो समितियों "सेवा-टीएचडीसी" और "टीएचडीसी शिक्षा समिति" (टीईएस) के रूप में पंजीकृत हैं। सीएसआर बजट को प्रचालनात्मक व्यावसायिक स्थानों एवं व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा स्वीकृत टीएचडीसी-सीएसआर-सीडी योजना-2010 के अनुसार उपयोग किया जा रहा है।

सीएसआर कार्यान्वयन तंत्र और मॉनीटरिंग

➢ प्रक्रिया - विधि पुस्तिका

कार्यान्वयन तंत्र के लिए सीएसआर पर एक पुस्तिका सीएसआर नीति के कार्य ढांचे के भीतर तैयार की गई है। पुस्तिका में सीएसआर बजट तैयार करने के लिए, स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय के लेखांकरण हेतु, सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर आवधिक एमआईआर का प्रस्तुतन, निष्पादित परियोजनाओं के प्रलेखन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं/पद्धतियां दी गई हैं। यह सीएसआर योजनाओं के पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

➢ निधि आवंटन एवं उपयोग

सीएसआर-सीडी योजना के तहत यूनिट के प्रमुख द्वारा विधिवत् स्वीकृत अगले वित्तीय वर्ष की सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रत्येक यूनिट के बजट संबंधी प्रस्तावों को कारपोरेट कार्यालय में एस एवं ई ग्रुप के प्रमुख को भेजा जाता है। सीएसआर परियोजनाओं की पुस्तिका के अनुसार प्रस्तावों पर स्थायी समिति द्वारा समग्र बजट के अन्दर एवं स्वीकृत विशिष्ट सीएसआर परियोजनाओं संबंधी विनियोजन के भीतर विचार किया जाता है, इस समिति में सीएसआर के तकनीकी एवं वित्त प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा प्रमुख महाप्रबंधक (सीएसआर) होता है। स्थायी समिति द्वारा यथा-स्वीकृत परियोजनाओं को परियोजना यूनिटों द्वारा अथवा सेवा/टीईएस के जरिए कार्यान्वित किया जाता है।

➢ सीएसआर परियोजनाओं की लेखापरीक्षा :

कार्यान्वयन कर रही एजेंसियां सेवा और टीईएस के वार्षिक लेखों की प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकारों द्वारा संबंधित समितियों के नियमों के अनुसार

लेखा परीक्षा की जाती है। प्रबंधन समिति की मंजूरी के बाद लेखों को वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक लेखों को अन्ततः सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाता है और आय कर विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं। सेवा/ईएसबी के अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के साथ अग्रिम लेखा के अंतिम समायोजन हेतु टीएचडीसी वित्त को प्रस्तुत किया जाता है। इसकी एक प्रति आम जनता को सूचना देने के लिए टीएचडीसी की वेबसाइट में भी अपलोड की जाती है।

➢ **मॉनीटरिंग, नियंत्रण एवं प्रभाव मूल्यांकन :**

परियोजना की मंजूरी/स्वीकृति पर एक अद्वितीय परियोजना कोड, जो कार्यकलाप कोड एवं यूनिट कोड के साथ हो, मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण के प्रयोजनार्थ नामोदिष्ट किया जाता है। प्रत्येक यूनिट परियोजना के पूरा होने के बाद प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा, एस एवं ई ग्रुप के प्रमुख द्वारा विशिष्ट परियोजना की मंजूरी की सूचना देते समय निर्धारित की जाती है।

सीएसआर-सेवी योजनाओं के कार्यान्वयन की तिमाही सूचना टीएचडीसीआईएल के निदेशक मण्डल के समक्ष रखी जाती है। सीएसआर गतिविधियों की सूचना समय-समय पर विद्युत मंत्रालय एवं लोक उद्यम विभाग को भी सूचनार्थ प्रस्तुत की जाती है।

दीर्घावधि हेतु सतत आजीविका के संवर्धन वाली सभी परियोजनाएं तथा 5.0 लाख रुपए से अधिक लागत की परियोजना का स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन रिपोर्ट को डोजियर में शामिल किया जाता है।

सीएसआर गतिविधियों पर व्यय

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय 1504 लाख रुपए हुआ, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सीएसआर व्यय के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	अनुमोदित प्रस्तावों की सं.	वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल व्यय (लाख रु. में)
	सेवा-टीएचडीसी		
1.	शैक्षिक विकास	17	30.43
2.	पर्यावरण प्रबंधन	12	18.34
3.	स्वास्थ्य एवं पशु देखभाल	13	18.18
4.	आय उत्पादन और महिला सशक्तिकरण	40	187.48
5.	अवसंरचनात्मक विकास	16	387.77
6.	अन्य कल्याणकारी गतिविधियां	16	71.80
7.	विविध	23	16.09
	कुल	137	739.85
	टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पॉवर इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी का निर्माण		485.63
	टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस)		279.04
	कुल सीएसआर व्यय		1504.82

वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के द्वारा समाज में योगदान

वर्ष 2011-12 के दौरान टीएचडीसीआईएल द्वारा चलाई गई कुछ प्रमुख सीएसआर गतिविधियां संक्षेप में नीचे दी गई हैं :

सेवा-टीएचडीसी एवं एचएनबी [illegible] द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित [illegible] की गतिविधियों [illegible]

क. शैक्षिक विकास

➢ अल्पसंख्यक एवं अन्य कमजोर वर्गों के 160 बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए दो चरणों में 06 माह अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम लाखरा, जिला-बागपत (उ.प्र.) तथा टिहरी जिला (उत्तराखण्ड) में ओखला खाल में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उनके कंप्यूटर कौशल को बढ़ाकर उन्हें रोजगारयोग्य बनाना था।

➢ व्यावसायिक कौशल एवं लाभप्रद रोजगार पाने के लिए मान्यता प्राप्त संस्था "बाल

आईआईटी रुड़की कैम्पस में पूरे एवं बड़े स्कूल के लिए सेवा-टीएचडीसी द्वारा निर्मित भवन

कम्प्यूटर' ऋषिकेश के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों के 15 गरीब विद्यार्थियों को कम्प्यूटर पाठ्यक्रम (सीआईए+) में 15 महीने का डिप्लोमा प्रदान किया गया।

- दूसरे चरण के कार्यक्रम में जीसीटीसी शिक्षा, नई टिहरी के माध्यम से जिला टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के चाका गांव के 25 गरीबी रेखा से नीचे के उम्मीदवारों के लिए एक वर्षीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- 23 गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए छः माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम नई टिहरी में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में टैली लेखाकरण, एम एस वर्ड, पॉवर प्वाइंट, एम एस एक्सल, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर आदि शामिल थे, ताकि वे स्व-रोजगार प्राप्त कर सकें।
- कुछ प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्त हुआ है और उनमें से कुछ ने अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर दिया है।
- टिहरी जिले में प्रताप नगर ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों के गरीब विद्यार्थियों को उनके उत्थान के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी।
- विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में मलशेज घाट, पुणे में चार गांवों के प्राथमिक स्कूलों को बेंच एवं अन्य विविध मदें उपलब्ध कराई गईं।
- मलारी झेलम एवं झेलम तमक परियोजना में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की गई।
- जायस, जिला रायबरेली (उ.प्र.) में 200 गरीब एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के सम्पर्क कौशल एवं अंग्रेजी ज्ञान के विकास के लिए 6 माह अवधि के दो बैचों में इंगलिश स्पीकिंग कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- जिला टिहरी के 15 स्कूलों और जिला चमोली के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल चिंका को बैठने की बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराया गया।

ख. पर्यावरणीय पहल :

- वर्ष के दौरान बागवानी कार्यों के विकास एवं औषधीय पौधरोपण कार्यक्रम ऋषिकेश में सेवा-टीएचडीसी कार्यालय के पास शुरू किए गए हैं।
- भारतीय संस्कृति प्रसार समिति, रुड़की के माध्यम से आईआईटी, रुड़की टाउनशिप में अलग-अलग तरह के कुल 1000 पौधे लगाए गए हैं।
- पर्यावरण विकास के लिए हेमवतीनन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के जरिए प्रताप नगर ब्लॉक, जिला टिहरी गढ़वाल में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
- ऋषिकेश क्षेत्र में पौधरोपण कार्य किया गया है और ऋषिकेश के विभिन्न स्कूलों में पौधों का वितरण किया गया है।
- 5 जून, 2011 को राजपुर रोड, देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक सत्र आयोजित किया गया।
- पर्यावरण की स्वच्छता के लिए 14 बीघा, डालवाला एवं ऋषिकेश में विभिन्न स्कूलों एवं कालोनी में 60 कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं और संस्थापित किए गए हैं।

नई टिहरी में डॉ. अम्बेडकर अ.जा./अ.ज.जा. छात्रावास भवन

टिहरी बाँध जलाशय के [illegible] गांव में जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण टैंक

➤ हरित क्षेत्र के विकास के लिए गायत्री परिवार, नई टिहरी को 1000 पौध वृक्ष उपलब्ध कराए गए हैं और चेक लाइन पर घुमन्तु पशुओं से पेड़ों के बचाव हेतु 30 पेड़ रक्षक उपलब्ध कराए गए हैं।

➤ हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के माध्यम से टिहरी में पर्यावरण दिवस आयोजित किया गया।

➤ **जल संरक्षण संवर्धन**

जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु सेवा-टीएचडीसी ने कई पहलें की हैं।

- टिहरी में दूरस्थ गांवों के आस-पास भू-जल तथा परिवेशी आर्द्रता को रिचार्ज करने तथा वनस्पति के पुनः उत्पादन हेतु पानी के गड्ढे (ताल-तलैया) खोदना।
- टिहरी जलाशय के गांवों में जल संरक्षण हेतु वर्षा जल सिंचाई हेतु संग्रहण टैंक उपलब्ध कराए गए थे।
- उफ़ेल्डा, पौड़ी में सच्चिदानन्द भारती के प्रयोगात्मक मॉडल के आधार पर एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के माध्यम से कार्यान्वित टिहरी गढ़वाल के दूरस्थ गांवों में शुष्क धारा उपचार (गदेरा) और वनस्पति पुर्नउत्पादन कार्यक्रम के लिए पहलें की गई हैं। कोपाड और पोखियाला पानी में दो गदेरे वर्ष के दौरान ताल-तलैया और चेक बांधों के निर्माण द्वारा उपचारित किए गए थे।

ग. स्वास्थ्य एवं पशु देखभाल

➤ वर्ष के दौरान स्वामी नारायण मिशन, ऋषिकेश के माध्यम से टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक के दो दूरस्थ स्थानों, गलियाखेत और धोन्त्री में होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां स्थापित करके विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के बीच चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

➤ स्वामी नारायण मिशन के ऋषिकेश क्लीनिक के जरिए ऋषिकेश के नजदीकी क्षेत्र में दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों से आए जरूरतमंद रोगियों को निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां वितरित की गई हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग 11000 लोग लाभान्वित हुए।

➤ गंगा प्रेम हॉस्पिटल, नई दिल्ली के माध्यम से ऋषिकेश में समय-समय पर कैंसर के लिए निःशुल्क चिकित्सा जांच कैम्प आयोजित किए गए थे। कैंसर विशेषज्ञों की एक टीम ने मरीजों की जांच की और टिहरी एवं ऋषिकेश में विभिन्न स्थानों पर उपचार उपलब्ध कराया। कई मरीजों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया।

➤ वर्ष के दौरान जरूरतमंद गरीब लोगों को, जिन्हें पुरानी बीमारी है, के ऑपरेशन एवं उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

➤ हिमालयन इंस्टिट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जौली ग्रान्ट, देहरादून के माध्यम से जिला-चमोली में एनजे-वीपी परियोजना में परियोजना प्रभावित परिवारों को बेहतर चिकित्सा विशिष्टता सेवा की सुविधा देने के लिए निःशुल्क चिकित्सा कैम्प आयोजित किया गया है।

➤ दिव्य सेवा संस्थान को बख्शी का तालाब, लखनऊ में निःशुल्क चिकित्सा कैम्प आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान की गई।

[illegible]

घ. कृषि प्रोत्साहन

➢ **वाणिज्यिक फसलों पर कार्यक्रम**

साग-सब्जी की खेती के प्रोत्साहन हेतु ''बीजों की उच्च पैदावार किस्म'' को उत्तराखण्ड एवं उ.प्र. राज्य में किसानों को उपलब्ध कराई गई है। जिला-बाराबंकी, उ.प्र. में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए टिस्यू कल्चर बनाना फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है। कार्यक्रम सफल हुए हैं और किसान इस कार्यक्रम से प्रेरित हुए हैं।

पीडीएफएसआर, मोदीपुरम की मदद से, टिहरी जिले के नरेन्द्र नगर, थौलधर एवं जाखनीधार ब्लॉक के विभिन्न गांवों में विभिन्न उच्च पैदावार वाली फसलों की खेती की गई है। किसानों ने फसलों से अत्यधिक लाभ लिया है और वैज्ञानिक खेती की जानकारी भी प्राप्त की है।

➢ **कृषि जागरूकता कार्यक्रम एवं कृषि गोष्ठी**

उत्तरकाशी जिले में पुरोला, बड़कोट में तथा टिहरी जिले में घोपड़धार में, अप्रैल, 2011 में 120 किसानों का चार दिवसीय प्रदर्शनी मेला आयोजित किया गया था। किसानों को खाद्य प्रसंस्करण की आधुनिक प्रौद्योगिकी, शीतागार में सेब संरक्षण, तेल निष्कर्षण मशीन, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन आदि का लाभ मिला। कुछ प्रोसेसिंग कार्य एवं पैकेजिंग किसानों द्वारा किया गया है और उन्होंने उद्यमिता के लिए अपने कौशल में सुधार किया है। किसानों ने सेब के बागान में कलम लगाने के बारे में सीखा।

चार दिवसीय प्रदर्शनी मेला श्रीनगर, जिला-पौड़ी गढ़वाल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बेमौसमी सब्जियों, व्हाइट ग्रब्स, जल संरक्षण और हार्वेस्टिंग प्रणाली आदि में आधुनिक तकनीकियों की संभाव्यताओं एवं अंगीकरण के आंकलन पर बल दिया गया था।

टीएचडीसीआईएल कैम्पस, ऋषिकेश के डीएवी स्कूल में आयोजित फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता

हार्वेस्टिंग की नई आधुनिक प्रौद्योगिकी, एचवाईवी फसलों, विविधिकृत खेती, बेमौसम सब्जियों की उपज, बाजार अन्वेषण, बीज उत्पादन और फसलों के बचाव हेतु नवीनतम कीटनाशी के प्रयोग की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियमित कृषक गोष्ठी आयोजित की गई थी।

➢ **जैव कृषि**

- अच्छी गुणवत्ता एवं आय बढ़ाने वाली फसलों के उत्पादन हेतु जैव खेती की संकल्पना को शुरू किया गया। प्रताप नगर ब्लॉक, टिहरी जिले के 10 गांवों में प्रदर्शन हेतु लगभग 100 वर्मी कम्पोस्ट खाद के गड्ढे बनाए गए हैं।
- जैव खेती के लिए वर्मी कम्पोस्ट खाद पैदा करने के लिए उ. प्र. में जिला बाराबंकी एवं सुल्तानपुर के विभिन्न गांवों के किसानों को तकनीकी जानकारी दी गई थी। नाडेफ परियोजना इन क्षेत्रों में सफल हुई थी।

ड. महिला सशक्तिकरण पहल

➢ छः माह की कटिंग, टेलरिंग एवं बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, उ.प्र. में अम्बेडकर नगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी और लखनऊ जिले के गांवों/नगरों में 500 बेरोजगार गरीब, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए उनके कौशलों को उन्नत बनाने और उन्हें अपने स्वयं के आय उत्पादन को शुरू करने में उन्हें समर्थ बनाने की दृष्टि से अथवा लाभप्रद रोजगार पाने की दृष्टि से आयोजित किए गए हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास जगा है। परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धनकारी हैं तथा लगभग 2500 परिवार पिछले 3 वर्षों में इस कार्यक्रम से सीधे लाभान्वित हुए हैं। इन 2500 परिवारों को 1500/- रुपए प्रति माह की औसत आय प्राप्त होनी शुरू हो गई है। अब इस कार्यक्रम को टिकाऊ बनाने के लिए प्रयास, उन्हें संगठित करने और उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए किए गए हैं।

➢ जिला टिहरी गढ़वाल में कांदियालगांव, लम्बगांव, भेटलावाला एवं सेमधार के गरीब, अल्पसंख्यक एवं अन्य कमजोर वर्ग के युवा एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए छह माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम कटिंग एवं टेलरिंग/बुनाई में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम से लगभग 120 परिवार लाभान्वित हुए थे।

➢ ऋषिकेश एवं देहरादून के आस-पास के क्षेत्रों में 300 गरीब, अल्पसंख्यक एवं अन्य कमजोर वर्गों की महिलाओं एवं लड़कियों के लिए उनके कौशल को बढ़ाने तथा उन्हें आय

मालदा (उ.प्र.) में सेवा-टीएचडीसी महिला प्रशिक्षण केन्द्र

उत्पादन शुरू करने में समर्थ बनाने एवं लाभप्रद रोजगार प्रदान करने हेतु चरणों में छह महीने के कटिंग, टेलरिंग एवं बुनाई के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे।

- सेवा-टीएचडीसी ने प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, जिला-देहरादून में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण यूनिटें अर्थात् टेलरिंग, बेकरी, फल हार्वेस्टिंग, मोमबत्ती बनाने में कौशल विकास, मूल्य वर्धन एवं उद्यमिता विकास के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए स्थापित कीं। सेन्टर में 63 विभिन्न प्रशिक्षणों के जरिए 906 महिलाएं लाभान्वित हुई थीं।
- परियोजना प्रभावित परिवारों की महिलाओं के लिए एसजे-जेटी में बुनाई एवं क्राफ्ट पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। ये पहले से कढ़ाई, कम्बल एवं ऊनी क्राफ्ट सामग्री के विनिर्माण में कार्य कर रही हैं। सेवा-टीएचडीसी की कार्यशाला की मदद से बुनाई की आधुनिक योजनाओं से उनके कौशल को उन्नत बनाया गया।

ख. अवसंरचनात्मक विकास

वर्ष के दौरान शुरू किए गए कुछ अवसंरचनात्मक विकास संबंधी कार्य निम्नानुसार हैं :

- **लड़कों/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास का निर्माण**
  - नए टिहरी शहर में 204.00 लाख रुपए की लागत पर 48 विद्यार्थियों के लिए डॉ. अम्बेडकर अ.जा./अ.ज.जा. छात्रावास का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
  - क्षेत्र के पिछड़े इलाके के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु आईटीआई चम्बा, जिला टिहरी में लड़कों हेतु छात्रावास तैयार किया जा रहा है।
- **पेय जल योजना (ड्रिंकिंग वाटर स्कीम)**
  - धौलेश पानी स्रोत से मार टोक एवं पल्ला हेलंग (दूसरा चरण) तक जल आपूर्ति योजना का जोशीमठ ब्लॉक, जिला चमोली में परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए निर्माण किया गया है।
  - खाम्ब गांव से चल्ला गांव तक जल आपूर्ति लाइन का परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ग्रामवासियों के लिए जिला-टिहरी, कोटेश्वर में निर्माण किया गया है।
  - फोसा गांव, जिला-चमोली के लिए जल आपूर्ति योजना (भाग-I) का निर्माण किया गया है।
- **परियोजना क्षेत्रों में दूरस्थ गांवों में पगडण्डी**

  जिला-टिहरी एवं चमोली (उत्तराखण्ड) के विभिन्न परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 20 पगडण्डियों का निर्माण किया गया था।
- **सामुदायिक केन्द्र**

  स्थानीय लोगों के लाभ के लिए लक्ष्यान, ब्लॉक चम्बा, जिला-टिहरी गढ़वाल में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया गया है।
- **अतिरिक्त कक्षाएं**

  ग्रामवासियों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए जिला टिहरी गढ़वाल के 09 दूरस्थ गांवों में मौजूदा स्कूल भवनों में अतिरिक्त कक्षाएं बनाई गई थीं।
- **पनचक्कियों का आधुनिकीकरण**

  ऊपरी रमोली प्रतापनगर ब्लॉक, जिला-टिहरी गढ़वाल

टिहरी गढ़वाल जिले के [illegible] गांव में [illegible]

में कुल 05 घराट (पनआटा-चक्की) को उन्हें प्रचालनात्मक बनाने हेतु परिवर्तित किया गया था। इस परियोजना से लगभग 500 ग्रामवासी लाभान्वित हुए हैं।

छ. अन्य कल्याणकारी गतिविधियां

अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल हैं :

- प्रताप नगर ब्लॉक, टिहरी के विभिन्न स्कूलों के गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति।
- जोशीमठ से तमक/झेलम/मलारी तक ग्रामवासियों के लिए 25 सीट वाली बस को किराए पर लेना।
- थौलधर/प्रतापनगर/जाखनीधार ब्लॉक (टिहरी) में अलग-अलग 16 स्कूलों को फर्नीचर उपलब्ध कराना।
- वर्ष के दौरान नगर पालिका, नई टिहरी शहर को सेनेटरी प्रयोग के लिए एक पिकअप वैन उपलब्ध कराई गयी थी।
- उ.प्र. में लखनऊ जिले में बक्शी का तालाब के क्षेत्र में महाराज टीकानाथ शिक्षा निकेतन स्कूल के विद्यार्थियों को स्वेटर (पूरी बाजू) बांटे गए थे।
- जिला टिहरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा राहत कार्य, जैसे कि कम्बल, भोजन, टैन्ट आदि उपलब्ध कराना।
- नया टिहरी शहर में जल अभाव को दूर करने के लिए गर्मी के मौसम में पानी के टैंकर के जरिए पानी उपलब्ध कराया गया है।
- टिहरी जिले के दूरस्थ क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिए वर्ष के दौरान जल आपूर्ति योजना को कार्यान्वित किया गया था।

उत्तर प्रदेश के दूरस्थ गांवों में वाणिज्यिक फलीय पौधों का संवर्धन

- टिहरी जिले के 16 गांवों को और पौड़ी गढ़वाल के 01 गांव को टैन्ट, कुर्सियां, बर्तन आदि बांटे गए थे।
- दूरस्थ क्षेत्र में और परियोजना प्रभावित गांवों में खेल को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट एवं अन्य खेल किट वितरित की गई थीं।

ज. दीर्घावधि धारणीय सीएसआर कार्यक्रम

कम्पनी, टिहरी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में संपूर्णतावादी विकास की दीर्घावधि संकल्पना पर काम कर रही है। सरकार के विभिन्न शैक्षिक एवं अनुसंधान निकाय परियोजना प्रभावित क्षेत्र के संपूर्णतावादी विकास में लगे हुए हैं। मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :

हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के माध्यम से संपूर्णतावादी विकास कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के दूरस्थ गांवों में मत्स्यपालन व्यवसाय का संवर्धन

- सेवा-टीएचडीसी और भूगोल विभाग एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से **''एकीकृत विकास दृष्टिकोण के जरिए टिहरी बांध जलाशय के बाह्य (रिम) क्षेत्र के गांवों की आजीविका के सशक्तिकरण एवं संवर्धन''** पर दो वर्ष पहले एक परियोजना शुरू की।

  परियोजना कार्यकलापों का मूल उद्देश्य धारणीय आजीविका, महिला सशक्तिकरण, गरीब ग्रामीणों की आय बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के जरिए बाह्य (रिम) क्षेत्र के ग्रामवासियों की खाद्य सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित करना था। इसे प्राप्त करने के लिए सेवा-टीएचडीसी और एचएनबीजीयू

ऋषिकेश के मेडिकल स्कूल के छात्रों के लिए निःशुल्क दंत जांच शिविर

प्रतिबद्ध है और छह सामरिक महत्व के उद्देश्यों, गरीब ग्रामवासियों को उन्नत सुविधा एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग, महिला सशक्तिकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन सेवाओं, इनपुट एवं कृषि उत्पाद बाजार, ऑफ-फॉर्म (अकृषि) उद्यमों का विकास एवं ग्रामीण रोजगार तथा सरकारी कार्यक्रमों में ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने पर काम कर रहे हैं।

➢ इस कार्यक्रम के तहत जिला टिहरी गढ़वाल में प्रताप नगर ब्लॉक के रिम के 20 गांवों को शामिल किया गया है और प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्उत्पादन एवं प्रबंधन के जरिए महिलाओं के बीच कड़ी मजदूरी एवं दबाव को कम करने पर आरंभिक फोकस किया गया।

➢ प्रतापनगर ब्लॉक में 40 से अधिक स्व-सहायता ग्रुप (एसएचजी), एक ग्रुप में कम से कम 10 महिलाओं के साथ पहले ही तैयार किए गये हैं। ग्रामवासियों के लिए विभिन्न आजीविका कार्यकलाप अर्थात् आय के टिकाऊ स्रोत का विकास करने पर फोकस के साथ बकरी पालन, मुर्गीपालन आदि चलाए गए हैं।

➢ पुरुष/महिला किसानों को आवर्तन निधियां उपलब्ध कराई गई, जिसने उनकी आजीविका में अहम भूमिका अदा की है और फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा आत्म विश्वास बढ़ाया है।

पीडीएफएसआर, मोदीपुरम के माध्यम से आजीविका सुरक्षा कार्यक्रम

➢ प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर फार्मिंग सिस्टम रिसर्च (पीडीएफएसआर), मोदीपुरम टिहरी जिले में फार्मिंग प्रणाली पद्धति के जरिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है।

कोटेश्वर बांध क्षेत्र और काण्डीसौड़ प्रत्येक में एक समूह में दस (10) गांवों को अपनाया गया है। आधारभूत मूल्यांकन अध्ययनों में पाया गया था कि दोनों समूहों के एक जैसे मामले थे, जैसे फसल/वनस्पति में अद्यतन जानकारी एवं तकनीकियों का अभाव, कम फसल उत्पादन, पशुधन, बकरी पालन, मुर्गीपालन आदि।

➢ फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए लगभग 200 किसानों को उन्नत किस्म का गेहूं बीज (वीएलडब्ल्यू-68) दिया गया था और परिणामतः गेहूं के उत्पादन में लगभग 18% की वृद्धि हुई, इसके अतिरिक्त फसलों एवं फलवृक्षों में कीड़ों, पैस्ट एवं बीमारियों पर नियंत्रण हेतु अच्छे परिणाम पाने के लिए, जैसा कि ग्रामवासियों द्वारा पुष्टि की गई है, कीटनाशक वितरित किए गए थे। रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए ग्रामवासियों के बीच किचन गार्डेनिंग को बढ़ावा दिया गया है।

➢ पशुपालन कार्यकलापों में किसानों के आर्थिक जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप किए गए थे। ये हैं-डिवार्मिंग, ऊष्मा अन्तःक्षेपण हेतु दवाई, चारा पौष्टिकता विश्लेषण, वर्मी कम्पोस्टिंग (कम्पोस्ट खाद) और दुधारू पशुओं के पोषण संतुलन हेतु खनिज मिश्रण।

➢ **किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली के माध्यम से तीन गांव में सतत् आजीविका एवं संसाधन प्रबंधन हेतु ग्रामीण समुदायों के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर कार्यक्रम**

कम्पनी, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के

ग्राम, एसएचजी के सदस्यों को दूध के ड्रमों का वितरण

धान के बीज की उच्च उत्पादकता किस्म के लिए पहल

सहयोग से उत्तराखण्ड में टिहरी गढ़वाल जिले के प्रताप नगर ब्लॉक में उपाली रमोली के वाटरशेड में धारणीय आजीविका एवं संसाधन प्रबंधन हेतु ग्रामीण समुदायों के पारिस्थितिकी पुनर्बहाली एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम 2011 से चला रही है। यह टिहरी क्षेत्र के 20 दूरस्थ गांवों के संपूर्णतावादी विकास पर ग्रामीण आधारित एक दीर्घावधि कार्यक्रम है। इसकी विषय-वस्तु उस क्षेत्र के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों द्वारा तथा उस क्षेत्र के लोगों का काम करना है।

सीएसआर कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, दीन गांव में बांध के निर्माण एवं उसकी सुदूरता के कारण समाज में अशांति की स्थिति पैदा हो गई थी। उनकी समस्या को समझने के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण परेशानियों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया था ताकि दीर्घावधि विकास योजनाओं को तैयार किया जा सके। आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण आदि के क्षेत्र में विभिन्न क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं।

दीन गांव सेंटर में क्रियाकलापों में निम्न शामिल है :

- फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च पैदावार किस्मों के बीजों का वितरण।
- महिला सशक्तिकरण के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई केन्द्र खोला गया।
- स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया।
- ग्रामवासियों में ग्राम्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मॉडल के रूप में इको-हट्स बनाए गए थे।
- विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को ग्रामवासियों के मुद्दों को हल करने के लिए समय-समय पर आमंत्रित किया गया था। नकदी फसल को बढ़ावा देने के लिए गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए थे।
- प्रशिक्षण हेतु किसान मेले आयोजित किए गए थे।
- स्थानीय उत्पाद को अग्रवर्ती संयोजन के रूप में बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए गए थे।
- समुदाय के कल्याण हेतु नियमित चिकित्सा कैम्प आयोजित किए गए थे।
- चारा एवं फल पौधों का ग्रामीण विकास हेतु आयामों में शामिल किया गया।
- लगभग 25 से 30 बड़े एवं छोटे कार्यक्रम शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बागवानी, संस्कृति, ऊर्जा आदि के क्षेत्र में शुरू किए गए थे।

अब परिणाम उत्साहकारी हैं और हम स्थानीय जनता के बीच विश्वास जगाने में सक्षम हुए हैं। आने वाले वर्षों में और क्रियाकलापों को शामिल किया जाएगा तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के प्रयास किए जाएंगे। भविष्य के लिए हम समुदायों को एसएचजी और गैर सरकारी संगठनों के गठन के जरिए स्वयं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार करना चाहते हैं।

बीज उत्पादन कार्यक्रम

- बीज उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से सेवा-टीएचडीसी ने जिला बाराबंकी और जिला सुल्तानपुर के गांवों में हस्तक्षेप किया है। सरसों, लहसुन एवं बनाना टिस्सू के निःशुल्क हाइब्रिड यील्ड वैरायटी (एचवाईवी) बीज ग्रामवासियों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए थे और इस प्रकार मौजूदा आय में

मालशेज घाट परियोजना, महाराष्ट्र के स्कूल के छात्रों को अध्ययन सामग्री का वितरण

टीएचडीसी जल विद्युत इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भागीरथीपुरम, टिहरी

वृद्धि हुई।

➢ माधवंगी और सुल्तानपुर में मत्स्य उत्पादकशालाओं को टीएचडीसीआईएल द्वारा गठित एसएचजी की मदद से उनके विकास एवं आय उत्पादन के लिए विकसित किया गया था। उनके लिए तकनीकी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस परियोजना से ग्रामवासियों की आजीविका और जीवन स्तर में सुधार आएगा।

ञ. टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से शिक्षा

➢ कम्पनी टीईएस के तत्वावधान में दो स्कूल चला रही है- एक भागीरथी पुरम, टिहरी में, जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक शिक्षा प्रदान कर रहा है और दूसरा स्कूल प्रगति पुरम में, जो कक्षा 1 से कक्षा 10 तक शिक्षा प्रदान कर रहा है। दोनों स्कूलों में आस-पास के क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिनमें पिछड़े एवं अ.जा./अ.ज.जा. बच्चे भी शामिल हैं। माता-पिता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाने वाला शुल्क बहुत कम है। बच्चों को वर्दी, पुस्तकें और परिवहन भी उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष के दौरान शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए कई पहलों को शुरू किया गया है। स्कूल प्रशासन में बेहतर प्रबंधन मुहैया कराने के लिए दोनों स्कूलों के लिए संविदा आधार पर आर्मी/सेंट्रल स्कूल के पृष्ठभूमि वाले अनुभवी प्रिंसिपलों को नियुक्त किया गया है। टिहरी में विद्यार्थियों के लिए स्कूल भवन का सभी आवश्यक सुख-सुविधाओं के साथ मरम्मत किया जा रहा है। टीईएस, विद्यार्थियों के बीच खेल भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क खेल सामान एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। उपर्युक्त के अलावा, सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। समय-समय पर अतिरिक्त पाठ्येतर कार्यकलाप, जैसे कि ग्रीष्मकालीन कैम्प, सैर-सपाटा आदि आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय त्यौहारों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

➢ टीएचडीसी शिक्षा समिति द्वारा उठाए गए कदमों से ऋषिकेश एवं टिहरी में विद्यार्थियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 में लगभग 100 बच्चों की संख्या की तुलना में इस वर्ष टीईएस हाई स्कूल, ऋषिकेश में इनकी संख्या बढ़कर लगभग 450 हो गई है। टीईएस इंटर कॉलेज, टिहरी में भी विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अध्यापकों को उनके कौशल में सुधार लाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

ट) टीएचडीसी जल विद्युत इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

➢ टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखण्ड राज्य में टिहरी में जल विद्युत इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया है। संस्थान आधुनिकतम अवसंरचनात्मक सुविधाओं, जैसे कि प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक, प्रयोगशालाएं, कार्यशाला, पुस्तकालय, कैन्टीन आदि के साथ 20 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। संस्थान को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जा रहा है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के चार मुख्य विषयों में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की कक्षाएं चलाने के लिए अवसंरचना एवं साज-सज्जा पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। नया सत्र अगस्त, 2011 में शुरू किया गया। यह टिहरी क्षेत्र में वहनीय लागत पर तकनीकी शिक्षा के प्रसार में भी मदद करेगा। यह उत्तराखण्ड पहाड़ी राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के संचालन हेतु स्थानीय प्रतिभा के विकास में भी सहयोग करेगा।

ट. पुरस्कार एवं सम्मान

आपकी कम्पनी के सीएसआर कार्यकलापों की मान्यता के रूप में भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 13.04.2012 को श्री आर.एस.टी. साई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही (वित्त वर्ष 2010-11) के लिए अति प्रतिष्ठित स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड प्रदान किया। टिहरी क्षेत्र के दूरस्थ गांवों और अन्य स्थानों में प्रकृति संरक्षण के साथ धारणीय आजीविका सृजन करने के लिए सार्थक सीएसआर कार्यकलापों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के लिए कम्पनी को गोल्ड ट्रॉफी और प्रमाणपत्र दिया गया था।

कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को कम्पनी की कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कम्पनी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। कम्पनी एक सूचीबद्ध कम्पनी नहीं है। लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट सुशासन पर जारी किए गए दिशा-निर्देश अनिवार्य रूप से आपकी कम्पनी पर लागू हैं। कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं डीपीई दिशा-निर्देशों के तहत अपेक्षित कारपोरेट सुशासन की सुप्रथाओं को अपनाने के प्रयास किए हैं तथा इच्छा रखती है।

1. कंपनी की कारपोरेट सुशासन विचारधारा

कारपोरेट सुशासन मूल्यों, कारोबार को नीतिपरक रूप से तथा पारदर्शिता के साथ चलाने के बारे में प्रतिबद्ध है। लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है। प्रबंधन ने सभी पणधारियों के हित में काम करने का प्रयास किया है और अपने पणधारियों के लाभ के लिए अच्छी कारपोरेट सुशासन पद्धतियों को अपनाया है।

प्रबंधन टीम उत्तरदायित्व के प्रभावी ढांचे के भीतर कम्पनी को आगे ले जाने के लिए पूर्ण रुप से अधिकार प्राप्त है, जो फलस्वरूप कम्पनी और इसके पणधारियों की बेहतरी के लिए अवसरों को उपलब्धियों में तब्दील करने में समर्थ होती है। सामरिक महत्व की योजना बनाने, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजनाओं एवं बजट, आन्तरिक नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग की सत्यनिष्ठा, कम्पनी के प्रचालनों के विभिन्न पहलुओं पर पारदर्शिता एवं पूर्ण प्रकटन पर जोर देने के साथ संचार नीति के लिए और सभी सांविधिक/विनियामक अपेक्षाओं, जो केवल दिखावटी न हों, बल्कि वास्तविक हों, के साथ इसकी कार्य प्रणाली एवं इसकी वित्तीय एवं सम्पूर्ण अनुपालन में हो, के लिए प्रणालियां स्थापित हैं।

कम्पनी में कारपोरेट सुशासन प्रणाली निम्नलिखित पैरामीटरों पर आधारित है :

i. पारदर्शिता एवं निष्पक्षता
ii. समयबद्ध एवं संतुलित प्रकटन
iii. मण्डल की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
iv. मान्यता वृद्धि हेतु मण्डल की संरचना
v. वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा
vi. नीतिपरक एवं जवाबदेह निर्णय लेने को प्रोत्साहित करना
vii. पर्यावरण के संबंध में बाध्यताएं
viii. पणधारियों के अधिकार एवं हित
ix. अनुपालन

2. निदेशक मण्डल

2.1 निदेशक-मण्डल का आकार

आपकी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति की ओर से 75% के इक्विटी शेयर और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से 25% के इक्विटी शेयर हैं। कम्पनी का कारोबार निदेशक-मण्डल की देख-रेख में होता है। कम्पनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर कम्पनी के निदेशकों की संख्या को निर्धारित करेंगे, जो सात से कम नहीं होंगे और पन्द्रह से अधिक नहीं होंगे।

2.2 मण्डल की संरचना

वर्तमान में मण्डल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, कम्पनी के निदेशक-मण्डल में नौ निदेशक शामिल हैं, जिसमें से अध्यक्ष सहित चार निदेशक प्रकार्यात्मक निदेशक है, दो निदेशक सरकार द्वारा नामित हैं और तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। ये निदेशक, मण्डल को व्यापक रूप से अनुभव एवं कौशल प्रदान करते हैं। निदेशकों का संक्षिप्त विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

निदेशक मण्डल की संरचना का पुनर्गठन

कारपोरेट सुशासन के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2012 के अपने पत्र सं. 11/10/2012-एच-1 के तहत टीएचडीसीआईएल के निदेशक-मण्डल की संरचना के पुनर्गठन को निम्नवत अनुमोदित किया है :

प्रकार्यात्मक निदेशक	04
सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारत सरकार	01
सरकार द्वारा नामित निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार	01
स्वतंत्र निदेशक	06
कुल	**12**

2.3 निदेशकों की आयु सीमा एवं कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों एवं अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि रूप में पदेन रूप में कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से अधिकारी होते हुए उनकी सेवा समाप्त होने से सेवानिवृत्त होते हैं। स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा सामान्य तौर पर तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

2.4 निदेशक-मण्डल की बैठक एवं उपस्थिति

बोर्ड की बैठकें निदेशक मण्डल के अध्यक्ष की मंजूरी लेने के बाद उपयुक्त अग्रिम सूचना देकर बुलाई जाती हैं। विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्टें तथा अन्य व्याख्यात्मक विवरणों को बैठकों में सार्थक, संयुक्ति एवं संकेन्द्रित निर्णयों को सुकर बनाने के लिए सामान्य तौर पर 7 दिन पहले परिचालित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मण्डल की छः बैठकें निम्नवत आयोजित की गई थीं :

क्रम सं.	मण्डल की बैठक की तारीख	निदेशक-मण्डल की वास्तव संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	25 अप्रैल, 2011	12	9
2.	6 जून, 2011	9	4
3.	30 अगस्त, 2011	8	5
4.	28 सितम्बर, 2011	7	4
5.	16 दिसम्बर, 2011	8	6
6.	29 मार्च, 2012	10	8

वर्ष 2011-12 में बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति संख्या, अन्तिम वार्षिक आम सभा में उपस्थिति,अन्य निदेशकत्व/समिति सदस्यता की संख्या के ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध हैं :

क्रम सं.	निदेशक	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया	पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	धारित अन्य निदेशक पद	अन्य समिति(यों) में पद	
					अध्यक्ष	सदस्य
	प्रशासनिक निदेशक					
1.	श्री आर.एस.टी. भाई (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	6	उपस्थित	1	-	1
2.	श्री पु.एस. बिष्ट निदेशक (कार्मिक)	6	उपस्थित	शून्य	-	-
3.	श्री बी.पी. सिंह निदेशक (वित्त)	5	उपस्थित	शून्य	-	-
4.	श्री डी.वी. सिंह निदेशक (तकनीकी)	6	उपस्थित	शून्य	-	-
	सरकार द्वारा नामित निदेशक					
5.	श्री पी.साई प्रसाद संयुक्त सचिव (एच) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (16.12.2011 से)	1	अनुपस्थित	4	-	1

6.	श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रधान सचिव, उ.प्र. सरकार, लखनऊ (31.05.2012 से पदावसान)	अनुपस्थित	अनुपस्थित	शून्य	-	-
	स्वतंत्र निदेशक					
7.	श्री ओ.पी गहरोत्रा, 12 प्रनीत, डॉ. जे. पाल्कर रोड, वर्ली, मुम्बई, (16.3.2012 से)	1	अनुपस्थित	8	-	-
8.	श्री राजीब शेखर साहू, प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर (09.11.2011 से)	2	अनुपस्थित	3	-	-
9.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना, निदेशक, आईआईटी, रुड़की (17.11.2011 से) (22.05.2012 तक)	3	अनुपस्थित	शून्य	-	-

2.5 स्वतंत्र निदेशकों को प्रतिपूर्ति एवं प्रकटीकरण :

आपकी कम्पनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कम्पनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति का कार्यकाल एवं पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं। इसलिए, निदेशक-मण्डल पूर्ण कालिक निदेशकों के पारिश्रमिक तय नहीं करता। सरकार द्वारा पदेन क्षमता में नामित अंशकालिक निदेशकों को किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मण्डल की बैठकों के साथ-साथ समिति की बैठकों के लिए बैठक फीस दी जाती है। निदेशक- मण्डल ने अपनी 158वीं बैठक में भारत सरकार की दिनांक 24.07.2003 की अधिसूचना 580 (ई) डीटी के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बैठक शुल्क 10,000 रु. से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति बैठक कर दिया है।

वर्ष 2011-12 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के संबंध में किए गए भुगतानों के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक फीस (रुपए में)				कुल (रुपए में)
	वार्षिक आम सभा	बोर्ड की बैठक	लेखापरीक्षा समिति की बैठक	पारिश्रमिक समिति की बैठक	
डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया (22.05.2011 तक)	-	10,000	20,000	10,000	40,000
डॉ. के. अप्रामेयन (01.05.2011 तक)	-	10,000	20,000	10,000	40,000
प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना (22.05.2011 तक) (17.11.2011 से)	-	50,000	60,000	50,000	1,60,000
श्री ओ.पी. गहरोत्रा (16.03.2012 से)	-	20,000	20,000	20,000	60,000
श्री राजीब शेखर साहू (09.11.2011 से)	-	40,000	40,000	40,000	1,20,000

2.6 बोर्ड बैठकों की प्रक्रिया - विधि :

(क) निर्णयनकारी प्रक्रिया :

कम्पनी ने दिशा-निर्देशों का एक सेट निर्धारित किया है और सभी कारपोरेट कार्यों के व्यवसायिकीकरण को ध्यान में रखते हुए निदेशक-मण्डल की बैठकों के लिए सचिवालीय मानक का पालन किया है। ये दिशा-निर्देश संसूचित एवं दक्ष तरीके में निदेशक-मण्डल की बैठकों में निर्णयनकारी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं।

(ख) निदेशक-मण्डल की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का अनुसूचीयन एवं चयन :

- निदेशक मण्डल के अध्यक्ष की मंजूरी प्राप्त करने के बाद उपयुक्त सूचना देकर बैठकें आयोजित की जाती हैं। विस्तृत

कार्यसूची नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट तथा अन्य व्याख्यात्मक विवरणों को सामान्य तौर पर बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित एवं सकेंद्रित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्यों के बीच 7 दिन पहले परिचालित किया जाता है।

- जब तत्काल मामलों को हल किया जाना आवश्यक हो, तो अल्प सूचना में बैठकें बुलाई जाती हैं अथवा परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- जहां कहीं भी कार्यसूची के साथ किसी दस्तावेज को संलग्न करना व्यवहार्य न हो, वहां ऐसे कागजातों को सभा पटल पर रख दिया जाता है।
- कार्यसूची कागजातों को प्रकार्यात्मक निदेशक/सीएमडी की मंजूरी होने के बाद परिचालित किया जाता है।
- बैठकें सामान्य तौर पर निदेशकों की उपलब्धता एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली में रखी जाती हैं।
- कार्यसूची मामलों की प्रस्तुतिकरण बोर्ड बैठकों में की जाती हैं, ताकि सदस्यों को निर्णयों के बारे में संसूचित करने में सक्षम बनाया जा सके।
- निदेशक मण्डल के सदस्यों के पास कम्पनी की समस्त सूचनाएं होती है। निदेशक-मण्डल किसी भी मामले की सिफारिश करने के लिए भी स्वतंत्र होता है जिसे वह कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो। वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को जब भी आवश्यक हो, निदेशक मण्डल द्वारा चर्चा की जाने वाली मदों पर अतिरिक्त इनपुट उपलब्ध कराने को कहा जाता है।

(ग) निदेशक-मण्डल/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड करना :

प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों को कार्यवृत्त बही में विधिवत रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। प्रत्येक बोर्ड बैठक के मसौदा कार्यवृत्तों को सलाह, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए 7 दिन का समय देते हुए 7 दिन के भीतर परिचालित किया जाता है। इसके बाद निदेशकों के सुझाव/सलाह को शामिल करते हुए कार्यवृत्तों को अंतिम रूप दिया जाता है। पूर्व निष्पादित कार्यवृत्तों को पुष्टि हेतु पुनः अगली निदेशक-मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) अनुवर्ती प्रणाली :

बोर्ड/समिति के सदस्यों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई विषयक रिपोर्ट (एटीआर) को प्रस्तुत करने वाली प्रणाली को वित्तीय वर्ष 2012-13 से लागू किया गया है। यह बोर्ड मामलों के प्रभावी अनुवर्तन, समीक्षा एवं रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है।

(ङ.) अनुपालन :

हमारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि कार्य सूची टिप्पणियां तैयार करते समय कानून, नियमों और दिशा-निर्देशों के सभी अनुप्रयोज्य प्रावधानों का पालन किया गया है।

निम्नलिखित जानकारी निदेशक-मण्डल को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है :

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट एवं संबद्ध कोई भी नई जानकारी।
- पूंजीगत बजट एवं संबद्ध कोई भी नई जानकारी।
- बड़ी संविदाएं अवार्ड करना।
- चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, जिसमें वे महत्वपूर्ण मामले और क्षेत्र शामिल हैं जिन पर प्रबंधन को ध्यान देने की जरूरत है।
- वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
- कम्पनी के तिमाही वित्तीय परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक-मण्डल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- अन्य कम्पनियों में धारित निदेशक पद या समितियों में अपनी हैसियत के बारे में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटीकरण।
- कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम तथा अन्य नीति विषयक मामलों में संशोधन।
- विदेशी विनिमय के प्रकटीकरण के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
- मानव संसाधनों/औद्योगिक संबंधों में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि, जैसे कि वेतन समझौते पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- पिछली बैठक से वर्तमान बैठक तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालना।
- संयुक्त उद्यम एवं साझा करार।
- नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन और उनकी स्थिति।
- दीर्घ/अल्प अवधि ऋण लेना एवं अन्य वित्तीय मुद्दे।
- अंतरिम लाभांश अदायगी, यदि हो, और अंतिम लाभांश की घोषणा।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण।
- मानव संसाधन विकास और औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दे और
- महत्वपूर्ण मामले, जिन पर निदेशक-मण्डल द्वारा विचार करना आवश्यक है, आदि।

हमारे वर्तमान निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

श्री आर.एस.टी. भाई ने 06.03.2007 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले आप 05.05.2006 से 07.03.2007 तक टीएचडीसीआईएल में निदेशक (वित्त) के पद पर थे। इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, श्री भाई, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सदस्य हैं। आपने आईआईएम, बंगलौर से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएम) प्राप्त किया है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की है। आपको बैंकिंग, वित्त, वाणिज्यिक, ईपीसी संविदा एवं परियोजना प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 34 से अधिक वर्षों का अनेकों प्रकार का अनुभव है। टीएचडीसीआईएल में निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री भाई एसबीआई, एनटीपीसी, पॉवर ग्रिड और डीएमआरसी में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं।

श्री ए. एस. बिष्ट ने 05.08.2004 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले आप निगम में महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) के पद पर थे। आपने 1988 में टीएचडीसीआईएल में कार्यभार ग्रहण किया और विभिन्न पदों पर रहते हुए संगठन की सेवा की। आपको मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है। टीएचडीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री बिष्ट बीएचईएल में कार्यरत थे। आपने अन्य बातों के साथ-साथ कार्मिक नीतियां तैयार करने और यूपीआईडी के पूर्ववर्ती कर्क-चार्च कर्मचारियों के टीएचडीसीआईएल में सामान्य आत्मसात को सुकर बनाने में अत्यधिक सहयोग किया। आपने संगठन को निर्माण चरण से विद्युत उत्पादन चरण में प्रभावी ढंग से रूपान्तरित करने में सहयोग किया। आपने मानव संसाधन विकसित करने में पर्याप्त प्रशिक्षण एवं शिक्षण अवसर उपलब्ध कराये, ताकि कर्मचारी वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बन सकें।

श्री सी.पी. सिंह ने 16.10.2007 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण किया। आप फेलो चार्टर्ड एकाउंटेंट (एफसीए) तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हैं। इससे पूर्व, श्री सिंह निगम में महाप्रबंधक (वित्त)/वित्तीय नियंत्रक थे। श्री सिंह को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्त एवं लेखा विभाग में 28 से अधिक वर्षों का कार्यकारी अनुभव है। श्री सिंह 1990 से टीएचडीसीआईएल में विभिन्न पदों से जुड़े रहे हैं और आपको बड़ी परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। आपको वाणिज्यिक एवं विधिक मामलों के अलावा, निधि प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल है। आप महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों में विभिन्न सरकारी संगठनों और वित्तीय संस्थाओं के साथ संव्यवहार करते रहे हैं। टीएचडीसीआईएल से पहले, आपने एनटीपीसी लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और शर्करा निदेशालय, खाद्य विभाग, भारत सरकार में काम किया है।

श्री डी.वी. सिंह ने 12.05.2010 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री सिंह एनआईटी, राउरकेला, उड़ीसा से ऑनर्स के साथ बी.एससी. इंजीनियरिंग (सिविल) हैं। इससे पहले आप मार्च, 2007 से टीएचडीसीआईएल में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अधिकारी का प्रभार संभाल रहे थे। आपको देख-रेख में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना में बड़ी मात्रा में सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल कार्यों का निष्पादन हुआ, जिससे 03 वर्षों में रिकार्ड प्रगति हुई है। श्री सिंह को सिविल भवन निर्माण, पुनर्वास, भूमिगत कार्यों, विद्युत गृह निर्माण, संविदा एवं प्रशासन में 25 वर्षों का व्यापक अनुभव है। आप टीएचडीसीआईएल में पिछले 16 वर्षों से विभिन्न पदों पर रहे हैं। आप 280 मेगावाट प्रत्येक की सभी चार यूनिटों के चालू होने के दौरान टिहरी विद्युत गृह के प्रभारी अभियंता रहे हैं। टीएचडीसीआईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री सिंह ने एल एंड टी में कार्य किया है।

श्री जी. साई प्रसाद, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को 18 दिसम्बर, 2011 से हमारे बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री प्रसाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से स्नातक हैं और ड्यूक विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. से अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 बैच के अधिकारी हैं। श्री प्रसाद ने अपना कैरियर 1991 में वारंगल में सहायक कलेक्टर के रूप में शुरू किया और बाद में आन्ध्र प्रदेश में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम किया, जिसमें सब कलेक्टर, पंकेरू, परियोजना निदेशक, आईटीडीए, नगर पालिका आयुक्त, गुन्टूर, संयुक्त कलेक्टर, कडप्पा, जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, कुरनूल और वित्तीय शामिल है। विद्युत मंत्रालय में अपनी तैनाती से पहले आप सेन्ट्रल पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ऑफ एपी लिमिटेड के सीएमडी और ईस्टर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ऑफ एपी लिमिटेड के सीएमडी भी थे।

प्रो. एस.सी. सक्सेना को भारत सरकार द्वारा 17.11.2011 से 3 वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था। डॉ. सक्सेना एक विख्यात शिक्षाविद् हैं और आपने इलेक्ट्रिकल में बी.ई. (1970) इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलेक्ट्रिकल (मैज. एवं इन्स्ट्र.) में एम.ई. (1973) तथा इलेक्ट्रिकल (बायोमेडिकल इंजी.) में पीएचडी (1977) आईआईटी रूड़की (पूर्ववर्ती रूड़की विश्वविद्यालय) से प्राप्त की। आपने 1973 में आईआईटी रूड़की के इलेक्ट्रिकल इंजी. विभाग के संकाय में पदभार ग्रहण किया और प्रोफेसर, विभाग प्रमुख एवं डीन के स्तर तक पहुंचे। वर्तमान में आप जेएनआईआईटी, नोएडा में उप-कुलपति (कार्यकारी) के रूप में सेवा कर रहे हैं। आपने निदेशक, आईआईटी, रूड़की के रूप में भी कार्य किया है। प्रो. सक्सेना ने उत्कृष्टता एवं राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के प्रबंधन, तकनीकी एवं वित्तीय विकास में अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता स्थापित की है। आपने 24 पीएचडी का मार्गदर्शन किया है और 200 से अधिक शोध- पत्र प्रकाशित किए हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किए हैं। आप विभिन्न स्वायत्त शिक्षण संस्थाओं एवं आयोगों में भी सदस्य रहे हैं।

श्री राजीव शेखर साहू को भारत सरकार द्वारा 09.11.2011 से 3 वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में नियुक्त किया गया था। 01 जुलाई, 1962 को जन्मे श्री राजीव शेखर साहू प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकार हैं। आपने वर्ष 1987 में सीए में अर्हता प्राप्त की। आप मैसर्स एसआरबी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकारों के प्रमुख भागीदारों में से एक हैं।

वर्तमान में आप एनटीपीसी लिमिटेड, जो भारत सरकार की एक महारत्न कम्पनी है, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक हैं।

आप वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के एमओयू के टास्कफोर्स के सदस्य हैं। आप उड़ीसा सरकार द्वारा स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति, पुरी के सदस्य हैं। आप उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त उड़ीसा शहरी अवसंरचना विकास निधि (ओयूआईडीएफ) के स्वतंत्र न्यासी हैं। आप 2007 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन के अनुसार गठित उड़ीसा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की शुल्क निर्धारण समिति के सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। आप इन्डस उद्यमकर्ता के खजांची (टीआईई) हैं जिसका मुख्यालय सिलीकॉन वैली, यूएसए में है।

आप वर्ष 2008-10 से पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी थे। आप जुलाई, 2008 से जुलाई 2011 तक आन्ध्रा बैंक में निदेशक थे। आन्ध्रा बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान आप लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष थे और जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य थे। आप वर्ष 2008-10 के लिए इन्डो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे।

श्री ओ.पी. गहरोत्रा को 18.03.2012 से 3 वर्षों की अवधि के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था। श्री गहरोत्रा का जन्म 21 सितम्बर, 1946 में हुआ, आपने जमनालाल बजाज प्रबंधन संस्थान से और बर्मिंघम विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम से वित्तीय प्रबंधन में निष्णात किया।

आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1969 बैच के अधिकारी हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आप मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में गंगावरम पोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े, जहां आप ग्रीन-फील्ड पोर्ट परियोजना के समग्र प्रबंधन एवं स्थापना हेतु जिम्मेदार थे। वर्तमान में आप सिनर्जी ग्रीन पॉवर रिसोर्सेज इंडिया प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहां आप महाराष्ट्र में 2000 मेगावाट का गैस आधारित पॉवर प्लांट स्थापित करने में सहायता कर रहे हैं।

आप सरकार में कई जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। सितम्बर, 2004 से दिसम्बर, 2006 की अवधि के दौरान आपको महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में नामोदिष्ट किया गया था, जहां आप महाराष्ट्र राज्य की समग्र बजट व्यवस्था, प्लानिंग एवं वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। श्री गहरोत्रा मई 2001 से नवम्बर, 2004 तक महाराष्ट्र राज्य टेक्सटाइल कार्पोरेशन, जो राज्य सरकार का उपक्रम है, के अपर मुख्य सचिव एवं प्रबंध निदेशक थे।

आप फरवरी, 1996 से अप्रैल, 2001 तक सेबी में वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक थे,जहां आप विदेशी संस्थानिक निवेशकों, कार्पोरेट टेकओवर्स, प्रौद्योगिकी, समुद्र पार समन्वय और प्रतिभूति आयोग के अन्तरराष्ट्रीय संगठन ("आईओएससीओ") के सदस्यों के साथ आपसी विचार-विमर्श को विनियमित करने के साथ-साथ भारत में प्राथमिक बाजारों के विनियमन के लिए जिम्मेदार थे।

वर्तमान में श्री गहरोत्रा ओनंग मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष हैं, ईलान वास्कुलर टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कल्पतरु लिमिटेड, ट्राईमैक्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल कमोडिटी एण्ड डिराइवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के निदेशक मण्डल में निदेशक हैं।

3. निदेशक-मण्डल की समितियां :

वर्तमान में कम्पनी के निदेशक-मण्डल की दो उप-समितियां निम्नवत हैं :

i) पारिश्रमिक समिति

ii) लेखापरीक्षा समिति

कम्पनी सचिव, निदेशक-मण्डल की उप-समितियों के सचिव के रूप में काम करता है।

3.1 लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन, कोरम, कार्यक्षेत्र आदि कम्पनी अधिनियम, 1956 और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होता है। लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां एवं विचारणीय विषय कारपोरेट सुशासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के खण्ड 4.2 और 4.3 तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हैं।

3.1.1 लेखा परीक्षा समिति की संरचना

लोक उद्यम विभाग के कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति में सदस्यों के रूप में कम से कम तीन निदेशक होंगे। लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे और लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है।

लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन 16 दिसम्बर 2011 को किया गया था। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्रम सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना	स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2.	श्री ओ.पी. गहरोत्रा	स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3.	श्री राजीव शेखर साहू	स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

3.1.2 लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषय :

लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषयों में निम्नलिखित शामिल है :

- कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण का यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करना कि वित्तीय विवरण सत्य एवं निष्पक्ष हैं।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण तथा अन्य सेवाओं के लिए फीसों के निर्धारण हेतु निदेशक-मण्डल को सिफारिश करना।
- अनुमोदन के लिए निदेशक-मण्डल को प्रस्तुत करने से पहले निम्न हेतु विशेष संदर्भ में प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना :

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खण्ड (2एए) के अनुसार निदेशक-मण्डल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित मामले।

(ख) लेखाकरण नीतियों एवं पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इसके कारण;

(ग) बड़ी लेखाकरण प्रविष्टियां, जिनमें प्रबंधन द्वारा निर्णय प्रक्रिया पर आधारित अनुमान शामिल हों;

(घ) लेखापरीक्षकों के निष्कर्षों के बाद वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

(ङ) वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन;

(च) किसी सम्बंधित पार्टी के लेन-देनों का प्रकटीकरण;

(छ) लेखापरीक्षा से संबंधित मामले, जैसे कि;

- आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, जिनमें आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग का ढांचा, कर्मचारीगण और विभाग के प्रमुख की पदस्थता, आन्तरिक लेखापरीक्षा का रिपोर्टिंग ढांचा, कवरेज एवं बारम्बारता शामिल हैं।
- आन्तरिक लेखा परीक्षकों से किन्हीं महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर चर्चा और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- आन्तरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किन्हीं आन्तरिक जांचों के निष्कर्षों की उन मामलों में समीक्षा करना जहां धोखाधड़ी अथवा अनियमितता अथवा आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता से संबंधित कोई ठोस सूचना मिलती है तथा मामले की सूचना बोर्ड को देना।
- लेखा परीक्षा शुरू करने से पहले लेखापरीक्षा के स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना तथा किसी चिन्तनीय विषय को अभिनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा के बाद विचार- विमर्श करना।

(ज) अंशधारकों और लेनदारों के भुगतानों में गंभीर चूक होने पर (घोषित लाभांश की गैर-अदायगी के मामले में), यदि कोई हो, की जांच करना।

(झ) उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की पर्याप्तता और आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता।

3.1.3 बैठकें एवं उपस्थिति

वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या नीचे दी गई है :

क्रम सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तारीख	सदस्य संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	25 अप्रैल, 2011	3	3
2.	27 अप्रैल, 2011 (स्थगित)	3	3
3.	17 दिसम्बर, 2011	3	3
4.	28 मार्च, 2012	3	2

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों तथा उनमें वर्ष 2011-12 में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नवत है :

क्रम सं.	लेखापरीक्षा समिति के सदस्य	उसके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया, स्वतंत्र निदेशक (22.05.2011 तक)	2	2
2.	डॉ. के. अप्रामेयन, स्वतंत्र निदेशक (1.05.2011 तक)	2	2
3.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना, स्वतंत्र निदेशक	4	4
4.	श्री ओ.पी. गहरोत्रा, स्वतंत्र निदेशक, (16.03.2012 से)	1	1
5.	श्री राजीव शेखर साहू, स्वतंत्र निदेशक (9.11.2011 से)	2	2
6.	श्री किशन सिंह अटोरिया, नामिती निदेशक, (31.05.2012 से पदावसान)	2	-

निदेशक (वित्त) एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी ने विशेष आमंत्रिती के रूप में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लिया। कई अन्य अधिकारियों के साथ-साथ लेखापरीक्षकों को भी समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति की सहायता हेतु बुलाया गया था।

3.2 पारिश्रमिक समिति

लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन वेतन एवं भत्तों, वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल पर विचार करने एवं निर्णय लेने के लिए किया गया था तथा नीति, वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल एवं निर्धारित सीमाओं के भीतर इसके वितरण के लिए इसकी नीति निम्नवत है :

3.2.1 संरचना : पारिश्रमिक समिति का गठन 16 दिसम्बर, 2011 को किया गया था। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्रम सं.	सदस्यों के नाम	सदस्य की श्रेणी
1.	डॉ. (प्रो.) एस.सी. सक्सेना	स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2.	श्री ओ.पी. गहरोत्रा (16.03.2012 से)	स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3.	श्री राजीव शेखर साहू (9.11.2011 से)	स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

3.2.2 बैठकें एवं उपस्थिति

पारिश्रमिक समिति की तीन बैठकें वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 25 अप्रैल को, 17 दिसम्बर, 2011, 28 मार्च, 2012 को आयोजित की गई थीं। पारिश्रमिक समिति के बैठकों के ब्यौरे जिनमें सदस्यों द्वारा भाग लिया गया था, निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्य	धारित पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
1.	डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया (1.5.2011 तक)	अध्यक्ष	1	1
2.	डॉ.(प्रो.)एस. सी. सक्सेना	अध्यक्ष	3	3
3.	डॉ. के. अप्रामेयन (01.05.2011 तक)	सदस्य	1	1
4.	श्री ओ. पी. गहरोत्रा (16.03.2012 तक)	सदस्य	1	1
5.	श्री राजीव शेखर शाहू (09.11.2011 से)	सदस्य	2	2
6.	श्री किशन सिंह अटोरिया (31.05.2012 को पदावसान)	सदस्य	2	0

4. आम सभा

तारीख, समय एवं स्थान, जहां पिछली तीन वार्षिक आम सभाएं आयोजित की गई थी, निम्नवत हैं :

वार्षिक आम सभा	26 सितम्बर, 2011 को आयोजित 23वीं वार्षिक आम सभा	31 अगस्त, 2010 को आयोजित 22वीं वार्षिक आम सभा	29 सितम्बर, 2009 को आयोजित 21वीं वार्षिक आम सभा
समय	05:30 बजे सायं	05:00 सायं	07:00 सायं
स्थान	टीएचडीसी इंडिया लि. प्लांट नं. 20, सेक्टर नं. 14, कौशाम्बी, गाजियाबाद (उ.प्र.)	भागीरथी भवन, भागीरथी पुरम, टॉप टैरेस, टिहरी गढ़वाल-249001 (उत्तराखण्ड)	टीएचडीसी कार्यालय, ए-10, सेक्टर-1 कृष्णकोट भवन, चौथी मंजिल, नोएडा
विशेष संकल्प	• अधिक पूंजी प्रदत्त एवं स्वतंत्र प्रारक्षित निधियों में निदेशक-मण्डल की उधारी शक्ति को मंजूरी देना	• संस्था बहिर्नियम एवं अंतर्नियम में संशोधन • प्रदत्त पूंजी एवं स्वतंत्र प्रारक्षित निधियों से अधिक की निदेशक मण्डल को उधारी शक्ति की मंजूरी देना।	• कम्पनी के नाम में परिवर्तन • संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम में संशोधन

5. प्रकटीकरण

5.1 संबंधित पार्टी के लेन-देन : इसमें प्रोमोटरों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण स्वरूप का कोई लेन-देन नहीं किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर कम्पनी के हित में संभावित विरोधाभास हो। संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण के ब्यौरों को लेखाकरण मानक-18 के अनुसार लेखा संबंधी टिप्पणियों में शामिल किया गया है।

6. सचेतक नीति

सचेतक नीति को कर्मचारियों के लिए अनैतिमरक व्यवहार के बारे में सरोकारों, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा कदाचार अथवा आचार नीति संबंधी कम्पनी के सामान्य दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के बारे में कम्पनी को सूचित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने हेतु अंगीकार किया गया है। कर्मचारियों को उत्पीड़न के प्रति पर्याप्त सोपान उपलब्ध करवाए गए हैं और अपवादात्मक मामलों में सीधे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के पास जाने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

- ➢ इसमें सद्भावपूर्वक भंडाफोड़ करने पर कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का प्रावधान है।
- ➢ जो कर्मचारी, जानबूझकर झूठे आक्षेप लगाएगा, उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- ➢ सचेतक नीति की प्रति पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी की सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

7. शिकायत निवारण तंत्र :

शिकायत को किसी भी प्रकार के असन्तोष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे संगठन में व्यक्ति के सामान्य कार्यकरण के लिए सुधार लाए जाने की आवश्यकता होती है। मोटे तौर पर शिकायत को संगठन के किसी पहलू से असंतुष्टता अथवा असन्तोष के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। यह वास्तविक अथवा काल्पनिक, युक्तियुक्त अथवा हास्यास्पद कथित अथवा अकथित, लिखित अथवा मौखिक हो सकती है, तथापि, इसे किसी न किसी रूप में व्यक्त होना चाहिए। कम्पनी ने कर्मचारियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र को अपनाया है।

8. कारपोरेट आचार नीति

आपकी कम्पनी के निदेशक मण्डल ने कारपोरेट सुशासन पहल के एक भाग के रूप में कारपोरेट आचार नीति को अनुमोदित किया है। आचार नीति का प्रयोजन कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की उन अपेक्षाओं को पूरा करना है जिन्हें वांछित कार्य सम्पन्नता में समझा जाता है। यह नीति कार्यव्यवहार के निर्देशन हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि सभी लोग जो संगठन के लिए काम करते हैं व्यावसायिक आचार नीति के उच्चतम स्तर का पालन करें और टीएचडीसीआईएल के सुशासन में सहयोग करने को जिम्मेदार हों तथा इसकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता के मान को बढ़ावे दें।

यह आचार नीति अभिकथन निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों, कर्मचारियों, जिनमें प्रतिनियुक्ति/सियन वाले कर्मचारी शामिल हैं, पर लागू होगा। व्यावसायिक आचार संहिता एवं आचार नीति के अनुपालन के संबंध में वार्षिक अभिपुष्टि निगम के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन में उ.म.प्र. स्तर तक से प्राप्त की जाती है।

9. जोखिम प्रबंधन

टीएचडीसीआईएल ने किसी भी व्यापारिक गतिविधि के व्यवस्थापन में संबद्ध जोखिमों के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए निदेशक-मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति को अपना लिया है। यह जोखिम को व्यवस्थित करने का एक संरचित दृष्टिकोण है जो सभी प्रकार की आशंकाओं से होता है और इसमें मानव कार्यकलापों का क्रम होता है, जिसमें जोखिम की पहचान, जोखिम का प्रमाणीकरण, जोखिम प्रतिक्रिया का विकास एवं कार्यान्वयन/प्रबंधकीय संसाधनों का प्रयोग करते हुए जोखिम को कम करना शामिल है।

जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम संबंधी खतरों को कम करना है, जो पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, मानव, संगठन और राजनीति के कारण हो सकते हैं। जोखिम प्रबंधन कारपोरेट के उद्देश्यों को हासिल करने में प्रभावी सहयोग करता है और विभिन्न कार्यात्मक प्रबंधन क्षेत्रों के अभिन्न अंग होता है। जोखिम प्रबंधन में जोखिम विश्लेषण की सुपरिभाषित प्रणाली, जोखिम प्रतिक्रियाएं और जोखिम नियंत्रण शामिल हैं, ताकि स्वीकार्य स्तर तक जोखिम कम किए जा सकें।

10. रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली :

टीएचडीसीआईएल ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशा-निर्देशों के संबंध में रिकॉर्ड प्रबंधन मैनुअल को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अंगीकार किया है :

- अभिलेखों के उचित संरक्षण एवं स्टोरेज को सुकर बनाना।
- अभिलेखों की शीघ्र पुनःप्राप्ति को आसान बनाना।
- शुरुआती स्तर पर रिकार्डों की वृद्धि को नियंत्रित करना।
- अभिलेखों की समय पर छंटाई हेतु पहचान करना ताकि अभिलेखों के रखरखाव की लागत को ईष्टतम किया जा सके।
- अभिलेखों के प्रतिधारण हेतु सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करना।
- कार्यालय के स्थान के ईष्टतम उपयोग आदि।

11. संचार साधन-सरकारी वेबसाइट

कम्पनी अपने अंशधारकों के साथ संप्रेषण अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम सभा और प्रकटनों के जरिए करती है, जिसे अपनी सरकारी वेबसाइट में भी रखती है। कम्पनी के बारे में सूचना एवं नवीनतम जानकारियां एवं उपयोगिता को

निम्नलिखित सहित कम्पनी की वेबसाइट : www.thdc.gov.in पर देखा जा सकता है :

12. बोर्ड की आचार संहिता

निदेशक-मण्डल ने लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कम्पनी की विजन एवं मान्यताओं के संरेखण में निदेशक-मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए अलग आचार संहिता एवं आचार नीति तैयार की है। इसका लक्ष्य कम्पनी के कार्यों के व्यवस्थापन में आचार नीति एवं पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है।

घोषणा जैसा कि लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के खण्ड 3.4.2 के तहत अपेक्षित है "निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है।

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक :

आपकी कम्पनी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के तहत संसदीय निरीक्षण के अध्यधीन भी है। उनमें कम्पनियों की लेखा परीक्षा के लिए विशेष व्यवस्था होती है जहां सरकार द्वारा इक्विटी सहभागिता 51% अथवा अधिक है। कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, जो निर्देशन देता है कि किस तरीके से लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राथमिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने के लिए भी अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एव महालेखा परीक्षक आपकी कम्पनी के लेखों की नमूना लेखा परीक्षा करता है तथा अपनी लेखा परीक्षा के परिणामों से संसद एवं राज्य विधानमंडल को सूचित करता है।

14. पत्राचार हेतु पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
प्रगतिपुरम बाईपास रोड,
ऋषिकेश-249201
उत्तराखण्ड

पत्राचार के लिए दूरभाष सं. एवं ई-मेल संदर्भ नीचे दिए गए हैं:

कम्पनी सचिव	श्री.एस.क्यू अहमद
कार्यालय दूरभाष संख्या	0135-2439309, फैक्स सं. 0135-2439442
ई-मेल	thdccs@yahoo.co.in
जन शिकायत के लिए	श्री ए.सी. जोशी, अपर महा प्रबन्धक (का. एवं प्रशा.), निदेशक
सम्पर्क	0135-2437856, फैक्स सं. 0135-2430292
ई-मेल	acjoshi@thdc.gov.in

कारपोरेट सुशासन का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लि.

1. हमने 31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लि. द्वारा कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली हैं।
2. कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत की गई प्रक्रिया-विधियों एवं कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा थी और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोई अभिव्यक्ति थी।
3. हमारी राय में तथा हमारी जानकारी में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
4. हम आगे अभिकथन करते हैं कि यह अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की व्यवहार्यता, न ही दक्षता या प्रभावोत्पादकता का आश्वासन देता है, जिससे प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन कर रहा है।

-ह.-
(सुंबुल मसूद)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सुंबुल मसूद एंड एसोसिएट्स
सदस्य सं. एसीएस 24512 सीओपी सं. 8840
40ए, मिर्जा गालिब रोड, इलाहाबाद-211003

दिनांक : 31.08.2012
स्थान : इलाहाबाद

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध
31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कर्मचारियों के ब्यौरे

क) वर्ष भर चलनेवाला रोजगार और पारिश्रमिक राशि की प्राप्ति जो कुल मिलाकर प्रतिवर्ष 60,00,000 रू. से कम नहीं थी

(राशि लाख में)

नाम	पदनाम/ कार्य का स्वरूप	पारिश्रमिक (₹ लाख में)	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	रोजगार शुरू करने की तारीख	आयु	अंतिम धारित रोजगार	अभ्युक्तियां
			शून्य					

ख) वर्ष के कुछ भाग में चलने वाला रोजगार और पारिश्रमिक राशि की प्राप्ति जो कुल मिलाकर प्रति माह 5,00,000 रू. से कम नहीं थी।

नाम	पदनाम/ कार्य का स्वरूप	पारिश्रमिक (₹ लाख में)	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	रोजगार शुरू करने की तारीख	आयु	अंतिम धारित रोजगार	अभ्युक्तियां
श्री डी. एस. प्रसाद	म. प्र. (परि. एवं अभि.)	27.94 लाख	बीएससी (सिविल इंजी.) एम.टेक. (सिविल स्ट्रक्चर एवं कन्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट)	38	31.12.1959	60	एनएचपीसी लि.	30.06.2011 को सेवानिवृत्त

1. जिन व्यक्तियों के नाम ऊपर दिए गए हैं, वे कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक/कर्मचारी हैं।
2. पारिश्रमिक में वेतन, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, एचआरए घटाकर लीज रेंट, भविष्य निधि में कर्मचारियों तथा नियोक्ता का अंशदान व उपदान शामिल हैं। ऊपर सूचीबद्ध कोई कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक से संबंधित नहीं है।

वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखे

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2011-2012

1. सामान्य

संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए समस्त उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखा जाता है, फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों तथा पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं। इस अंतर को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ-साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण-I की परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना गया तथा बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया है, जितना कि इस अंशदान/सहायता अनुदान में से अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

(i) अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गई हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहीत/निर्मित अचल परिसंपत्तियों को, जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती हैं।

(ii) भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां, जो कंपनी की नहीं हैं, अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

(iii) विशेष भू-अर्जन अधिकारी (एसएलएओ)/पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में, भूमि के वे भू-भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आवंटित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत के परिकलन में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गई पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

(iv) उन मामलों में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

(v) कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गई परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को कार्य पूरा होने की अवधि तक चालू पूंजीगत कार्यों में विशिष्ट मद के तौर पर दर्शाया जाता है और बाद में उन्हें अचल परिसंपत्तियों में शामिल कर लिया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

(i) पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा कृषि एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास, नई टाउनशिप का निर्माण, वनीकरण, पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे आदि) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू-अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में आरोपित किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर उसे भू-अधिग्रहण के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा।

(ii) निक्षेप निर्माण कार्य संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

(iii) आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

(iv) ठेकों के मामले में मूल्य अंतर के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

(v) कारपोरेट कार्यालय/सेवा केंद्रों के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों को अचल परिसंपत्ति के निर्माण में डाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आबंटित कर दिया जाता है। कारपोरेट कार्यालय/सेवा केंद्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि व्यय सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (ईडीसी) (निवल) को चल रहे पूंजी कार्य में उसमें वर्धनों के आधार पर जोड़ दिया जाता है और जब तक वे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक उन्हें संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

(vi) परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य (ईडीसी) के दौरान व्यय को अग्रेनीत कर नीति संख्या 5(i) के अनुसार संव्यवहृत किया जाता है।

6. ऋण लागत

(i) विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(ii) सामान्यतः उधार ली गई निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत, जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार संविभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

(i) विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब-किताब उन दरों पर किया जाता है, जिस पर उनका सौदा किया गया हो।

(ii) तुलन-पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें अंतिम दर का प्रयोग कर सूचित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर मुद्रा मदों को सौदे की तारीख को प्रवृत्त विनिमय दर पर सूचित किया जाता है।

(iii) 01.04.2004 से पहले किए गए लेन-देन से उत्पन्न अचल परिसंपत्तियों / प्रगति पर पूंजीगत कार्यों के ऋणों/ जमाराशियों/ देयताओं के विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति / प्रगति पर पूंजीगत कार्य की लगने वाली लागत से समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन-देन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को एएस-11 (संशोधित 2003) "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

(iv) अन्य विनिमय अंतरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें यह उत्पन्न हुए हों, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

(i) मूल्यह्रास को प्रशुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर को अधिसूचित नहीं किया है, उनके बारे में मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि के आधार पर किया जाता है। विनिमय दरों में घट-बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण दीर्घावधि देनदारी में वृद्धि/कमी के कारण परिसंपत्ति की लागत में परिवर्तन के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप से संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

(ii) 1500/-रुपए तक की लागत वाली निम्न मूल्य मदों को, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उनको राजस्व से प्रभारित जाता है।

(iii) 1500/-रुपए से अधिक पर 5000/-रुपए तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

(iv) मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के "उपयोग के लिए तैयार" होने की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

(v) लीज होल्ड जमीन की लागत लीज़ अवधि के दौरान

परिशोधित की जाती है।

(vi) कंपनी द्वारा स्वामित्व में ली गई परिसंपत्तियों पर परिशोधना की निर्माण अवधि के दौरान उपगत पूंजीगत व्यय को संबंधित परियोजना की पहली इकाई का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने के वर्ष से पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है तथा इसके बाद उस वर्ष से, जिसमें संबंधित परिसंपत्ति पूरी हो गई हो तथा प्रयोग के लिए उपलब्ध हो गई हो, परिशोधित किया जाता है।

(vii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग के विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है। मशीनों के कुल-पुर्जों जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति की किसी मद के मामले में ही किया जा सकता है तथा जिसका प्रयोग अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल-पुर्जे

(i) भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी निम्नतर हो, निर्धारित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ii) अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल-पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय को मान्यता

(i) ऊर्जा बिक्री का लेखाकरण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार किया जाता है। उस विद्युत केंद्र के मामले में, जहां अंतिम प्रशुल्क को अधिसूचित नहीं किया गया है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गए लागू विनियमों में दी गई विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी द्वारा वार्षिक नियत प्रभारों की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनाई गई अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के प्रति वसूली/वापसी का हिसाब वर्षानुवर्ष आधार पर रखा जाता है।

(ii) प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशि का हिसाब केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानकों या मार्गदर्शियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत केंद्रों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/मार्गदर्शियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/ हतोत्साहन राशियों का हिसाब अनंतिम आधार पर रखा जाता है।

(iii) ऊर्जा बिक्री के लिए विविध जेनरेटरों से वसूल किए जाने वाले अधिभार तथा परिसमाप्त क्षतियों/वारंटी दावों को इसके वसूली किए जाने/स्वीकृति किए जाने की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसलिए इसकी प्राप्ति/प्राप्ति आधार के सुनिश्चित होने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

(iv) ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज को संबंधित लागू पूंजीगत कार्य के खाते में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

(v) कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय रखा जाता है।

(vi) बीमा दावों का हिसाब बीमाकर्ता द्वारा प्राप्ति/स्वीकृति सुनिश्चित वसूली के वर्ष में रखा जाता है।

(vii) परामर्शी कार्य से प्राप्त आय का हिसाब निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/ तकनीकी मूल्यांकन आधार पर या संबंधित परामर्शी अनुबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत के आधार पर किया जाता है।

व्यय

(viii) मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल-पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते को प्रभारित की जाती है।

(ix) प्रत्येक मामले में 10,000/-रुपए या उससे कम की मदों के पूर्व प्रदत्त खर्च तथा पूर्वावधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

(x) वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

(xi) व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले की परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च सामान्य से प्रभारित किए जाते हैं।

(xii) पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विनिर्दिष्ट प्रतिशत अलग रख दिया जाता है ताकि निगम को सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके। खर्च न की गई राशि अग्रेनीत कर दी जाती है।

11. कर्मचारियों के लाभ

(i) कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्ति हो रहे कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता पैकेज और अंतिम संस्कार खर्च के लिए देनदारी का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जैसाकि एएस-15 में परिभाषित किया गया है।

(ii) कंपनी ने भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस कोष में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों पर ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12. विविध व्यय

31.03.2004 तक आस्थगित राजस्व व्यय को व्यय के वर्ष से 10 वर्षों की अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया गया है। हालांकि, बाद में उसे व्यय वाले वर्ष में पूरी तरह प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय निर्धारण अंतरों के आधार पर मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन-पत्र की तारीख तक पारित किए गए कानूनों के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता की सीमा तक मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते में उस सीमा तक राशि जमा की जाती है/नामे डाली जाती है जहां तक कर व्यय भावी वर्षों में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगदी प्रवाह विवरण को नगदी प्रवाह विवरण से संबंधित लेखाकरण मानक (एएस-3) में निर्धारित परोक्ष तरीके के अनुसार तैयार किया जाता है।

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएं					
शेयरधारकों की निधियां					
(क) शेयर पूंजी	1	3,29,758		3,29,758	
(ख) आरक्षित निधि और अतिरिक्त राशि	2	2,88,456	6,18,214	2,47,507	5,77,265
आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि			4,600		0
गैर-चालू देयताएं					
(क) दीर्घावधि उधारियां	3	4,45,594		4,17,323	
(ख) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	25,794		29,902	
(ग) दीर्घावधि प्रावधान	5	18,532	4,90,120	16,788	4,64,013
चालू देयताएं					
(क) अल्पावधि उधारियां	6	26,268		32,917	
(ख) ट्रेड देय	7	60		4	
(ग) अन्य चालू देयताएं	8	89,443		72,678	
(घ) अल्पावधि प्रावधान	9	30,180	1,45,652	18,370	1,23,969
कुल			12,58,417		11,65,247
परिसंपत्तियां					
गैर-चालू परिसंपत्तियां					
(क) स्थायी परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	9,20,201		9,02,848	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	128		129	
(iii) प्रगति पर पूंजी कार्य	11	57,081	9,77,408	82,471	9,85,448
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		10,918		13,282
(ग) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	13		57,475		37,550
(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	14		516		359

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार	
चालू परिसंपत्तियां					
(क) वस्तुसूची	15	1,660		1,768	
(ख) ट्रेड प्राप्य	16	1,90,897		1,11,495	
(ग) नगदी एवं नगदी समरूप राशियां	17	13,787		5,244	
(घ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	18	3,264		2,168	
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	495	2,10,103	113	1,20,788
कुल			**12,65,417**		**11,65,247**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	(सी. पी. सिंह)	(आर. एस. टी. शाई)
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एवं भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 17572

दिनांक : 31.08.2012
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते का विवरण

राशि लाख रु में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से राजस्व	20		2,04,558		1,68,310
अन्य आय	21		950		617
कुल राजस्व			2,05,508		1,68,927
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22		14,995		15,524
वित्त लागत	23		53,173		37,797
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	10		45,080		34,962
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	24		11,774		12,846
प्रावधान	25		156		79
कुल व्यय			1,25,178		1,01,208
कर-पूर्व लाभ			80,330		67,719
पूर्वावधि आय/ (व्यय) (निवल)	26		96		(201)
कर पूर्व व्यय			80,234		67,920
कर व्यय	27				
वर्तमान कर					
आय कर		16,298		13,631	
संपत्ति कर		85	16,375	31	13,662
आस्थगित कर - परिसंपत्ति		(6,524)	(6,524)	(5,789)	(5,789)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्ष का लाभ			70,383		60,047
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन					
मूल (₹)			213.44		182.10
कम किया हुआ (₹)			213.42		182.10

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	(सी. पी. सिंह)	(आर. एस. टी. शाई)
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एवं भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 17572

दिनांक : 31.08.2012
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी : 1

शेयर पूंजी

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अधिकृत रुपए 1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
जारी की गई अभिदत्त एवं प्रदत्त रुपए 1000/- प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर		3,29,75,600	3,29,756	3,29,75,600	3,29,756
कुल			3,29,756		3,29,756

टिप्पणी :-1.1

शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का लेखा समाधान

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
आरंभिक		3,29,75,600	3,29,756	3,29,75,600	3,29,756
निर्गत		0	0	0	0
घटौती		0	0	0	0
अंतिम		3,29,75,600	3,29,756	3,29,75,600	3,29,756

टिप्पणी :-1.2

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
5% से अधिक रखने वाले शेयर					
I. भारत सरकार		2,37,37,000	71.98	2,37,37,000	71.98
II. उत्तर प्रदेश सरकार		92,38,600	28.02	92,38,600	28.02
कुल		3,29,75,600.00	100.00	3,29,75,600.00	100.00

1.3 कंपनी को तारीख 17.12.2008 की संख्या 40/2/2008-पीएल-II के तहत भारत सरकार को आवंटित रुपए 1000/-प्रत्येक के 27787 इक्विटी शेयरों के निरस्तीकरण द्वारा रुपए 277.87 लाख के शेयर पूंजी को कम करने के लिए कारपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार की पुष्टि प्राप्त हुई है। इसके लिए आवश्यक प्रविष्टि वर्ष 2008-09 में पारित की गई है। घटौती, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पारेषण लाइनों एवं संबद्ध सब-स्टेशनों के अंतरण के संबंध में वास्तविक जारीत प्रतिफल को निरूपित करती है। इस प्रकार, इस संबंध में शेयर पूंजी में कुल घटाव 1998-99 में किए गए रुपए 841.00 लाख के पूर्ववर्ती घटाव सहित रुपए 1118.87 लाख बैठती है।

टिप्पणी : 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
आरक्षित पूंजी					
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति देय अंशदान		1,44,134		1,44,134	
घटाएं : -					
बकाया अंशदान		15		15	
प्राप्त अंशदान		**1,44,119**		**1,44,119**	
घटाएं :-					
मूल्यह्रास के संबंध में समायोजन		27,595	1,16,524	20,787	1,23,332
अन्य आरक्षित पूंजी					
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजनाओं के लिए)					
आरंभिक शेष		472		431	
वर्ष के दौरान प्राप्त		0		41	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		0	472	0	472
उप-जोड़ - ''क''		**1,16,996**			**1,23,804**
लाभ एवं हानि खाते में अधिशेष					
आरंभिक		1,23,726		84,785	
जोड़ें : पी एवं एल विवरण के अनुसार वर्ष हेतु लाभ		70,383		60,047	
विनियोजन हेतु कुल लाभ			**1,94,109**		**1,44,832**
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		0		12,500	
प्रस्तावित लाभांश		21,200	21,200	5,600	18,100
लाभांश पर कर					
लाभांश संवितरण कर-अंतरिम		0		2,076	
लाभांश संवितरण कर -प्रस्तावित		3,439	3,439	930	3,006
उप-जोड़ - ''ख''			**1,69,470**		**1,23,726**
उप-जोड़ - 'ग' (क + ख)			**2,86,466**		**2,47,530**
विविध व्यय (ऐसी सीमा में जो बट्टेखाते अथवा समायोजित न हो)					
आरंभिक शेष		23		36	
वर्ष के दौरान परिवर्धन		1		0	
वर्ष दौरान प्रयुक्त/समयोजित		(14)	10	(13)	23
उप-जोड़ - ''घ''			**10**		**23**
कुल (ग - घ)			**2,86,456**		**2,47,507**

2.1 कंपनी ने रुपए 1000/- सममूल्य प्रत्येक के लिए रुपए 64.29 प्रति इक्विटी शेयर की दर पर वर्ष 2011-12 के लिए (पूर्ववर्ती वर्ष रुपए 54.89 प्रति इक्विटी शेयर) लाभांश का प्रस्ताव किया है।

टिप्पणी - 5

दीर्घावधि उधारियाँ

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
क. सुरक्षित पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (टिहरी एचपीपी के लिए)।					
(15 जुलाई, 2005 से 15 जनवरी, 2015 तक वर्तमान में 11% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			0		1,057
(15 जुलाई, 2005 से 15 जनवरी, 2015 तक वर्तमान में 10.75% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			4,636		15,638
(15 जुलाई, 2005 से 15 जनवरी, 2015 तक वर्तमान में 10% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			18,700		18,700
(15 जुलाई, 2005 से 15 जनवरी, 2015 तक वर्तमान में 9.75% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			8,900		8,800
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(15 अक्तूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक वर्तमान में 12.75% पूर्ववर्ती वर्ष 12.5% छिमाही देय, अस्थिर ब्याज दर अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 15 वर्ष तक प्रतिदेय)।			94,792		1,03,629
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (कोटेश्वर एचईपी के लिए) #					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक वर्तमान में 12% दर पर देय अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			8,000		8,000
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक वर्तमान में 11.50% पर छिमाही पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			60,066		71,769
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक वर्तमान में 11.25% दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			14,113		14,115
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक वर्तमान में 11% दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए छिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			20,190		20,199

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार	31 मार्च, 2011 के अनुसार
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) (केएचईपी के लिए) #			
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 12.5% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		6,144	0
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 12.25% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		3,175	0
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 12% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		8,134	0
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 11.5% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		1,110	0
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 11.25% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		7,704	5,035
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 11% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		8,757	9,467
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान में तिमाही देय 10.75% की दर पर अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।		29,795	32,210
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (टिहरी एचपीपी के लिए)*			
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक वर्तमान में 12.5% की दर पर तिमाही देय अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)।		9,079	22,497
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक वर्तमान में 12% की दर पर तिमाही देय अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)।		11,169	0
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक वर्तमान में 11.5% की दर पर तिमाही देय अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)।		4,632	5,147
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक वर्तमान में 11% की दर पर तिमाही देय अस्थिर ब्याज दर को		60,784	67,538

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)।					
(नवम्बर, 2008 से मार्च, 2018 तक वर्तमान में 11.5% की दर पर अलग-अलग तारीखों पर बैंक अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			10,929		14,098
पंजाब नेशनल बैंक बैंक के नकदी क्रेडिट अस्थिर ब्याज दर को अपनाते हुए मूल दर + 1% वर्तमान में 11.75% की दर पर**			50,000		0
योग (क)			4,38,713		4,13,080
ख. अनुसूचित 3 विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) टिहरी एचपीपी के लिए [illegible] ऋण - 2231					
(जून, 2004 से दिसम्बर, 2013 तक ईयूआरआईबीओआर जमा 0.5% अतिरिक्त मार्जिन प्रति वर्ष की दर पर अस्थिर ब्याज दर अपनाते हुए वर्तमान में 2.1875% दर पर, पूर्ववर्ती वर्ष 1.75% की दर पर अर्ध वार्षिक किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			1,592		3,602
[illegible] ऋण -2236 (सितम्बर, 2004 से मार्च, 2014 तक 5.91% प्रति वर्ष की दर पर स्थिर ब्याज दर अपनाते हुए अर्ध वार्षिक किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			400		741
विश्व बैंक ऋण वीपीएचईपी के लिए (15 नवम्बर, 2017 से 15 नवम्बर, 2040 तक मूल लाईबोआर + परिवर्तनीय फैले हुए दर पर वर्तमान में 1.18% की दर पर अस्थिर ब्याज दर अपनाते हुए अर्ध वार्षिक किस्त पर 23 वर्षों तक प्रतिदेय)।			529		0
सावधि ऋण $ # भारतीय स्टेट बैंक (अगस्त, 2016 से मई, 2026 तक वर्तमान में 11.20% की दर पर (मूल दर + 1.2%) अस्थिर ब्याज दर अपनाते हुए तिमाही किस्तों पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			10,000		0
योग (ख)			12,521		4,343
योग (क+ख)			4,48,834		4,17,323

* टिहरी चरण-I की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित [illegible] ऋण, [illegible] बांध, [illegible] [illegible] एवं [illegible] जो अन्य [illegible] के अंतर्गत नहीं आते हैं और ऋण एवं उनके संबंधित [illegible] पर सभी [illegible] के साथ टिहरी [illegible] एवं [illegible] को [illegible] [illegible]।

\# [illegible] परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित [illegible] ऋण।

** कंपनी की परिसंपत्तियों के [illegible] द्वारा सुरक्षित रुपए 50,000/- लाख की [illegible]।

$ [illegible] ऋण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

$ # [illegible] 31.03.2012 [illegible] टिहरी [illegible] के लिए [illegible] रुपए 10000 लाख [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] 31.07.2012 [illegible] [illegible] ऋण के रूप में [illegible] है।

[illegible] किसी भी ऋण [illegible] ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं है।

टिप्पणी : 4

अन्य दीर्घावधि देयताएं

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के संबंध में आस्थगित राजस्व					
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		28,331		28,331	
जोड़ें : वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं : वर्ष के दौरान अभिस्वीकृत राजस्व		0	28,331	0	28,331
देयताएं					
पूंजी व्यय के लिए		33		767	
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		4	37	17	784
जमाराशियां, ठेकेदार आदि से प्रतिधारण राशि		385		726	
अन्य देयताएं		1	386	61	787
कुल			**28,754**		**29,902**

4.1 सीईआरसी विनियमन 2004-2009 के तहत टैरिफ के संघटक के रूप में अनुमत मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को बिक्रियों से घटाया गया था और उत्तरवर्ती वर्षों की बिक्रियों में समायोजित किए जाने वाले आस्थगित राजस्व के रूप में समझा गया था। सीईआरसी विनियमन 2009-2014 के अनुसार इसे 01.04.2009 से समाप्त कर दिया गया है।

टिप्पणी : 8

दीर्घावधि प्रावधान

(राशि, लाख रुपए में)
(लघु कोष्ठक में आंकड़े घटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2011 के अनुसार	वर्ष 31 मार्च, 2012 के लिए			31 मार्च, 2012 के अनुसार
			परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	
I. कार्य		1,249	0	(993)	(256)	0
II. कर्मचारी से संबंधित		14,888	2,651	153	(236)	17,456
III. अन्य		673	405	(1)	0	1,077
योग		16,810	3,056	(841)	(492)	18,533
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आंकड़े		14,499	2,408	(97)	0	16,810

कर्मचारी लाभ पर एएस-15 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 22 में किया गया है।

टिप्पणी : 6

अल्पावधि उधारियां

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
क. प्रतिभूति ऋण :					
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (9.75% की दर पर प्रचलित अस्थिर ब्याज दर)			0		10,417
पावर वित्त निगम लिमिटेड (13.75% की दर पर प्रचलित अस्थिर दर) $			20,000		0
बैंकों से नगद क्रेडिट**					
पंजाब नेशनल बैंक (11.75% की दर पर प्रचलित अस्थिर ब्याज दर)			12,381		0
जोड़ (क)			**32,381**		**10,417**
ख. अप्रतिभूति ऋण :					
पंजाब नेशनल बैंक (10.00% की दर पर प्रचलित अस्थिर ब्याज दर)			0		22,500
पावर वित्त निगम लिमिटेड (12.5% की दर पर प्रचलित अस्थिर ब्याज दर)*			3,808		0
पावर वित्त निगम लिमिटेड (12.25% की दर पर प्रचलित अस्थिर ब्याज दर)*			3,769		0
जोड़ (ख)			**7,577**		**22,500**
जोड़ (क + ख)			**39,958**		**32,917**

* *निलम्बलेख खाते पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के रूप में पीएफसी से लिए गए रुपए 7577/-लाख का एसटीएल।*

** *कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर दूसरे प्रभार द्वारा प्रतिभूत रुपए 15000/-लाख तक की अतिरिक्त ओवर ड्राफ्ट सीमा।*

$ *रुपए 25000/-लाख की सीमा में अर्जित ऋणों पर प्रथम प्रभार के रूप में प्रतिभूत।*

इसमें वर्ष के दौरान किन्हीं ऋणों अथवा उन पर किसी ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं है। इन अल्पावधि ऋणों को वर्ष के भीतर लौटाना होता है।

टिप्पणी : 7

ट्रेड देय

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
ट्रेड देय - एमएसएमईडी			0		0
ट्रेड देय - एमएसएमईडी से भिन्न			50		4
जोड़			50		4

टिप्पणी : 8

अन्य चालू देयताएं

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
दीर्घावधि - ऋण की वर्तमान भुगतान-तिथि					
क. प्रतिभूत			80,729		36,694
योग (क)			80,729		36,694
ख. अप्रतिभूत ई विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीयुक्त)			2,293		2,132
योग (ख)			2,293		2,132
योग (क + ख)			83,022		38,826
देयताएं					
पूंजी व्यय के लिए		5,077		9,042	
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के लिए		0		0	
अन्य के लिए		2,063	7,140	14,562	23,604
आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदार आदि की प्रतिधारण राशि		2,113		1,938	
अन्य देयताएं		713	2,826	1,089	3,027
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं					
वित्तीय संस्थान		9,457		7,227	
अन्य देयताएं		0	9,457	0	7,227
योग			19,423		33,858
कुल देयताएं			82,445		72,678

ऊपर दर्शाए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान भुगतान-तिथि के पुनर्भुगतान की अवधि के संबंध में ब्यौरा टिप्पणी-3 में प्रदर्शित है।

टिप्पणी : 9

अल्पावधि प्रावधान

राशि, लाख रुपए में
(लघु कोष्ठक में आंकड़े घटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2011 के अनुसार	वर्ष 31 मार्च, 2012 के लिए			31 मार्च, 2012 के अनुसार
			परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	
I. कार्य		801	435	971	(325)	1,882
II. कर्मचारी से संबंधित		7,887	7,182	(777)	(5,279)	9,013
III. लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)		5,600	21,200	0	(5,600)	21,200
IV. लाभांश संवितरण कर (अंतरिम एवं अंतिम)		3,006	3,439	0	(3,006)	3,439
V. अन्य		1,076	14,616	(91)	(12,005)	3,596
जोड़		**18,370**	**46,872**	**103**	**(26,215)**	**39,130**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**22,330**	**25,748**	**(2,029)**	**(27,679)**	**18,370**

कर्मचारी लाभ पर एएस-15 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 62 में किया गया है।

टिप्पणी : 15

अचल परिसम्पत्तियां

राशि, लाख रूपए में
(लघु कोष्ठक में आंकड़े घटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2011 की स्थिति	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च 2012 की स्थिति	1 अप्रैल 2011 की स्थिति	वर्ष हेतु	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च 2012 की स्थिति	31 मार्च 2012 की स्थिति	31 मार्च 2011 की स्थिति
मूर्त परिसंपत्तियां										
स्वयं की परिसंपत्तियां										
1. भूमि फ्री होल्ड	346	-	-	266	18	9	-	27	239	327
अन्य परिसंपत्तियां										
2. लीज होल्ड भूमि	2,182	–	–	2,182	–	–	–	–	2,182	2,182
3. [illegible] भूमि	1,38,989	3,480	-	1,41,036	17,343	4,604	-	21,944	1,19,122	1,21,388
4. भवन	83,611	5,022	(13)	88,629	1,436	2,618	(3)	3,718	85,195	82,411
5. भवन [illegible]	515	424	–	938	514	425	–	938	–	1
6. सड़क, पुल और पुलिया	3,380	3,634	(4)	6,970	307	560	3	868	6,402	4,373
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,342	16	–	1,358	188	37	–	225	1,040	1,088
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	1,448	876	–	1,326	973	37	-	1,030	796	475
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	1,93,094	28,517	(31)	2,21,580	26,558	10,627	–	37,178	1,84,094	1,66,558
10. [illegible]	1,176	60	(9)	1,223	564	159	(1)	721	500	602
11. विद्युत संस्थापनाएं	655	158	–	811	94	48	–	193	726	555
12. [illegible]	1,431	307	–	1,766	248	99	–	344	1,464	1,180
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	3,288	834	(37)	6,096	793	329	(1)	1,010	3,001	2,460
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	1,382	117	(1)	1,498	308	97	–	365	1,088	1,033
15. वाहन	702	661	(34)	1,027	353	95	(17)	435	508	914
16. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	12	4	-	16	106	110
17. जलविद्युत सिविल कार्य-बांध एवं स्पिलवे	4,95,443	8,737	–	4,88,180	83,023	26,579	1	88,471	4,12,709	4,33,361
18. जलविद्युत सिविल कार्य-जल, [illegible], पावरहाउस इत्यादि	1,31,243	5,813	–	1,37,056	21,094	7,021	102	28,117	1,08,939	1,10,209
19. [illegible]	177	–	(2)	175	–	–	–	-	175	177
20. [illegible]	2,618	–	–	2,656	2,273	384	–	2,564	291	345
उप-योग	[illegible]	63,466	(80)	[illegible]	1,33,718	49,610	20	1,66,279	[illegible]	[illegible]
पिछले वर्ष के आंकड़े	[illegible]	[illegible]	(5,280)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(7,359)	1,33,718	[illegible]	7,64,[illegible]
अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां - कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	307	65	-	372	138	48	-	186	186	169
उप-योग	307	65	–	372	138	48	–	186	186	169
पिछले वर्ष के आंकड़े	[illegible]	[illegible]	(3)	307	[illegible]	[illegible]	(3)	138	[illegible]	[illegible]
मूल्यह्रास का ब्यौरा:					चालू वर्ष		पिछले वर्ष			
[illegible]					975		1,828			
[illegible]					46,093		34,962			
[illegible]					6,606	53,674	6,730	42,532		
वर्ष के दौरान 1000.00 रूपये से अधिक [illegible] 5000.00 रूपये से कम की अचल परिसंपत्तियां [illegible]					18		25			

15.1 [illegible] 114,218 [illegible] 114,218 [illegible]

15.2 [illegible]

टिप्पणी : 11

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	वर्ष 31 मार्च, 2012 के लिए				
		01 अप्रैल, 2011 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2012 के अनुसार
निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		3,532	2,757	(1,951)	(258)	4,080
सड़क, पुल तथा पुलिया		3,894	2,615	(4,225)	(12)	2,272
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		80	47	4	-	131
उत्पादन संयंत्र एंव मशीनरी		32,870	9,026	(3,486)	(38,347)	63
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जलमार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		35,967	21,139	109	(15,677)	41,538
जलागम क्षेत्र वनीकरण		8	-	-	-	8
विद्युत संस्थापना तथा उपकेंद्र उपकरण		279	281	(545)	-	15
परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं		-	-	-	-	-
अन्य		271	61	(12)	(6)	314
उत्पादन संयंत्र एवं मार्गस्थ मशीनरी		511	387	(681)	-	217
निरीक्षणाधीन उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		-	-	-	-	-
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण एवं विकास खर्च		4,533	1,096	(31)	(63)	5,535
विनिमय परिवर्तन		-	-	-	-	-
आबंटन होने तक ब्याज		-	19,307	(19,307)	-	-
निर्माण के दौरान व्यय	11.1	546	613		-	1,159
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय (सांकेतिक लागत एवं किराए के संबंध में निवल वसूलियां)		980	774	(5)	-	1,749
उप-जोड़		**83,471**	**58,103**	**(30,130)**	**(54,363)**	**57,081**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**2,05,336**	**87,036**	**(17,666)**	**(1,91,235)**	**83,471**

टिप्पणी : 11.1
निर्माण के दौरान व्यय

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु	
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		9,347		12,780	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		1,166		2,074	
उपदान		905		444	
कल्याण		182	11,605	178	15,069
अन्य व्यय	24				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		90		152	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		426	516	379	531
दर एवं कर			21		18
विद्युत एवं ईंधन			371		519
बीमा			14		11
संचार			135		151
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		2		11	
भवन		229		301	
अन्य		392	623	1,682	1,994
यात्रा एवं वाहन			403		518
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			341		584
सुरक्षा			341		427
प्रचार तथा जनसंपर्क			107		130
अन्य सामान्य व्यय			848		1,076
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि			1		4
सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय			33		94
अनुसंधान एवं विकास व्यय			51		0
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			1		2
मूल्यह्रास	10		970		1,228
कुल व्यय (क)			15,388		23,318
प्राप्तियाँ					
अन्य आय	21				
ब्याज					
बैंक में जमाराशियों से		17		29	
कर्मचारियों से		104		104	
अन्यों से		1	122	1	181
मकान किराया प्राप्त			18		86
विविध प्राप्तियाँ			76		58
फुटकर प्राप्तियाँ			65		39
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			425		8
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ			29		12
कुल प्राप्तियाँ (ख)			734		313
पूर्वावधि समायोजन	26		19		8
कराधान से पूर्व शुद्ध व्यय			15,671		22,913
कराधान के लिए प्रावधान	27				
संपत्ति कर		14	14	20	20
कराधान पश्चात निवल व्यय			15,685		22,933
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			546		177
कुल ईडीसी			16,231		23,109
घटाएँ >					
सीडब्ल्यूआईपी को आवंटित ईडीसी/परिसंपत्ति		14,476		22,210	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है		596	15,072	423	22,633
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			1,159		544

टिप्पणी : 12

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
आस्थगित कर देयता		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		29,104	26,129	22,580	19,605
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)
जोड़			**19,816**		**13,292**

टिप्पणी : 13

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
पूंजीगत अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के प्रति		4,349		1,038	
ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (उत्तरांचल सरकार/एसएसजेएनएल)		13,659		1,668	
iii) अन्य		20,807		18,030	
iv) अग्रिमों पर उपचित ब्याज		6,647	45,462	4,679 2	26,498
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान			0		0
उप-जोड़ : पूंजीगत अग्रिम			45,463		26,498
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		2,834		2,282	
अप्रतिभूत		235	3,069	103	2,385
कर्मचारियों के ऋणों पर उपचित ब्याज					
प्रतिभूत		1,599		1,496	
अप्रतिभूत		12	1,611	23	1,519
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		0		1	
अप्रतिभूत		0	0	0	1
निदेशकों को ऋणों पर उपचित ब्याज					
प्रतिभूत		4		4	
अप्रतिभूत		0	4	0	4
अन्य					
अप्रतिभूत, संदिग्ध समझा गया		9	9	0	0
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकद या वस्तुओं के रूप में वसूली योग्य अग्रिम अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		83		21	
निदेशकों के लिए		0		0	
सप्लायरों के लिए		1		1	
अन्यों के लिए		8,740	8,804	8,612	8,634
जमाराशियां					
प्रतिभूति जमा		257		204	
सरकार/न्यायालय में जमा		267		233	
अन्य जमा		1	526	1	438
उप-जोड़			12,622		10,881
घटाएं : संदिग्ध एवं संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान			9		0
उप-जोड़ - अग्रिम			12,613		10,882
कुल ऋण और अग्रिम			57,476		37,380
टिप्पणी : निदेशकों से देय					
मूल			0		1
ब्याज			4		4
जोड़			4		5
टिप्पणी : अधिकारियों से देय					
मूल			1		2
ब्याज			5		5
कुल			6		7

टिप्पणी : 14

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
निर्माण भंडार					
(भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत पर अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी कम हो)					
सीमेंट		0		0	
अन्य सिविल एवं भवन साग्रमी		29		30	
अन्य		438		297	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0	467	1	328
उप-जोड़			**467**		**328**
पूर्वप्रदत्त व्यय		48		41	
उपगत ब्याज परंतु देय नहीं		0	48	0	41
उप-जोड़			**48**		**41**
जोड़			**515**		**369**

टिप्पणी : 15

वस्तु सूचियां

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
वस्तु सूचियां					
(भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत पर अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी कम हो)					
अन्य सिविल एवं भवन सामग्री		173		295	
अन्य		1,802		1,938	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		9	1,984	0	2,233
घटाएं : अन्य भंडारों हेतु प्रावधान			324		465
जोड़			**1,660**		**1,768**

टिप्पणी : 16

ट्रेड प्राप्य

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
छह महीने से अधिक बकाया ऋण					
अप्रतिभूत अच्छा समझा गया		1,00,958		66,119	
संदिग्ध समझा गया		10	1,00,968	21	66,140
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			10		21
अन्य ऋण					
अप्रतिभूति, अच्छा समझा गया		89,939		45,376	
संदिग्ध समझा गया		0	89,939	0	45,376
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0		0
जोड़			**1,90,897**		**1,11,495**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC India Limited

टिप्पणी : 17

नगदी एवं नगदी सदृश राशियां

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
बैंकों में शेष (बैंकों में आंटे सिप फ्लैक्सी जमा सहित)			13,553		6,103
हस्तगत नकदी			2		4
अन्य (भारताधिकार के प्रहत बैंक में शेष जो कंपनी के प्रयोग हेतु उपलब्ध नहीं है)			232		137
योग			13,787		6,244

टिप्पणी : 18

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		305		227	
अप्रतिभूत		24	329	3	230
कर्मचारियों के ऋणों पर उपचित ब्याज					
प्रतिभूत		337		229	
अप्रतिभूत		3	340	88	317
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		1		1	
अप्रतिभूत		0	1	0	1
अन्य					
प्रतिभूत, सही समझा गया					
अप्रतिभूत, सही समझा गया		0	0	24	24
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत पर अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी कम हो)					
कर्मचारियों के लिए		234		253	
निदेशकों के लिए		0		1	
ठेकेदारों के लिए		521		303	
अन्यों के लिए		1,460	2,215	385	942
जमाराशियां					
प्रतिभूति जमा		1		19	
कर जमा		128		361	
सीमाशुल्क विभाग में जमा		0		0	
सरकार/न्यायालय में जमा		282		280	
अन्य जमा		0	379	4	654
उप-योग			3,264		2,168
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		0
कुल अग्रिम			3,264		2,168
कुल ऋण एवं अग्रिम			3,264		2,168
टिप्पणी : निदेशकों से देय					
मूल			1		1
ब्याज			0		0
कुल			1		1
टिप्पणी : अधिकारियों से देय					
मूल			1		1
ब्याज			0		0
कुल			1		1

टिप्पणी : 19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
पूर्व प्रदत्त व्यय			469		111
उद्भूत ब्याज			26		2
कुल			495		113

टिप्पणी : 20

प्रचालनों से राजस्व

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
ऊर्जा बिक्री			2,02,238		1,65,509
लाभार्थियों से एफईआरवी वसूली			433		145
यू आई/संकुलन प्रभार			1,660		1,350
परामर्शी आय			227		1,306
कुल			2,04,558		1,68,310

20.1 (i) माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने मार्च, 2004 में विनियमनों को अधिसूचित किया था, जिसे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2004 कहा गया। ये विनियमन 01.04.2004 से लागू हुए; और 5 वर्ष तक लागू रहे। कंपनी ने माननीय सीईआरसी द्वारा विनियमन, 2004 में व्यक्त नियमों का पालन करते हुए अस्थायी टैरिफ के निर्धारण हेतु सीईआरसी के पास याचिका दायर की।

माननीय सीईआरसी ने दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 को अस्थायी टैरिफ आदेश यह कहते हुए जारी किया था कि अनुमोदित टैरिफ अनंतिम उपाय है, और याचिका में दावाकृत वार्षिक निर्धारित प्रभारों के अल्पीकरण में है तथा तदनुसार, 31.03.2007 तक की अवधि के लिए गौण ऊर्जा एवं क्षमता सूचकांक की कोई गणना नहीं होगी। प्रतिवादित आदेश से खिन्न होकर, कंपनी ने विद्युत संबंधी माननीय अपीलीय अधिकरण में अपील दायर की, जिसने दिनांक 02.07.2007 के अपने आदेश में बताया कि आयोग अंतिम दर का निर्धारण करते समय अंतर्ग्रस्त पक्षों के सभी संगत दावों पर विचार करेगा।

भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 11.11.2010 के पत्र संख्या 11/6/2010-11-I के तहत 8392.45 करोड़ रुपए के लिए टिहरी एचपीपी (चरण-I) की संशोधित लागत अनुमान की मंजूरी प्रदान की थी और टीएचडीसीआईएल ने तदनुसार माननीय सीईआरसी के समक्ष टैरिफ अवधि 2006-2009 के लिए याचिका दायर की थी। अवधि 2006-09 के लिए टैरिफ को आयोग द्वारा शीघ्र अनुमोदित किए जाने की आशा है।

इसी समय, अवधि 2009-14 के लिए टैरिफ याचिका भी 4 नवम्बर, 2011 को माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। तदनुसार, सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009 में व्यक्त नियमों का पालन करते हुए लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित एएफसी तैयार किया गया था और वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लेखों में विचार किया गया है।

तदनुसार, कंपनी ने रुपए 161938.33 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 165508.86 लाख रु.) की बिल युक्त बिक्रियां की हैं। वर्ष 2011-2012 के लिए राजस्व को माननीय सीईआरसी द्वारा टैरिफ का निर्धारण करने तक अस्थायी रूप से अभिस्वीकृत किया गया है। देनदारों ने माननीय सीईआरसी के विनियमनों के आधार पर और टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने तक माननीय सीईआरसी द्वारा अनुमत अस्थायी टैरिफ के आधार पर परिकलित एएफसी के अनुसार बिक्रियों के बीच विभेदी बिलिंग के संबंध में 99601.23 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष रुपए 92457.69 लाख रु.) को शामिल किया।

(ii) सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009 के अनुसार, कंपनी ने अवधि 2011-14 के लिए कोटेश्वर परियोजना के लिए 31.03.2012 तक परियोजना पर और तब परियोजना के चार यूनिटों के प्रत्याशित सीओडीज पर उपगत होने वाले प्रत्याशित व्यय पर विचार करते हुए वार्षिक निर्धारित लागत (एएफसी) तैयार किया था। तदनुसार, 28 फरवरी, 2011 और 1 मार्च, 2011 को आयोजित 18वीं टीसीसी और 20वीं एनआरपीसी बैठकों में निर्णय लिया गया था कि टीएचडीसीआईएल द्वारा यथा प्रस्तावित 80% वार्षिक निश्चित लागतों को माननीय सीईआरसी द्वारा टैरिफ का निर्धारण होने तक लाभार्थियों द्वारा अदा किया जाएगा।

बाद में, कोटेश्वर एचईपी की टैरिफ याचिका को अवधि 2011-14 के लिए 01.04.2011 और 26.10.2011 के रूप में यूनिट-1 और यूनिट-2 के वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीखों पर विचार करते हुए और क्रमशः 01.03.2012 और 01.05.2012 के रूप में यूनिट-3 और यूनिट-4 के वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तारीखों पर विचार करते हुए तैयार किया गया था। विधिवत रूप से लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित टैरिफ फाइलिंग फार्मों में टैरिफ याचिका को सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009 में निरूपित नियमों का पालन करते हुए माननीय सीईआरसी को प्रस्तुत किया गया है। राजस्व को टैरिफ का निर्धारण होने तक माननीय सीईआरसी को प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित एएफसी के आधार पर वित्त वर्ष 2011-12 के लिए लेखा में अस्थायी रूप से अभिस्वीकृत किया गया है। तदनुसार, कंपनी की रुपए 40299.80 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) के लिए बिल युक्त बिक्रिया की हैं। देनदारों ने सीईआरसी विनियमनों और अनंतिम टैरिफ जैसा कि 18वीं टीसीसी और 20वीं एनआरपीसी बैठकों में निर्णय लिया गया है, के आधार पर परिकलित एएफसी के अनुसार बिक्रियों के बीच विभेदी बिलिंग के संबंध में रुपए 16067.67 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) शामिल किया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, कोटेश्वर एचईपी ने यूआई प्रभार रुपए 34.68 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष रुपए 12.10 लाख एवं ब्याज शून्य) की विलंबित प्राप्ति पर यूआई प्रभारों एवं ब्याज के रूप में उत्पादित अस्थिर ऊर्जा के प्रति रुपए 1615.48 लाख भी अर्जित किया है। इस राशि को स्वीकार किया गया है और इसे परियोजना के पूंजीगत लागत में समायोजित किया गया है।

टिप्पणी : 21

अन्य आय

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
ब्याज					
बैंक में जमा राशियों पर (जिसमें टीडीएस रुपए 27361.00 पूर्ववर्ती वर्ष रुपए 48420.00 शामिल है)		67		57	
कर्मचारियों से		232		224	
अन्य		9	308	9	290
मशीन किराया प्रभार			18		36
किराया प्राप्तियां			156		65
विविध प्राप्तियां			210		211
प्रावधान की गई अधिक राशियों को हटाना			479		10
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ			58		235
विलंबित भुगतान अधिभार			472		28
कुल			1,681		[illegible]
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		731		313
कुल			950		817

टिप्पणी : 22

कर्मचारी लाभ व्यय

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			21,798		25,237
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान			2,654		5,199
उपदान			1,708		779
कल्याण खर्च			378		366
कुल			26,488		31,577
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		11,503		16,053
कुल			14,985		15,524

टिप्पणी : 23

वित्त लागत

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
वित्त लागत					
ऋणों पर ब्याज			61,771		53,255
कुल			61,771		53,255
घटाएं :					
अंतरित एवं सीडब्ल्यूआईपी खाते में पूंजीकृत	11.1		6,598		15,488
कुल			55,173		37,767

टिप्पणी : 24

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
किराया					
कार्यालय किराया		129		187	
कर्मचारी आवास किराया		648	777	598	785
दर एवं कर			390		369
विद्युत एवं ईंधन			1,338		1,303
बीमा			648		376
संचार			278		239
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,270		2,081	
भवन		845		843	
अन्य		1,143	3,258	3,309	6,233
यात्रा एवं वाहन			802		888
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			927		1,042
सुरक्षा			1,587		1,375
प्रचार तथा जनसंपर्क			180		305
अन्य सामान्य व्यय			1,972		2,220
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			12		27
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			680		596
अनुसंधान एवं विकास व्यय			61		0
परामर्शी परियोजना/अनुबंधों पर व्यय			692		802
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			12		12
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर व्यय			1,358		981
ग्राहकों को छूट			721		1,336
कुल			**15,693**		**18,889**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		3,919		6,043
कुल			**11,774**		**12,846**

टिप्पणी : 25

प्रावधान

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
संदिग्ध ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		21
भंडारों तथा कुल-पुर्जों के लिए प्रावधान			156		58
कुल			**156**		**79**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
कुल			**156**		**79**

टिप्पणी : 26

पूर्वावधि आय/व्यय (शुद्ध)

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
आय					
विविध प्राप्ति		0	0	1,153	1,153
व्यय					
कार्मिक व्यय		0		(64)	
मरम्मत एवं अनुरक्षण		0		96	
अन्य सामान्य व्यय		30		702	
मूल्यह्रास		76		(26)	
ब्याज		1		0	
विद्युत कर और भार		0		260	
विविध – अन्य		0	106	0	958
उप-जोड़			106		(189)
घटाएं : ईडीसी को अंतरित	11.1		10		8
कुल			96		(201)

टिप्पणी : 27

कराधान के लिए प्रावधान

राशि, लाख रुपए में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 के अनुसार		31 मार्च, 2011 के अनुसार	
आयकर चालू वर्ष			18,200		13,831
उप-जोड़			18,200		13,831
घटाएं : ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
कुल			18,200		13,831
संपत्ति कर चालू वर्ष			99		51
उप-जोड़			99		51
घटाएं : ईडीसी को अंतरित	11.1		14		20
कुल			85		31

28. 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की तात्कालिक अनुप्रयोज्य अनुसूची-VI के अनुसार तैयार किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत संशोधित अनुसूची-VI की अधिसूचना परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को संशोधित अनुसूची-VI के अनुसार तैयार किया गया है। तदनुसार, पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को भी, जहां कहीं भी आवश्यक हो, इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनःवर्गीकृत/ पुनःसमूहित/ पुनःव्यस्थित किया गया है। पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों के लिए संशोधित अनुसूची-VI का अंगीकरण वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अपनाई गई अभिस्वीकरण एवं माप सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करता।

29. पूंजीगत खातों में निष्पादन किए जाने हेतु शेष संविदाओं के अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, (निवल लाभ) 189581.57 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष) 15854.17 लाख रुपए है।

30. **आकस्मिक देयताएं**

(लाख रुपए में)

		2011-12	2010-11
(i)	कंपनी के प्रति दावे, जो ऋणों के रूप में अभिज्ञात न हों : माध्यस्थम/न्यायालय संबंधी मामले [जिसमें 238.62 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 233.04 लाख रुपए) शामिल है], विभिन्न माध्यस्थम/श्रम न्यायालय मामलों में कंपनी के प्रति डिक्रीड और कंपनी द्वारा जमा किया गया परंतु अपीलों में विवादित]	131696.37	144477.19
(ii)	विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्यिक कर, प्रविष्टि कर, जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए 6.78 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष के 250.42 लाख रुपए) शामिल है, परंतु अपील में विवादित है।	566.45	777.36
(iii)	अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	5923.86	6603.78

(iv) कर्मचारियों/विस्थापितों एवं अन्यों द्वारा दायर किए गए दावों/न्यायालय मामलों में देयताएं, यदि कोई हों, की राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

31. कंपनी ने 2498.15 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 2664.64 लाख रुपए) की राशि, जैसाकि कि टिप्पणी 4 और टिप्पणी 8 में प्रकट किया गया है, के "जमाओं, ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि" के अलावा, 914.00 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 899.17 लाख रुपए) के एफडीआर/सीडीआर राशि के रूप में जमा ईएमडी/प्रतिभूति को भी स्वीकार किया है।

32. कंपनी पावर के विभिन्न लाभार्थियों से 4631.41 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 2069.50 लाख रुपए) की राशि भुगतान हेतु प्रतिकर प्रतिभूति के रूप में पुष्टिकृत साख पत्र (एलसी) धारण करती है।

33. 7800.00 लाख रुपए की राशि को नये टिहरी शहर में सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए खर्च किया गया था और यह राशि उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से वसूलनीय थी। भारत सरकार (जीओआई) की मंजूरी के अनुसार 7800.00 लाख रुपए की मियादी ऋण को वर्ष 2005-06 में उत्तराखंड सरकार की ओर से पंजाब नेशनल बैंक से लिया गया था। राशि को ब्याज के साथ उत्तराखंड सरकार से टिहरी एचईपी चरण-I से 12% निःशुल्क पावर के उनके शेयर से वसूल की जानी है।

सचिव (पावर), विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2009 को आयोजित बैठक में पारस्परिक रूप से यह तय किया गया था कि उत्तराखंड सरकार, टीएचडीसी द्वारा बांध के निर्माण में प्रयुक्त क्ले/शेल सामग्री पर रॉयल्टी के संबंध में टीएचडीसी से देय राशि को समायोजित करने के बाद आवासीय/गैर आवासीय भवनों के लिए उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त स्थान के संबंध में देय 7800.00 लाख रुपए के व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी। इसके अलावा, यह सहमति हुई थी कि आपसी समझौता होने से न तो उत्तराखंड सरकार, न ही टीएचडीसीआईएल एक-दूसरे को देय राशियों पर ब्याज लगाएगी। तदनुसार, उत्तराखंड सरकार से वसूलीय 1857.42 लाख रुपए के ब्याज को समायोजित किया गया है। आगे यह भी निर्णय लिया गया था कि रायल्टी प्रभारों की राशि को टीएचडीसीआईएल द्वारा यथा उपलब्ध वास्तविक मात्राओं के आधार पर निकाला जाएगा। रायल्टी को परिकलित किया गया है, जो 3820.00 लाख रुपए बैठती है। 1920.00 लाख रुपए की शेष राशि को डी.एम. के पास 1900.00 लाख रुपए की जमा की गई राशि को कम करने के बाद 7800.00 लाख रुपए के प्रति समायोजित किया गया है और 5880.00 लाख रुपए की शेष राशि को टिप्पणी-13 में उत्तराखंड सरकार से वसूलनीय रूप में दर्शाया गया है। मामले पर जे एस (हाइड्रो) की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2010 को आयोजित बैठक में आगे चर्चा की गई थी, जिसमें उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वस्त किया

कि राशि को शीघ्र जारी करने के लिए मामले को राज्य वित्त विभाग के साथ उठाया जाएगा।

कंपनी ने 6446.58 लाख रुपए की समस्टी एवं ब्याज राशि की वसूली के स्थगन हेतु एक रिट याचिका, उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर की थी। तथापि, 27.03.2009 को आयोजित संयुक्त बैठक के परिणामस्वरूप, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, नैनीताल उच्च न्यायालय में रिट याचिका को वापस लेने के लिए मामले को जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) टिहरी के पास उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने दिनांक 25.05.2009, 21.07.2009 और 04.03.2010 के पत्रों के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव से 27.03.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है। उत्तराखंड की सरकार ने कार्यवृत्तों के अनुसार कंपनी द्वारा दायर की गई हलफनामा पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। इस मामले पर माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है। हालांकि, लेखाबहियों में आवश्यक समायोजनों, जैसा ऊपर बताया गया है, को शामिल किया जाता है।

34. (i) वर्ष हेतु उधार लिए गए निधियों पर उपगत कुल ब्याज एवं अन्य लागत 58072.00 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 51675.35 लाख रुपए) है। वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधारी लागत की राशि वर्ष के दौरान उधार ली गई अतिरिक्त निधियों की अन्य अवधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज के संबंध में 17.07 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 25.01 लाख रुपए) की राशि के समायोजन के बाद 8698.32 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 15489.18 लाख रुपए) है।

(ii) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा घट-बढ़ राशि, जो 487.14 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 213.38 लाख रुपए) है, को पूंजीगत कार्य प्रगति में/परिसंपत्तियों हेतु समायोजित किया गया है।

35. कोटेश्वर एचईपी के यूनिट-III एवं यूनिट- IV का समक्रमण (सिंक्रोनाइजेशन) वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और कोटेश्वर एचईपी के यूनिट- II, III और IV के समक्रमण (सिंक्रोनाइजेशन) को क्रमशः 25.10.2011, 12.02.2012 और 31.03.2012 को 24:00 बजे से वाणिज्यिक प्रचालन शुरु किया गया है। इसलिए कोटेश्वर एचईपी के यूनिट- II, III और IV को वर्ष 2011-12 के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा समायोजन के बाद पूंजीकृत किया गया है।

36. दिनांक 06.04.2011 के कारपोरेट कार्मिक परिपत्र संख्या 06/2011 के अनुसार अधिवर्षिता लाभ के संबंध में नियोक्ता का अंशदान 01.01.2007 से कर्मचारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 30% होगा। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), उपदान, पेंशन और सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधाओं की अंशदायी योजना शामिल होंगी। पेंशन योजना के अंतिम रूप दिए जाने तक मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के लगभग 10% का पेंशन निधि का प्रावधान लेखों में किया गया है।

37. (i) चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत पुनर्वास खर्चों में कार्यों के निष्पादन/विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहीत की गई 809.04 एकड़ (पिछले वर्ष 809.04 एकड़) जमीन की लागत के लिए 543.13 लाख रुपए(गत वर्ष 538.18 लाख रुपए) राशि शामिल है।

इसके अलावा, टिहरी एचपीपी चरण-I से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी और ईडीसी के पुनर्वास के लिए 6976.96 लाख रुपए (गत वर्ष 7277.48 लाख रुपए वर्ष 2011-12 के दौरान पूंजीकृत किए गए, जिसमें 600.09 एकड़ (गत वर्ष 754.245 एकड़) पुनर्वास हेतु जमीन के अधिग्रहण के लिए 786.12 लाख रुपए (गत वर्ष 1237.33 लाख रुपए) शामिल है।

(ii) पुनःस्थापन के लिए नये स्थानों पर विस्थापितों को आबंटित संपत्ति का पंजीकरण चल रहा है और इसकी देख-रेख उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जिसे बांध के विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(iii) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश संख्या एफ.सं. 8-3/89 एफसी के अनुसरण में उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जीओआई 166/7-1-2002-300 (458)/89 के अंतर्गत कोटेश्वर बांध परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के व्यपवर्तन का आदेश जारी किया है। 337.057 हेक्टेयर के लिए पट्टा विलेख उत्तराखंड सरकार के साथ 01.01.2003 को निष्पादित किया जा चुका है। 1.875 हेक्टेयर वन भूमि के लिए पट्टा विलेख, जिसके लिए भुगतान किया जा चुका है, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लंबित है तथा पट्टा धारण भूमि के तौर पर दिखाया गया है। 338.932 हेक्टेयर में से 218.307 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आती है और बांध के पूरा होने पर पूंजीकृत किए जाने के लिए पुनर्वास के अंतर्गत दिखाई गई है। डूब क्षेत्र के ऊपर 120.625 हेक्टेयर भूमि के बारे में 67.84 लाख रुपए की राशि को 30 वर्षों में परिशोधित किया जा रहा है।

(iv) कोटेश्वर बांध परियोजना (4X100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क दी गई 14.37 एकड़ भूमि का हिसाब 1/- रुपए की सांकेतिक कीमत पर लगाया है।

(v) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 29.04.08 के आदेश संख्या 08बी/ यूसीपी/06/ 312/2006/एफसी/144 द्वारा विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजना में सड़क बनाने के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्षों की अवधि के लिए 5.75 हेक्टेयर वन भूमि पट्टे पर देने के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए पट्टा प्रीमियम अदा कर दिया गया है। इस भूमि को लीज होल्ड के रूप में दिखाया गया है। लेकिन, इसके बारे में कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।

38. (i) अचल परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन के दौरान वास्तविक सत्यापक द्वारा जो छोटी-मोटी कमियां पाई गई हैं, जो स्वरूप में महत्वपूर्ण नहीं हैं उनकी जांच की जा रही है तथा कमियों को दूर किया जा रहा है। अंतिम समाधान के समय आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, को कर दिया जाएगा।

(ii) वास्तविक लागत के अभाव में वास्तविक सत्यापन के दौरान अधिक पाई कुछ परिसंपत्तियों को 1/- रुपए प्रत्येक के सांकेतिक मूल्य पर दर्ज किया गया है।

39. अग्रिमों, देनदारों, लेनदारों तथा संक्रमणाधीन/ठेकेदार के पास सामग्री के अंतर्गत दिखाए गए शेष पुष्टि/मिलान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन हैं।

40. पंजाब नेशनल बैंक ने दिसम्बर, 2011 में और जनवरी, 2012 में 9.27 करोड़ रुपए कारपोरेशन के चालू खाते में गलत नामे डाले थे। मामले को पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों की जानकारी में लाया गया था और बाद में यह सूचित किया गया था कि यह जाली चेकों के कारण हुआ। तथापि, बैंक ने बाद में हमारे चालू खाते में 3314641.00 रुपए की ब्याज राशि के साथ 1 मई, 2012 को 9.27 करोड़ रुपए की कुल राशि जमा की है। बैंक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और मामले की सीबीआई द्वारा बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जांच की जा रही है।

41. चल रही छानबीन के दौरान 0.71 लाख रुपए की क्षतियां/कमियां (गत वर्ष 0.89 लाख रुपए) कमी के द्योतक हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लंबित होने के कारण दावों का समायोजन करना अभी बाकी है।

42. (i) कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर बने 45 फ्लैट (गत वर्ष 90 फ्लैट) विभिन्न व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे में है। भारत सरकार ने मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एवं बेदखली के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त किए हैं। कंपनी द्वारा कानूनी कार्रवाई की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ii) 26. ईसी रोड, देहरादून में 20.10 लाख रुपए कीमत से टीएचडीसी परिसर में बने आवागमन कैम्प का इस्तेमाल टीएचडीसी तथा उत्तराखंड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जो टिहरी बांध परियोजना/ केएचईपी के पुनर्वास कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि पुनर्वास गतिविधियां पूरी होने के बाद ये परिसंपत्तियां कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।

(iii) फ्री होल्ड भूमि में 0.458 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जो सौतियाल गांव में है और जिस पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

(iv) टीएचडीसी कार्यालय परिसर, बाई पास रोड, ऋषिकेश में बने लगभग 380 वर्गमीटर का कार्यालय भवन क्षेत्र, जिसकी कीमत का अभी पता लगाया जाना है, को टीएचडीसी उत्तराखंड सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो टिहरी बांध परियोजना/ केएचईपी के पुनर्वास कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, पुनर्वास गतिविधियां पूरी होने के बाद ऐसी परिसंपत्तियां कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।

43. संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार 1000 मेगावाट की टिहरी एचपीपी परियोजना के सिंचाई घटक की लागत, जो कुल लागत के 20% के बराबर है, उपभोक्ता अंशदान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जानी है। 31.03.2012 तक परियोजना पर उपगत कुल लागत 839245.05 लाख रुपए (गत वर्ष 839245.05 लाख रुपए) परिकलित की गई थी, जिसमें फार्मूले के अनुसार सिंचाई क्षेत्र की लागत 144133.80 लाख रुपए (गत वर्ष 144133.80 लाख रुपए) बनती है। 31.03.2012 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने 144118.38 लाख रुपए (गत वर्ष 144118.38 लाख रुपए) दे दिए हैं।

44. संस्था के अंतर्नियमों के खंड संख्या 61 (बी) के अनुसार सिंचाई क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले अनुरक्षण खर्च कंपनी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए जाने हैं। लिखित सहमति होने तक इसे उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिदेय रुप में नहीं दर्शाया गया है।

45. वर्ष 2007-08 और 2011-12 के दौरान क्रमशः टिहरी एचपीपी-I और केएचईपी के उत्पादन स्टेशन का वाणिज्यिक

प्रचालन शुरू कर दिया गया है। प्रबंधन का मत है कि टिहरी एचपीपी-I और केएचईपी द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के संबंध में लेखाकरण मानक (एएस) 28 "परिसंपत्तियों में कमी" की दृष्टि से वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है।

46. (i) विद्युत उत्पादन इस कंपनी की मूल व्यावसायिक गतिविधि है। इसीलिए अन्य प्रचालन, अर्थात एकमुश्त कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक-17 के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट करने लायक खंड नहीं हैं।

(ii) कंपनी के विद्युत गृह (पावर स्टेशन) देश के भीतर ही स्थित हैं। अतः इसके लिए भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

47. संबद्ध पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण :

लेखाकरण मानक-18 से "संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण" में की गई अपेक्षा के अनुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन का ब्यौरा इस प्रकार है :

क) संबद्ध पक्षकार - प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक :

1.	श्री आर एस. टी. आई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री ए. एस. बिष्ट	निदेशक (कार्मिक)
3.	श्री सी. पी. सिंह	निदेशक (वित्त)
5.	श्री डी. वी. सिंह	निदेशक (तकनीकी)

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़कर) - शून्य

ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक एवं भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान, अन्य लाभ एवं व्यय निम्नवत हैं।

(लाख रुपए में)

	2011-12	2010-11
(i) वेतन एवं भत्ते	137.08	141.69
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	9.72	6.87
(iii) अन्य लाभ	74.53	72.45
(iv) स्वतंत्र निदेशक शुल्क एवं खर्चे	12.67	14.94
(v) निदेशक यात्रा व्यय	21.81	16.09
(vi) पेंशन निधि	2.30	19.44

उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को 760/-रुपए प्रति माह के भुगतान पर निजी यात्रा सहित स्टाफ कार के इस्तेमाल की अनुमति है (जैसा कि उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग के परिपत्र संख्या 2(53)/90-डीपीई (कम्प्यूसी)- जीआईवी, दिनांक 26 मार्च, 1999 के अनुसार अनुप्रयोज्य है)।

घ) टीएचडीसीआईएल, एनपीटीआईएल, संयुक्त उद्यम गठित किया जाएगा, जैसा कि टिप्पणी संख्या 53(i) में प्रकट किया गया है।

48. प्रति शेयर आय (ईपीएस) - मूल और परिवर्तित

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और परिवर्तित) इस प्रकार हैं :

	2011-12	2010-11
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपए)	70352.45	60047.87
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिसका प्रयोग डिनोमीनेटर के रूप में हुआ है	मूल 32975617 परिवर्तित 32976276	मूल 32975617 परिवर्तित 32975617
प्रति शेयर आय रुपए मूल	213.44	182.10
परिवर्तित	213.42	182.10
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

49. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों का लेखांकन" के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में, 6523.58 लाख रुपए (गत वर्ष 5789.83 लाख रुपए आस्थगित कर देयता में वृद्धि) जो कि आस्थगित कर परिसंपत्ति में शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009-2014 के अनुसार चालू कर का भाग है और वापस नहीं की जा सकती है। संचयी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है :

लाख रुपए में

क्र.सं.		31.03.2012	31.03.2011
	आस्थगित कर देयता (क)		
(i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	0	0
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)		
(ii)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	13116.56	6867.55
(iii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	9625.04	9625.04
(iv)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	157.83	107.39
(v)	कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	3229.61	3005.48
	शुद्ध आस्थगित कर देयता (परिसंपत्तियां) (क-ख)	**(26129.04)**	**(19605.46)**

50. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष 2011-12 के दौरान 2010-11 के कर पूर्व लाभ 2% लाभ की दर से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए व्यय कर ले। खर्च न हुई राशि के लिए अव्यपगत सीएसआर निधि के रूप में प्रावधान किया गया है।

51. प्रबंधन की राय में अचल परिसंपत्तियों, निर्माण संबंधी भंडारों, वसूले गए ऋणों और अग्रिमों के मूल्य तुलन-पत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होंगे।

52. क) कंपनी के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऐसे आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं हैं जिन्हें "सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत 31 मार्च, 2012 तक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में पंजीकृत किया गया है।

ख) 31 मार्च, 2012 को लघु/अनुषंगी उद्योगों से की गई खरीददारी/सेवाओं के संबंध में 30 से अधिक दिन से अधिक कोई देयता नहीं है।

53. (i) महाराट्र सरकार ने अपने दिनांक 21.04.2008 के पत्र संख्या एमआईएस-1207/(126/2007)/एचपी के जरिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यम को दो परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम सौंपा है। इन परियोजनाओं के नाम हैं (पुणे जिले में) कालू नदी पर मलशेज घाट (600 मेगावाट) और (सतारा जिले में) कोयना परियोजना की अपस्ट्रीम पर बनाई जाने वाली हुम्बर्ली (400 मेगावाट)। इसके लिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के बीच अगस्त, 2008 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का काम शुरू कर दिया गया है और 31 मार्च, 2012 तक टीएचडीसी ने इस पर 856.18 लाख रु. (गत वर्ष 623.21 लाख रुपए) खर्च किए हैं जिसे संयुक्त उद्यम से वसूली योग्य रूप में दर्शाया गया है जिसे 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार अभी निगमित किया जाना है।

(ii) भारत सरकार ने दिनांक 22.07.2008 के अपने अ.शा. सं. 11/01/2008-बीबीएमबी के जरिए भूटान की संकोश परियोजना (4060 मेगावाट) और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) की डीपीआर को अद्यतन करने का काम परामर्शी आधार पर टीएचडीसी को सौंपा है। इसके लिए 23.03.2010 को क्रमशः 1682.075 लाख रुपए तथा 24.06.2010 को 1378.75 लाख रुपए के लिए करार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और भूटान की शाही सरकार के बीच किए गए। तदनुसार डीपीआर को अद्यतन करने का काम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू कर दिया गया है।

(iii) टीएचडीसीआईएल, उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीपीसीएल के बीच खुर्जा, जिला - बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट का कोयला आधारित सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो इसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की स्थापना, ईंधन के लिए वाल-मैल, मिथियम, विद्युत लेने के लिए वचनबद्धता, पीपीए पर हस्ताक्षर तथा उचित अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करने के अध्यधीन होगा। तदनुसार प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) के लिए आरंभिक कार्य टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू कर दिए गए हैं।

54. भारत सरकार के निर्देशानुसार कंपनी वरुणावत पर्वत के स्थिरीकरण के काम में एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में उत्तराखंड सरकार की मदद कर रही है। व्यय हुए खर्च की प्रतिपूर्ति उत्तराखंड सरकार द्वारा की जानी है। इस सिलसिले में 878.81 लाख रुपए (गत वर्ष 787.17 लाख रुपए) व्यय के स्थान पर 566.36 लाख रुपए अब तक (गत वर्ष 566.36 लाख रुपए) कंपनी को पहले ही प्रतिपूर्ति किए जा चुके हैं।

55. भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1988 में किए गए निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड (जीओयूपी/जीओयू के) सरकारों को योजना की पुनर्वास गतिविधियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इनका संचालन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से सीधे उन्हीं के द्वारा किया जाना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए समेकित व्यय विवरण के अनुसार व्यय किया गया खर्च कंपनी के लेखाबहियों में दर्ज किया गया है जिसे उत्तराखंड सरकार से संबंधित प्रभागों द्वारा महालेखाकार, उत्तराखंड को दिए गए मासिक विवरण के आधार पर समेकित किया जाता है। पुनर्वास काम में लगे उत्तराखंड सरकार के कार्मिकों के स्थापना खर्च प्राप्त लेखा विवरण में दर्शाई गई सीमा तक दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई सीधी प्रतिपूर्ति का हिसाब-किताब उनके लिए दावे मिलने पर किया जाएगा।

56. टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए कैम्पस/एरिया में निर्मित भवनों और भूमि की कीमत अवर्गीकृत भूमि में शामिल की गई है। विस्थापितों को आबंटित न की गई कुछ गौण भूमि और भवन का इस्तेमाल कंपनी कर रही है। इसका स्वामित्व अभी कंपनी को अंतरित नहीं किया गया है। लागत के ब्यौरे को पुनर्वास रिकार्ड से संबद्ध करना लंबित होने के कारण इसे भूमि और भवन को अंतरित नहीं किया गया है।

57. (i) पावर हाउस के संविदा प्रावधान के अनुसार मात्रा परिवर्तन के प्रति कटौती के संबंध में केसीटी से वसूलियों संबंधी मामले को न्यायालय आदेश के अनुसार विवाचन हेतु भेजा गया था और तदनुसार, विवाचन कार्यवाहियां शुरू की गई थीं। इसी समय, केसीटी ने पीठासीन विवाचक की नियुक्ति को चुनौती दी। इसके बाद, अधिकरण ने आदेश दिया कि पीठासीन माध्यस्थम की नियुक्ति उचित है, जिसे जिला न्यायालय टिहरी में केसीटी द्वारा चुनौती दी गई थी। जिला न्यायालय, टिहरी के आदेश को केसीटी के पक्ष को बनाए रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा खारिज किया गया है और मामला अभी भी नैनीताल उच्च न्यायालय में लंबित है, परिणामतः विवाचन संबंधी कार्यवाहियां अभी भी लंबित हैं, जब तक कि नैनीताल उच्च न्यायालय में मामले का निपटान नहीं हो जाता है। इन संविदाओं के उक्त सूचित परिसंपत्तियों का मूल्य मामले को अंतिम रूप देने पर निर्भर रहते हुए परिवर्तित होगा।

(ii) ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम में 19051.74 लाख रुपए (मूलधन 12505.16 लाख रुपए और 18% की दर से ब्याज 6546.58 लाख रुपए) [गत वर्ष 20478.75 लाख रुपए (मूलधन 15899.99 लाख रुपए और 18% की दर से ब्याज 4578.76 लाख रुपए)] शामिल हैं, जो जोखिम और लागत खंड, मोबलाइजेशन अग्रिम तथा उपस्कर अग्रिम के लिए केएचईपी ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) से वसूला जाना है। 31 मार्च, 2012 तक टीएचडीसी के पास उपलब्ध प्रतिभूति (निष्पादन गारंटी/नगद) के रूप में केवल 5828.71 लाख रुपए (गत वर्ष 5828.71 लाख रुपए) उपलब्ध है। पीसीएल के संबंध में माध्यस्थम के मामले में टीएचडीसीआईएल ने इस मामले में अधिकरण के समक्ष प्रति दावा पेश किया है। माध्यस्थम निर्णय ऐसे समय जोखिम एवं लागत अग्रिम पर ब्याज अधिकरण द्वारा मना कर दिया गया है। टीएचडीसीआईएल ने माध्यस्थम के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायालय से फैसला न होने के कारण बहियों में ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

58. वर्ष 2010-11 के दौरान भारी वर्षा के कारण केएचईपी परियोजना में बाढ़ आई, जिससे निर्माणाधीन कोटेश्वर परियोजना जो निर्माण अवस्था में थी, के कुछ उपस्करों को नुकसान हुआ और लगभग 3573.71 लाख रुपए की हानि का अनुमान लगाया गया। इस नुकसान के लिए ठेकेदार अर्थात मैसर्स बीएचईएल द्वारा बीमा दावा कर दिया गया है। निर्माण कार्य की बहाली/दोबारा शुरू करने पर हुए खर्च को सीडब्ल्यूआईपी के तहत दर्शाया गया है। बीमा दावा की राशि प्राप्त हो जाने पर इसे सीडब्ल्यूआईपी में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा मैसर्स बीएचईएल द्वारा दर्ज कुल दावों में से 933.80 लाख रुपए के दावे को बीमा कंपनी से प्राप्त किया गया है और इसे वित्त वर्ष 2011-12 के हिसाब में लिया गया है।

59. वर्ष के दौरान कंपनी ने सीईआरसी (विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत गठित तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय) द्वारा टैरिफ वसूली के लिए अधिसूचित दरों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का प्रावधान किया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों से अलग है। विद्युत मंत्रालय - भारत सरकार ने टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास दरों को टैरिफ के साथ-साथ लेखाकरण के लिए लागू करने का भी प्रावधान किया गया है। सीईआरसी द्वारा टैरिफ नीति के अनुसार मानदंडों के तय होने तक वर्तमान टैरिफ नीति 2009-2014 मानदंडों के तहत अधिसूचित दरों को वर्ष के लिए मूल्यह्रास निकालने के लिए ठीक समझा गया है।

60. (i) कंपनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथिगृहों/मार्गस्थ कैम्पों तथा वाहनों के लिए परिसर पट्टे/किराए पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं प्रायः आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीकृत की जाती हैं, लेकिन इन्हें सामान्य तौर पर निरस्त नहीं किया जाता। किराया दर तथा करों में पट्टा भुगतान के लिए 697.72 लाख रुपए (गत वर्ष 774.77 लाख रुपए) शामिल है। (निवल वसूली)।

(ii) टीएचडीसीआईएल ने दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन कारपोरेशन लिमिटेड से एनबीसीसी भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली में 01 जुलाई, 2010 से 6 वर्षों के लिए 212 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से 2270 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला कार्यालय पट्टे पर लिया है जिसकी कुल कीमत 481240.00 रुपए जमा सेवा कर होगी। पट्टे पर लिए गए कार्यालय का कुछ भाग, जो 1870 वर्ग फीट है, 212 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से 8 नवम्बर, 2012 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कुल 396440.00 रुपए में उप-पट्टे पर दिया गया है।

61. (i) कंपनी पूर्व निर्धारित दरों से भविष्य निधि का निश्चित अंशदान एक अलग ट्रस्ट को अदा करती है जो इस राशि को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अवधि के लिए निधि के अंशदान को खर्च माना जाता है तथा लाभ एवं हानि खातों से प्रभारित किया जाता है। तदनुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2012 को एएस-15 (संशोधित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए संवैधानिक ब्याज दर गारंटी के कारण देनदारी 589.77 लाख रुपए (गत वर्ष 323.03 लाख रुपए) होती है जबकि तुलन-पत्र के तारीख को ट्रस्ट में अधिशेष 43.38 लाख) (गत वर्ष में 20.35 लाख रुपए) उपलब्ध थी। इसीलिए 546.39 लाख रुपए (गत वर्ष 302.68 लाख रुपए) की राशि को देयता के रूप में दिखाया गया है। वर्ष के दौरान खातों में 243.71 लाख रुपए (गत वर्ष 202.65 लाख रुपए) का प्रावधान किया गया है।

(ii) "कर्मचारियों को लाभ" के संबंध में एएस-15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण

31.03.2012 को किए गए बीमांकित मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारी लाभ का प्रावधान किया गया है। तदनुसार "कर्मचारियों का लाभ" के संबंध में लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के तहत 31.03.2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है :

सारणी 1 : निम्नलिखित पर बीमांकित (एक्चूरियल) मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित (एक्चूरियल) अनुमान

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2012 के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार
मृत्यु सारणी	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	8.5%	8%
भावी वेतन वृद्धि	6%	5.5%

सारणी-2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

लाख रुपए में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति अवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	7024.96	3130.17	1565.42	3342.82	503.44
ब्याज लागत	597.12	266.06	133.06	284.14	42.78
गत सेवा लागत					
वर्तमान सेवा लागत	447.54	239.05	62.70	218.06	32.11
भुगतान किया गया लाभ	(493.97)	(470.46)	(59.97)	(98.03)	(55.95)
बीमांकित (एक्चूरियल) (लाभ/हानि)	743.35	820.07	58.26	188.98	24.90
वर्ष के अंत में पीवीओ	8319.00	3984.89	1759.47	3935.97	497.50

सारणी-3 :
तुलन-पत्र में चिन्हित राशि

लाख रुपए में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अशक्तता अवकाश	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति अवार्ड/ एसबीएस
वर्ष के अंत में पीबीओ	8319.00	3984.89	1759.47	3935.97	497.50
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपतियों का उचित मूल्य					
निधियों की स्थिति	(8319.00)	(3984.89)	(1759.47)	(3935.97)	(497.50)
चिन्हित न हुए बीमांकित (एक्चुरियल) लाभ/हानि					
तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	(8319.00)	(3984.89)	(1759.47)	(3935.97)	(497.50)

सारणी-4 लाभ एवं हानि खाते के विवरण/ईओसी खाते में चिन्हित राशि

लाख रुपए में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अशक्तता अवकाश	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति अवार्ड/ एसबीएस
चालू सेवा लागत	447.54	239.06	62.70	218.06	32.11
ब्याज लागत	697.12	299.06	133.09	284.14	42.78
गत सेवा लागत					
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल					
वर्ष के लिए चिन्हित निवल एक्चुरियल (लाभ)/हानि	743.35	820.07	58.26	188.98	(24.90)
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ ईओसी में चिन्हित व्यय	1788.01	1325.18	254.02	691.18	50.00

62. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के तहत देय उपकर की दर अधिसूचित नहीं की है, इसलिए कंपनी ने कारोबार पर किसी प्रकार के उप कर का प्रावधान नहीं किया है।

63. लेखांकन नीति में परिवर्तन :

क्रम सं.	नीति	प्रभाव
1	नीति संख्या 8(vii) -कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के सुरंग के विपथन के मामले में मूल्यह्रास को सीधी रेखा तरीके में सुरंग के प्रत्याशित उपयोगी जीवन को हटाने पर प्रभारित किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि पूर्ण मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर प्रभारित किया गया है और डब्ल्यूडीवी शून्य है।
2	लेखाकरण नीति संख्या 9(i) में आशोधन, जो स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जे के मूल्यांकन को "निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो" के संबंध में जोड़ने से संबंधित है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि बेहतर स्पष्टता एवं एएस-2 की अनुरूपता में परिवर्तन किया गया है।
3	लेखाकरण नीति संख्या 10(iii) में आशोधन, जो शब्दों "ऊर्जा की बिक्री शब्द के बाद परिसमाप्त क्षति/वारंटी दावे" को शामिल करके विविध देनदारों से वसूलनीय अधिभार से संबंधित है।	कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि लेखों के नोट में प्रकटित प्रथा को नीति में बदल दिया गया है।

64. लेखापरीक्षकों को भुगतान

(लाख रुपए में)

		2011-12	2010-11
क.	सांविधिक लेखापरीक्षक	4.13	4.13
ख.	कराधान मामले के लिए (कर लेखापरीक्षा)	2.11	2.07
ग.	कंपनी विधि मामले के लिए	-	-
घ.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
ङ	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	3.03	4.99
च.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	3.72	2.62

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

65. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)

	विवरण	2011-2012	2010-2011
क.	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	13.31	21.08
	परामर्श और व्यावसायिक व्यय	511.27	611.19
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	2414.17	2196.90
	माल का आयात	30.10	74.61
	अन्य (संचालन प्रभार)	0.00	3.40
	सम्मेलन हेतु नामांकन	7.00	0.00
	सॉफ्टवेयर की खरीद	0.47	0.00
	कुल	**2976.32**	**2907.18**

ख.	विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)	0.80	1951.65
ग.	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य		
i)	पूंजीगत माल	30.10	13.13
ii)	अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	30.10	13.13
घ.	प्रयुक्त कच्चा, स्टोर्स और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य		
i)	आयातित (रुपए में)	2.44	0.30
	(%)	3.87%	0.27%
ii)	देशी (रुपए में)	83.37	110.84
	(%)	96.13%	99.73%
ङ	निर्यात का मूल्य	0.00	0.00

66. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं ।

क्रम सं.	विवरण	2011-2012	2010-2011
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	1400 मेगावाट	1200 मेगावाट
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मेगावाट) - (सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2844 मेगावाट	2844 मेगावाट
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
(क)	पूर्व-वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	45.1789 मि.यू.	0.4338 मि.यू.
	बिक्री	44.7251 मि.यू.	0.4295 मि.यू.
(ख)	वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	4546.0793 मि.यू.	3116.0253 मि.यू.
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत व रूपांतरण हानियों के बाद निवल)	3968.9998 मि.यू.	2730.6833 मि.यू.

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है तथा अनुरक्षित कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	(सी. पी. सिंह)	(आर. एस. टी. शाई)
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एवं भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 17572

दिनांक : 31.08.2012
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2012 वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि, लाख रुपए में
(ब्रैकेट में आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर-पूर्व निवल लाभ और पूर्वावधि समायोजन		80,330		67,719
निम्न हेतु समायोजन :-				
मूल्यह्रास	45,143		34,933	
प्रावधान	156		79	
ऋणों पर ब्याज	53,173		37,787	
पूर्वावधि समायोजन	(99)	98,373	201	73,010
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले प्रचालन लाभ		1,78,703		1,40,729
निम्न हेतु समायोजन :				
वस्तु सूचियां	(48)		(88)	
ट्रेड प्राप्य	(79,402)		(35,729)	
अन्य परिसंपत्तियां	(389)		6	
ऋण एवं अग्रिम (वर्तमान + गैर वर्तमान)	(2,257)		(40)	
ट्रेड देय और देयताएं	(18,537)		20,630	
प्रावधान (वर्तमान + गैर वर्तमान)	22,504	(78,129)	(1,641)	(16,638)
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी		1,00,577		1,23,891
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर		(16,375)		(13,662)
प्रचालन से निवल नकदी (क)		84,202		1,10,229
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
निम्न में परिवर्तन :-				
स्थायी परिसंपत्तियां और सीडब्लूआईपी	(36,011)		(75,226)	
निर्माण स्टोर	(139)		(155)	
पूंजी अग्रिम	(18,984)		(1,349)	
विविध व्यय (समायोजित सीमा तक)	13		13	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		(55,101)		(76,717)

राशि, लाख रुपए में
(लघु कोष्ठक में आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
ग. वित्त-पोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	4,500		-	
अन्य पूंजी प्रारक्षित	-		41	
ऋण	52,754		28,285	
ऋणों पर ब्याज	(53,173)		(37,797)	
लाभांश और लाभांश पर कर	(24,639)		(21,106)	
वित्त-पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**(20,558)**		**(30,577)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**8,543**		**2,935**
ङ आरंभिक नकदी और नकदी समतुल्य		**5,244**		**2,309**
च. अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य (घ+ङ)		**13,787**		**5,244**

टिप्पणी :-

1. नकदी और नकदी समतुल्यों में रुपए 231.78 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष रुपए 136.78 लाख) का बैंकों में शेष शामिल है; जो कारपोरेशन द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित/पुनःदर्शित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	(सी. पी. सिंह)	(आर. एस. टी. शाई)
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एवं भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 17572

दिनांक : 31.08.2012
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के सभी सदस्य

1. हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरण, जिनमें 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते तथा नगदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक विवरण शामिल हैं, की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपनी राय जाहिर करना है।

2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा-परीक्षा की है। उक्त मानकों में यह अपेक्षित है कि हम यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों से मुक्त हैं, लेखा-परीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें। लेखा-परीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में प्रकटनों तथा राशियों के अनुसमर्थक साक्ष्य की जांच करना शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अनुसरण में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित तथा हमारे द्वारा उचित समझी गई जांचों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक में इस कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।

4. हमारी रिपोर्ट पर बिना आपत्ति के हम आपका ध्यान निम्नलिखित की तरफ आकर्षित कर रहे हैं :-

(क) टिप्पणी संख्या 20.1 (i तथा ii) सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क का अंतिम निर्धारण लंबित रहते बिक्री का लेखाकरण अनंतिम आधार पर किया जा रहा है।

(ख) टिप्पणी संख्या 33 – उत्तराखंड सरकार द्वारा अतिरिक्त जगह के लिए 31 मार्च, 2012 को देय 6880.00 लाख रुपए की बाकी राशि रॉयल्टी के लिए देयताओं के समायोजन के बाद अभी भी वसूल करनी बाकी है।

(ग) टिप्पणी संख्या 37(i) शीर्ष "अवर्गीकृत भूमि" के तहत खातों में पूंजीकृत 6976.95 लाख रुपए के पुनर्वास व्यय को उत्तराखंड सरकार/सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर खातों में शामिल किया गया है और इस प्रकार यह सत्यापन के अध्यधीन नहीं है।

(घ) टिप्पणी संख्या 39 – फुटकर देनदार, फुटकर लेनदार, प्रतिभूति जमा/धरोहर राशि जमा, ऋण एवं अग्रिम सभी पुष्टि एवं समाधान के अध्यधीन हैं।

(ङ) टिप्पणी संख्या 42(i)- यह कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर 46 फ्लैटों (गत वर्ष 90 फ्लैटों) पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जे से संबंधित है।

(च) टिप्पणी संख्या 57(ii)- कोएचईपी ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) की 5528.71 लाख रुपए की प्रतिभूति के प्रति उसके जोखिम और लागत पर निष्पादित कार्य के लिए 19061.74 लाख रुपए ठेकेदार को

दिए गए अग्रिम में शामिल हैं।

5. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणी के आगे और के साथ पठित उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में दी गई अन्य मदों पर ध्यानाकर्षित करते हुए हम सूचित करते हैं कि :

(क) अपनी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने अपनी परीक्षा के लिए जरूरी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

(ख) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित खातों की उचित बहियां कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि हमारे द्वारा बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नगदी प्रवाह के विवरण खाते बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नगदी प्रवाह विवरण, जिन्हें इस रिपोर्ट के साथ दिखाया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829(ई) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) का खंड (आई) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता।

6. हमारी राय में तथा हमारी संपूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा उन पर टिप्पणियों, जो उसके साथ संलग्न हैं, के साथ पठित उक्त खाते कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना निर्धारित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के संबंध में एक सच्ची एवं उचित तस्वीर प्रकट करते हैं :

(क) तुलन-पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति की।

(ख) लाभ एवं हानि के खाते के विवरण के मामले में, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की; तथा

(ग) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नगदी प्रवाह की।

कृते भाटिया एण्ड भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार, एफसीए
सदस्यता संख्या-17572

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : 31 अगस्त, 2012

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

(इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक)

1. हमारी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। लेकिन अचल परिसंपत्तियों की पहचान संख्या डालने की प्रक्रिया चल रही है। इन परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है और सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है, हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमारी राय में, कंपनी के आकार को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारम्बारता उचित है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

2. हमारी वस्तुसूचियों के संबंध में :

(क) ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री को छोड़कर वस्तु सूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में वस्तु सूची की वास्तविक जांच उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया-विधियां उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने न तो कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण लिया है और न ही दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ-4 का खंड (iii) लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वस्तुसूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला है और न ही ऐसी कोई सूचना मिली है कि कंपनी अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में लगातार असफल रही हो।

5. हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गई लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, हमारी संपूर्ण जानकारी और विश्वास तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में संदर्भित ठेके या व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थीं, जिन्हें इस धारा के तहत अपेक्षित रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी हो। वर्ष के दौरान 5,00,000 रू. या उससे अधिक के लेन-देन की औचित्यता का प्रश्न नहीं उठता।

6. कंपनी ने जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए, 58एए तथा अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

7. कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें कंपनी की विभिन्न इकाइयों की समय-समय पर लेखा-परीक्षा करने के लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया जाता है। हमारी राय में आंतरिक लेखा-परीक्षा का क्षेत्र और व्यापकता इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

8. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा - 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी अपेक्षित लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। लेकिन वर्ष 2011-12 के लिए लागत लेखापरीक्षा अभी तक नहीं की गई है।

9. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधिक देय राशियां उचित प्राधिकरणों में नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य सांविधिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं तथा इनके संदेय होने की तिथि से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधिक देय राशि 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बकाया नहीं थी। जैसाकि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित आयकर/व्यापार कर/

प्रवेश कर देय जमा नहीं किए गए हैं।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (लाख रुपए में)	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
1986-87	45.30	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा लगाई गई ब्याज की राशि के लिए मामले को उपायुक्त (अपील), देहरादून द्वारा वापस प्रति प्रेषित कर दिया गया है तथा मूल्यांकन प्राधिकारी ने उसी राशि का पुनः निर्धारण किया था। टीएचडीसी ने ए. ओ. के आदेश के विरूद्ध जे.सी. (अपील) के समक्ष अपनी अपील दायर की है तथा जे.सी. (अपील) ने स्थगनादेश दे दिया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पहली अपील टीएचडीसी के पक्ष मे निर्णीत हुई और इस आदेश के विरूद्ध राज्य ने अपील संख्या 69-11 के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की है।
1989-90	0.36	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993-94	0.33	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध व्यापार/ वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993-94	0.39	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994-95	0.88	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध व्यापार/ वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994-95	1.10	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1997-98	0.60	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
2000-01 137 महीनों के लिए ब्याज	136.35 373.60	प्रवेश कर	प्रवेश कर का मामला अपर आयुक्त (अपील), देहरादून के पास लंबित है।
2007-08	0.75	व्यापार कर	टीएचडीसीआईएल ने 28.02.2011 के मूल्यांकन आदेश में उठाई गई मांग के खिलाफ अपील दायर की है।

10. (क) कंपनी की वित्तीय वर्ष के अंत में कोई संचयी हानियां नहीं हुई हैं तथा वित्त वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा के अंतर्गत और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नगद हानियां नहीं हुई थीं।

    (ख) कंपनी की चल रही परियोजनाओं के मामले में भी, जो निर्माणाधीन हैं, संचयी हानियों का यह खंड लागू नहीं होता।

11. कंपनी ने, हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा-परीक्षा पद्धति के आधार पर तथा अभिलेखों के अनुसार किसी वित्तीय संस्था या बैंक की देय राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

12. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत नहीं किए हैं।

13. कंपनी चिट फंड या निधि/म्युचुअल बेनीफिट फंड/सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड-XIII कंपनी पर लागू नहीं होता।

14. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य में निवेश का काम नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड xiii कंपनी पर लागू नहीं होता।

15. हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

15. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे, वर्ष के दौरान उसी के लिए उनका इस्तेमाल किया।

17. हमारी राय में तथा समग्र रूप से हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पावधि आधार पर इकट्ठा की गई निधियों का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया है।

18. वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जा रहे रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को इस कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानतः आवंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई प्रतिभूति या सार्वजनिक निर्गम जारी नहीं किया।

21. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धतियों के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें कंपनी पर या कंपनी द्वारा किए गए किसी जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला और न ही प्रबंधन द्वारा इस तरह के मामले की कोई सूचना हमें दी गई।

कृते खटिवा एण्ड खटिवा
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर खटिवा)
भागीदार एफसीए
सदस्यता संख्या-17572

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : 31 अगस्त, 2012

गोपनीय

स./No RAP/THDC/A/cs/2011-12/2012-13/535
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III,
NEW DELHI

दिनांक/Dated 11-09-2012

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टी एच डी सी इण्डिया लिमिटेड,
ऋषिकेश

विषय: 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये टी0 एच0 डी0 सी0 इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश, के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं टी0 एच0 डी0 सी0 इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश, के वर्ष 2011-12 की समाप्ति हेतु कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करता हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार सिंह)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
6th & 7th Floor Annexe Building, 10 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Ph. : 2329227; Fax : 23239211; e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के खातों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उनके पेशेवर निकाय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की है। सूचना दी गयी है कि ऐसा उनके द्वारा 31 अगस्त, 2012 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया जा चुका है।

मैंने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(बी) के अधीन 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यों के कागजात के बिना तथा सांविधिक लेखा परीक्षक की प्रारम्भिक जांच की सीमा तक और कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चुनिंदा परीक्षण के आधार पर की गयी। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं आयी है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत टिप्पणी करना या "सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुपूरक" अपेक्षित हो।

कृते व भारत के नियंत्रक एवं
महा लेखापरीक्षक की ओर से

(प्रवीण कुमार सिंह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 सितम्बर, 2012

टिहरी झील का विहंगम दृश्य
A panoramic view of Tehri Lake

www.censet.in (M) 9810213218

टीएचडीसी इंडिया लि.
(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड़, ऋषिकेश–249201–(उत्तराखंड)

THDC INDIA LIMITED
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)
Ganga Bhawan, Pragtipuram, By Pass Road, Rishikesh-249201-(Uttarakhand)
Ph. : (0135) 2435842, 2439309 & 2437646 Fax : (0135) 2439442 & 2436761